वार्षिक प्रतिवेदन

2022-23

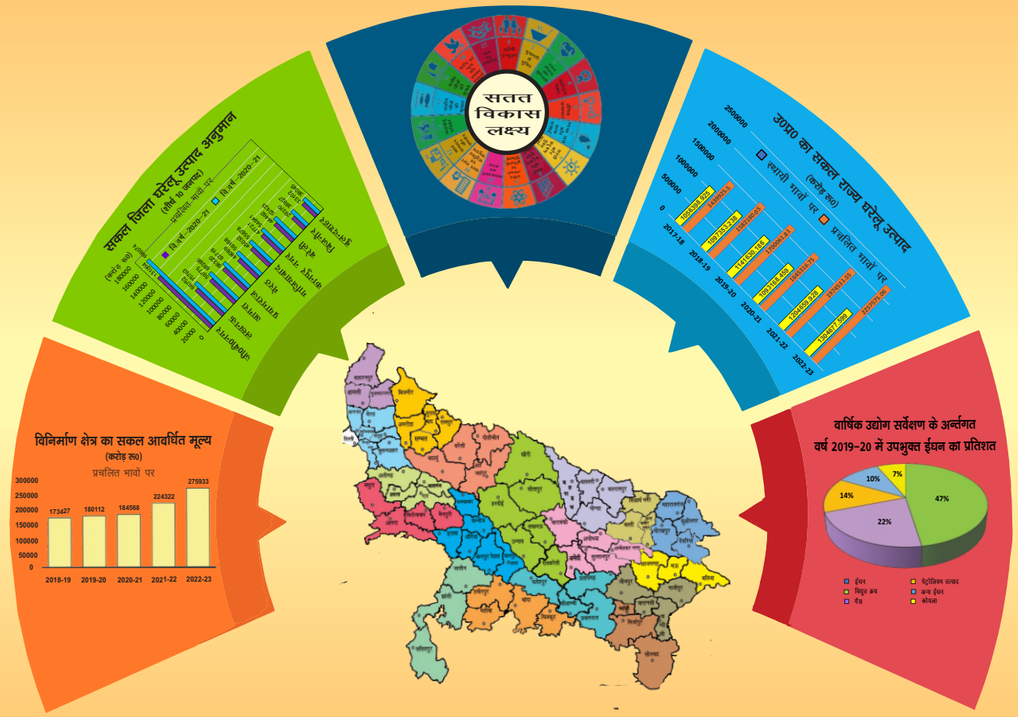

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश

website-https://updes.up.nic.in

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश

website-https://updes.up.nic.in

अर्थ एवं संख्या प्रभाग,उत्तर प्रदेश

वार्षिक प्रतिवेदन

2022-23

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश

website-http://updes.up.nic.in

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या प्रभाग,
उत्तर प्रदेश।

प्राक्कथन

प्रदेश को ''वन ट्रिलियन डॉलर इकोनामी'' बनाये जाने की प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत प्रदेश के समेकित एवं चतुर्दिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्षेत्रीय विषमताओं के चिह्नांकन एवं इस आधार पर सार्वभौमिक विकास के आयामों की प्राप्ति हेतु आँकड़ों की महत्ता लगातार बढ़ रही है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान द्वारा प्रदेश में होने वाले आर्थिक व सामाजिक परिवर्तनों को परिलक्षित करने वाले आँकड़ों का नियमित रूप से प्रकाशन किया जाता है।

प्रदेश की आर्थिक स्थिति के आंकलन के लिये प्रभाग द्वारा सकल/निवल घरेलू उत्पादों के साथ–साथ जिला घरेलू उत्पाद के आंकलन के अतिरिक्त प्रभाग द्वारा सामाजिक सर्वेक्षणों, विभिन्न उत्पादों के भावों में औद्योगिक उत्पादन में होने वाले उतार–चढ़ाव व प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों के क्रियाकलापों के अध्ययन का कार्य भी नियमित रूप से किया जाता है।

उक्त प्रकाशनों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले महत्वपूर्ण आँकड़ों की समेकित रूप से एक ही स्थान पर उपलब्धता के उद्देश्य से प्रभाग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन वर्ष 2011 से किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में वर्तमान वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022–23 के अंक का प्रकाशन किया जा रहा है।

उक्त वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन को अल्प अवधि में तैयार किये जाने हेतु सम्पादक मण्डल के साथ ही प्रभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का योगदान प्रशंसनीय है।

मुझे विश्वास है कि इस प्रकाशन में उपलब्ध सामग्री नीति निर्धारकों, शोधकर्ताओं के अतिरिक्त अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी के क्षेत्र में अध्ययनरत् छात्रों के लिये प्रदेश की समग्र समाजार्थिक स्थिति के प्रतिबिम्बन में सहायक होगी।

दिनांक: 01 दिसम्बर ,2023

(डा० दिव्या सरीन मेहरोत्रा)
निदेशक, अर्थ एवं संख्या

(डा0 दिव्या सरीन मेहरोत्रा)

सम्पादक मण्डल

1.	डा0 श्रीमती दिव्या सरीन मेहरोत्रा	निदेशक
2.	श्रीमती मालोविका घोषाल	अपर निदेशक
3.	श्रीमती अलका बहुगुणा ढौंडियाल	अपर निदेशक
4.	श्री नवीन चतुर्वेदी	उप निदेशक
5.	श्रीमती मंजू अशोक	उप निदेशक
6.	डा0 राजेश कुमार चौहान	अर्थ एवं संख्याधिकारी
7.	श्रीमती दुर्गेश नन्दनी सिंह	अर्थ एवं संख्याधिकारी
8.	श्री अरूण कुमार गुप्ता	अर्थ एवं संख्याधिकारी

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

विषय–वस्तु

अध्याय		पृष्ठ–संख्या
1.	अर्थ एवं संख्या प्रभाग–एक परिचय	01–16
2.	राज्य लेखा सांख्यिकी	17–28
3.	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण एवं विश्लेषण	29–34
4.	डेटा बैंक	35–41
5.	भाव सांख्यिकी	42–48
6.	औद्योगिक सांख्यिकी	49–56
7.	आवास सांख्यिकी	57–59
8.	डेटा प्रोसेसिंग एवं सॉफ्टवेयर विकास	60
9.	ग्राफ एवं मानचित्रण	61–62
10.	वाह्य सहायतित कार्यक्रम एवं सर्वेक्षण	63–67
11.	प्रकाशन एवं प्रचार	68–70
12.	प्रशिक्षण एवं समन्वय	71–73
13.	स्थापना सम्बन्धी कार्य	74–75
14.	लेखा सम्बन्धी कार्य	76–78
15.	क्षेत्रीय स्तर पर सम्पादित किये जाने वाले कार्य	79–84
16.	फोटो सेक्शन	85–90

अध्याय–1
अर्थ एवं संख्या प्रभाग–एक परिचय

1.0 पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश में नियोजन प्रक्रिया की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु गठित राज्य नियोजन संस्थान के अन्तर्गत 09 प्रभाग कार्यरत हैं, जिनमें से एक प्रभाग अर्थ एवं संख्या प्रभाग है। संस्थान का अर्थ एवं संख्या प्रभाग ही एक मात्र ऐसा प्रभाग हैं, जिसके कार्यालय राज्य मुख्यालय के अतिरिक्त सभी मण्डलों एवं जनपदों में भी स्थित हैं। मण्डल स्तर पर श्रेणी–1 के उप निदेशक तथा सभी जनपदों में श्रेणी–2 के अर्थ एवं संख्याधिकारी के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं। विकास खण्ड स्तर पर भी इस प्रभाग का एक कार्मिक–सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकीय) वर्तमान में सहायक सांख्यिकीय अधिकारी तैनात रहता है, जो खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में पद–स्थित होता है।

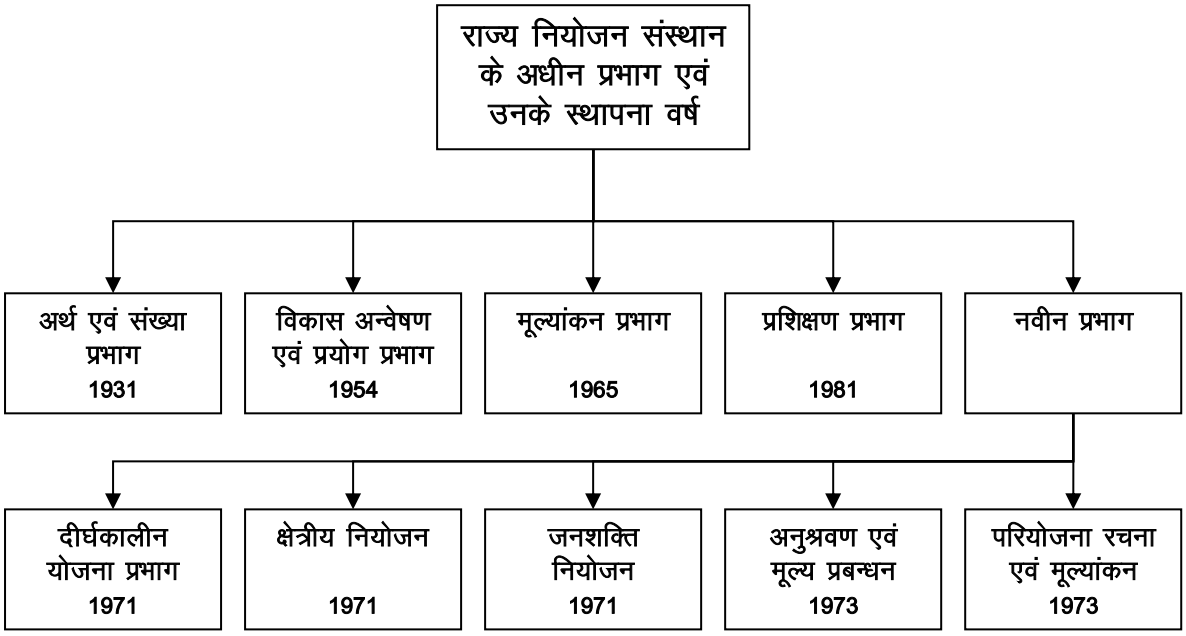

उत्तर प्रदेश में आँकड़ों को व्यवस्थित रूप से एकत्रित व संकलित करने एवं शासन को उपलब्ध कराने के दायित्व की पूर्ति हेतु इस प्रभाग की स्थापना वर्ष 1931 में Bureau of Statistics and Economic Research नाम से की गई थी। वर्ष 1938 में इस Bureau को पुनर्गठित कर पहले उद्योग निदेशालय, तत्पश्चात् मूल्य नियंत्रण विभाग में संविलीन किया गया। वर्ष 1942 में मूल्य नियंत्रण विभाग को समाप्त कर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा अर्थ एवं संख्या विभाग बनाए गए। अर्थ एवं संख्या विभाग को आर्थिक सलाहकार के अधीन रखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त वर्ष 1947 में राज्य सचिवालय के अर्न्तगत आर्थिक सलाहकार एवं निदेशक का पद सृजित करके अर्थ एवं संख्या विभाग को स्वतंत्र स्वरूप प्रदान किया गया। प्रयागराज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रो0 एस0 के0 रूद्रा (1942–1947) को प्रथम आर्थिक सलाहकार एवं निदेशक नियुक्त किया गया। वर्ष 1961 में इस विभाग को अर्थ एवं संख्या निदेशालय के रूप में परिवर्तित किया गया। वर्ष 1971 में नियोजन विभाग के अन्तर्गत राज्य नियोजन संस्थान की स्थापना के साथ ही विभाग को अर्थ एवं संख्या प्रभाग नाम दिया गया।

वर्ष 1951 तक अर्थ एवं संख्या निदेशालय का दायित्व राज्य मुख्यालय तक ही सीमित रहा। वर्ष 1952 में प्रत्येक जनपद में Economic Intelligence Inspector के पद का सृजन किया गया। तत्पश्चात् विभागीय कार्य सम्पादन एवं विभिन्न ग्राम्य विकास योजनाओं की प्रगति के विवरण के संकलन, भौतिक सत्यापन एवं अनुश्रवण हेतु वर्ष 1958 में प्रत्येक जनपद में जिला सांख्यिकीय अधिकारी के पद सृजित करते हुए उनके कार्यालयों की स्थापना की गई। विकास कार्यों से सम्बन्धित आँकड़ों के रखरखाव तथा प्रगति के अनुश्रवण, सत्यापन एवं मूल्यांकन कार्य के सम्पादन हेतु विकास खण्ड स्तर पर एक–एक प्रगति सहायक वर्तमान पदनाम सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के पद का सृजन वर्ष 1959 में किया गया। विकेन्द्रित नियोजन प्रक्रिया के अन्तर्गत जिला स्तर पर योजनाएं तैयार

करने हेतु वर्ष 1973 में प्रत्येक जिला सांख्यिकीय कार्यालय में अर्थ अधिकारी के पद एवं अन्य अधीनस्थ पद सृजित किए गए। वर्ष 1988 में जनपद स्तरीय कार्यालय में पदस्थित श्रेणी–2 के पदों को अर्थ एवं संख्याधिकारी के पुनः पदाभिहीत संवर्ग में सम्मिलित और संविलीन किया गया। मण्डल स्तर पर सांख्यिकीय कार्यों के सम्पादन, विकास कार्यों के नियोजन एवं अनुश्रवण में मण्डलायुक्त के सहायतार्थ तथा प्रभागीय जनपद कार्यालय के पर्यवेक्षण हेतु वर्ष 1979 में उप निदेशक कार्यालय की स्थापना की गयी।

प्रभाग मुख्यालय का संगठनात्मक ढाँचा

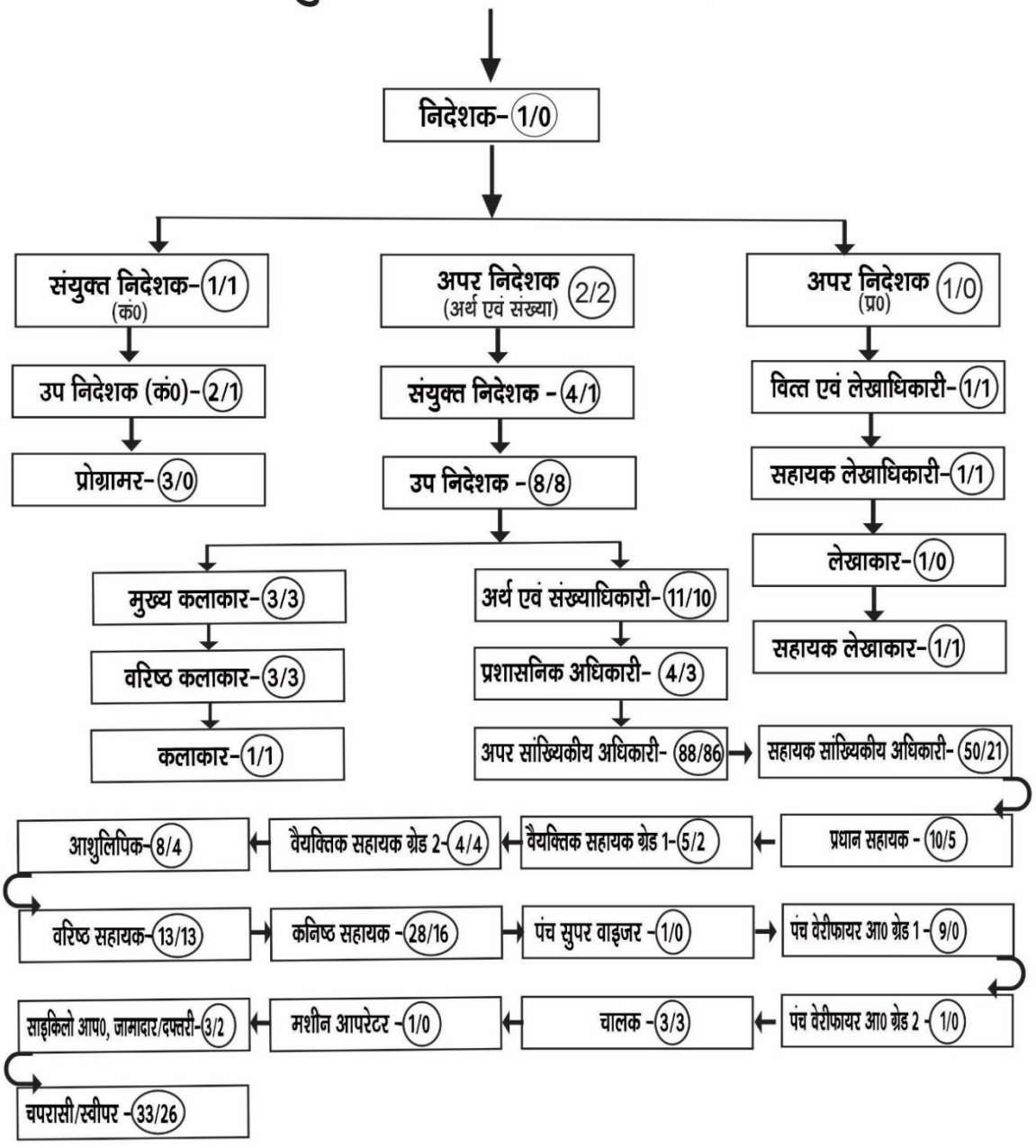

नोट-पदनाम के समक्ष दिनांक 31.03.2023 तक स्वीकृत/भरे पदों की संख्या प्रदर्शित की गई है।

मण्डल/जनपद का संगठनात्मक ढांचा

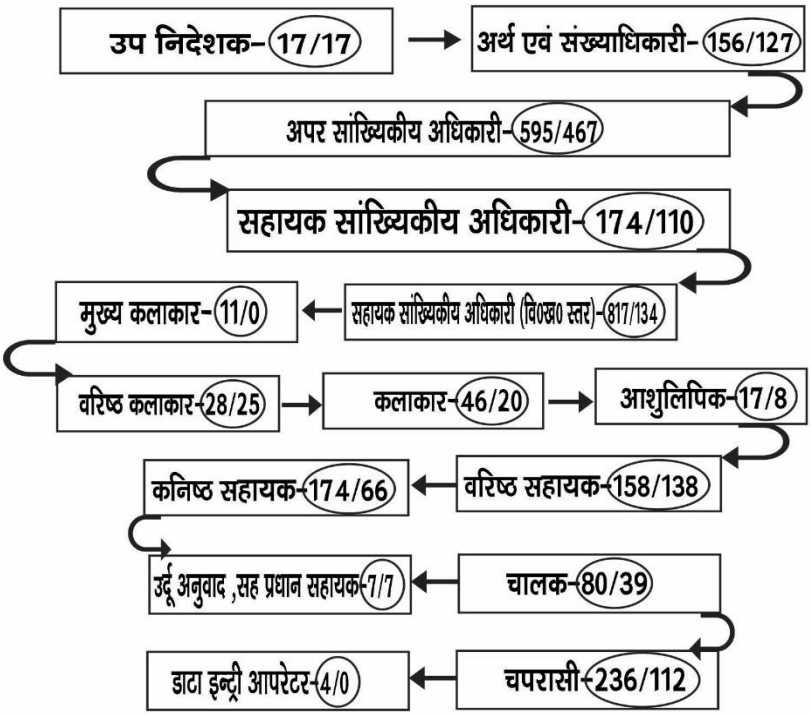

अन्य विभाग

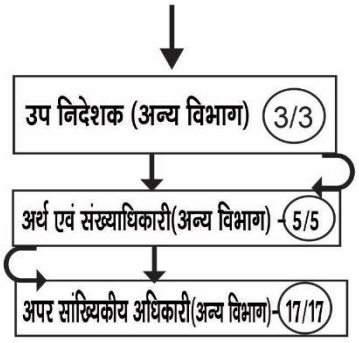

नोट-पदनाम के समक्ष दिनांक 31.03.2023 तक स्वीकृत/भरे पदों की संख्या प्रदर्शित की गई है।

प्रभाग मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों का नाम, पदनाम एवं आवंटित कार्य(दिनांक 26.8.2022)

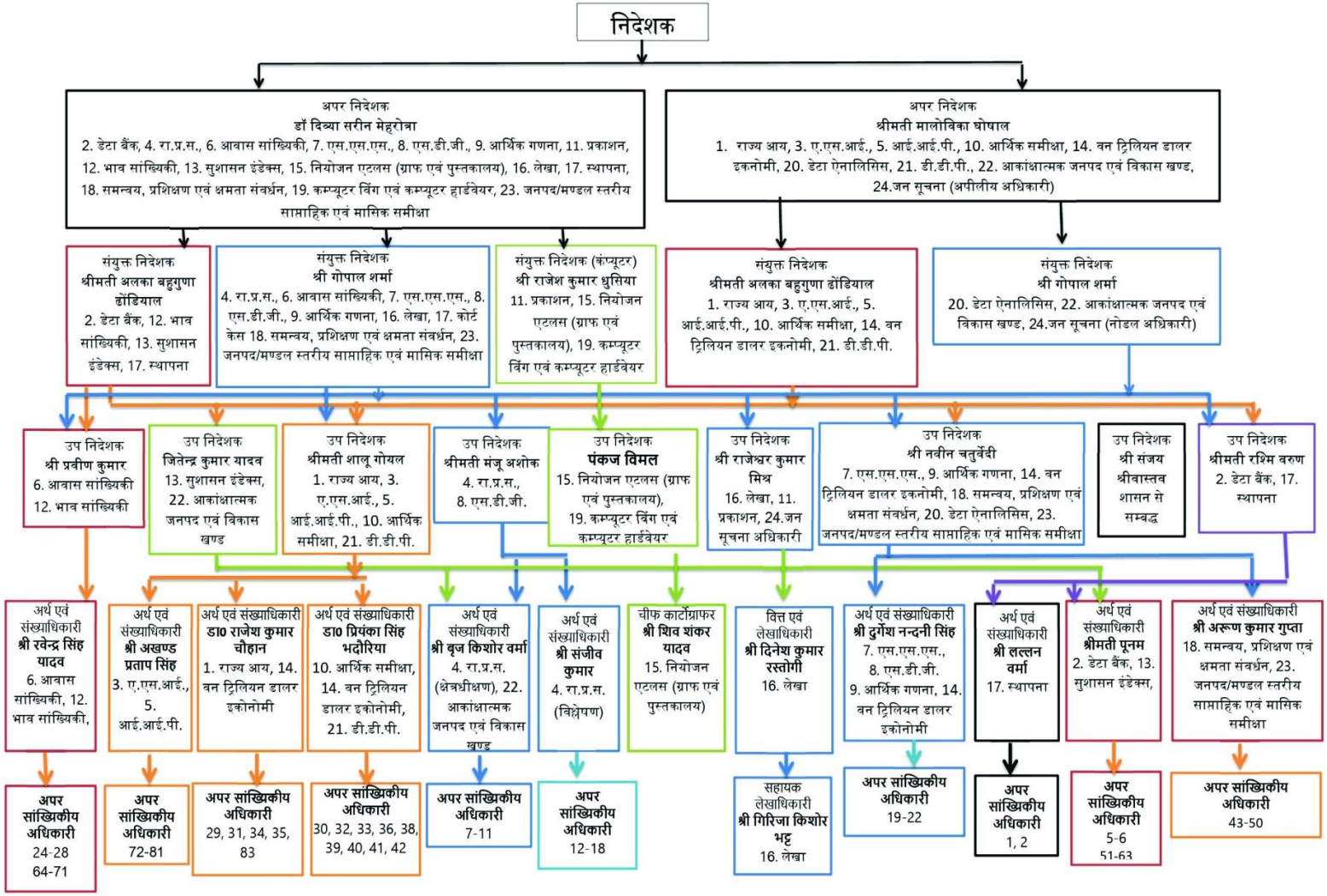

अपर सांख्यिकीय अधिकारी के नाम व कोड

1 कृष्ण मोहन मिश्रा
2 डा0 यज्ञ ब्रत द्विवेदी
3 दिनेश कुमार तिवारी
4 नरेन्द्र कुमार
5 वासुदेव भारती
6 गिरीश चन्द्र वर्मा
7 विचित्र कुमार साहू
8 अनुज कुमार सिंह
9 श्रीमती प्रीती कुमारी
10 वेद प्रकाश सिंह
11 राकेश कुमार
12 श्रीमती गार्गी
13 श्रीमती नीलम सिंह
14 श्रीमती शक्ति
15 श्रीमती शालिनी पाण्डेय
16 अजय कुमार
17 राहुल पाठक
18 डा0 राजेन्द्र तिवारी
19 सुश्री भास्वती मुखर्जी
20 कमलेश कुमार सिंह
21 दिनेश कुमार प्रथम
22 राजेन्द्र प्रसाद
24 रमेश कुमार त्रिपाठी
25 श्रीमती बीना सिंह
26 जगदीश प्रसाद शुक्ला
27 हीरा कुमार
28 अलिन्द उपाध्याय
29 जावेद अख्तर
30 श्रीमती संजूलता अवस्थी
31 सै0रजा इमाम
32 जीत लाल
33 श्रीमती सोमना वशिष्ठ
34 अर्पणा त्रिवेदी
35 निखिल चन्द्रा
36 कु0 आरती गुप्ता
37 अजय कुमार पाण्डेय
38 विवेक बाजपेयी
39 दुर्गेश कुमार सिंह
40 विरेन्द्र कुमार मौर्य
41 संदीप श्रीवास्तव
42 अनिल कुमार जाटव
43 श्रीमती जयश्री सिंह
44 श्रीमती आरती वर्मा
45 श्रीमती नीति शर्मा
46 राकेश कुमार
47 पंकज कुमार
48 प्रशान्त कुमार शुक्ला
49 श्रवण कुमार
50 अरविन्द कुमार सक्सेना
51 डा0 मंजू दीक्षित
52 श्रीमती रीता श्रीवास्तव
53 राजबली
54 सत्येन्द्र प्रसाद तिवारी
55 श्रीमती किरन कुमारी
56 श्रीमती गीतान्जलि
57 कौशलेश कुमार शुक्ल
58 गायत्री बाला गौतम
59 मो0 रियाजुद्दीन
60 कामता प्रसाद
61 राम अभिलाष पासी
62 वेद प्रकाश
63 कृष्ण कुमार
64 श्रीमती मनुप्रिया
65 रोहित कुमार वैश्य
66 राजाराम यादव
67 राज बहादुर वर्मा
68 आभा टण्डन
69 श्रीमती विजय पाल
70 प्रमोद कुमार श्रीवास्तव
71 रिचा श्रीवास्तव
72 पल्लवी श्रीवास्तव
73 कु0 प्रभा सिंह
74 कीर्ति आजाद चौरसिया
75 नीलेश कुमार
76 शिव शंकर पाल
77 मनोज कुमार सिंह
78 रमेश कुमार
79 विनोद कुमार
80 डा0 अर्चना रानी श्रीवास्तव
81 अजय कुमार
82 श्रीमती प्रीति पाल
83 डा0 अवनीन्द्र मिश्रा
84 मनीष कुमार
85 श्रीमती चेतना जायसवाल गुप्ता
86 विजय कुमार चौधरी

ONE TRILLION DOLLAR ECONOMY ORGANOGRAM DES, UP

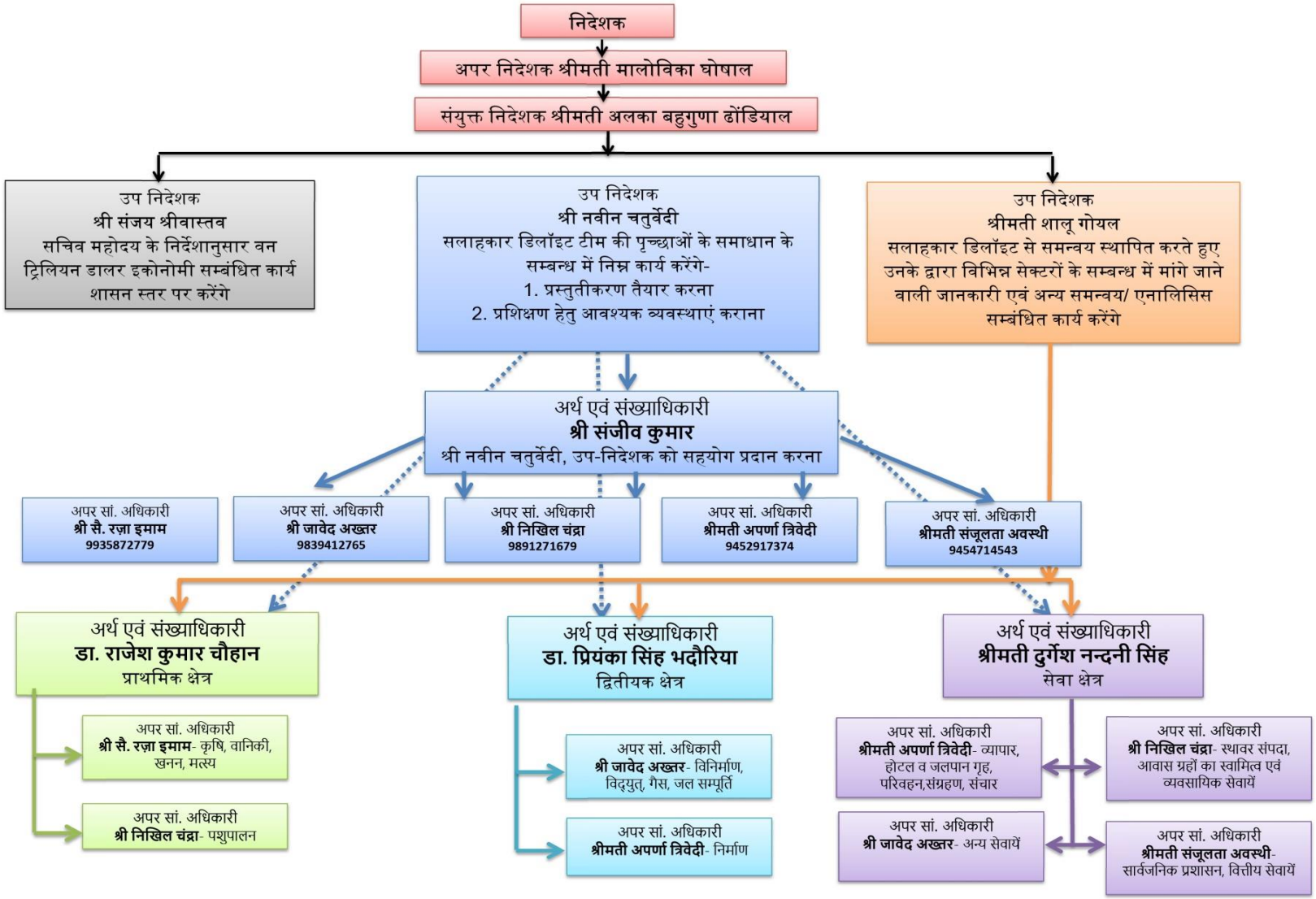

अर्थ एवं संख्या प्रभाग में दिनांक 31–03–2023 को स्वीकृत एवं भरे पदों की संकलित स्थिति निम्नवत् रही–

राजपत्रित			अराजपत्रित			योग		
कुल स्वीकृत पद	भरे हुए पद		कुल स्वीकृत पद	भरे हुए पद		कुल स्वीकृत पद	भरे हुए पद	
	कुल	अनुसूचित जाति/जनजाति		कुल	अनुसूचित जाति/जनजाति		कुल	अनुसूचित जाति/जनजाति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
926	750	181/8	1924	763	178/7	2850	**1513**	359/15

1.1 प्रभाग की स्थापना के मुख्य उद्देश्य

(1) प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नियमित समीक्षा करना तथा उसके निष्कर्षों से राज्य सरकार को अवगत कराना एवं परामर्श देना।
(2) प्रदेश के आर्थिक नियोजन हेतु विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक विषयों पर आँकड़ों का एकत्रीकरण, प्रशोधन, विश्लेषण एवं प्रकाशन।
(3) राज्य सरकार की नियोजन प्रक्रिया में वांछित सहयोग देना।
(4) केन्द्र तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को उनकी आवश्यकतानुसार आँकड़ों की आपूर्ति।
(5) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सांख्यिकीय कार्यों में सामन्जस्य स्थापित करना तथा व्यवस्थित एवं तार्किक आधार पर सांख्यिकीय कार्यों को समुचित दिशा प्रदान करना।
(6) विकास कार्यक्रमों की प्रगति का संकलन, सत्यापन एवं अनुश्रवण कार्य में सहयोग देना।
(7) जिला योजनाओं की संरचना एवं अनुश्रवण।

1.2 प्रभाग की प्रमुख गतिविधियाँ

I. प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नियमित समीक्षा करना।
II. प्राथमिक और द्वितीयक आँकड़ों का एकत्रीकरण, संकलन, विश्लेषण तथा प्रसार करना।
III. राज्य में कार्यान्वित विभिन्न विकास योजनाओं के संकलन, सत्यापन एवं अनुश्रवण कार्य में सहयोग प्रदान करना।
IV. जिला योजना को तैयार करना तथा उसका अनुश्रवण करना।

1.2.1 गतिविधि–I के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्य

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अग्रिम, त्वरित, संशोधित और तिमाही अनुमान तैयार करना।
- सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमानों को तैयार करना।
- जनपदीय घरेलू उत्पाद के अनुमान को तैयार करना।
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का निर्माण।
- थोक भाव सूचकांक, ग्रामीण एवं नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक तथा ग्रामीण और नगरीय मजदूरी दर सूचकांक का निर्माण।

1.2.2 गतिविधि–II के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्य

- राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण के अन्तर्गत राज्य प्रतिदर्श का सर्वेक्षण एवं सम्बन्धित रिपोर्ट का प्रकाशन करना।
- 47 आवश्यक वस्तुओं का भाव संग्रह एवं संकलन करना।
- सांख्यिकीय डायरी, जिला और मण्डलीय सांख्यिकीय पत्रिका, जिलेवार विकास संकेतांकों, अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक सांख्यिकी आदि का प्रकाशन करना।
- ग्रामवार आधारभूत आँकड़ों का संग्रह करना।

- आवास सांख्यिकी से सम्बन्धित आँकड़ों का संग्रह करना।
- भवन निर्माण लागत सूचकांक तैयार करना।

  उक्त से सम्बन्धित प्राथमिक आँकड़ों का एकत्रण जनपदीय कार्यालय के माध्यम से कराया जाता है।

1.2.3 गतिविधि–III एवं IV के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्य

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किये जाने वाले प्रमुख कार्य

- नियमित रूप से प्रभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्राथमिक आँकड़ों का संग्रह, मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट का संकलन तथा जिला एवं मण्डलीय प्रशासन को योजनाओं के सही क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- जनपद/मण्डल में कार्यान्वित विभिन्न विकास योजनाओं का भौतिक सत्यापन करना।
- उ०प्र०सरकार के नियोजन विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं यथा–राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, यूनिक आइडेन्टिफिकेशन, त्वरित आर्थिक विकास योजना, नवाचार निधि इत्यादि के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करना।
- जिला योजना को तैयार करना और उसकी जिला योजना समिति से मंजूरी प्राप्त करना।

1.3 प्रभाग मुख्यालय पर अनुभागीय संरचना

प्रभाग मुख्यालय पर प्रशासनिक प्रबन्धन एवं कार्य सम्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित अनुभागों के अन्तर्गत कार्य संचालित किये जा रहे हैं –

1. राज्य आय अनुभाग
2. क्षेत्राधीक्षण रा0प्र0स0–1 अनुभाग
3. विश्लेषण रा0प्र0स0–2 अनुभाग
4. डेटा बैंक अनुभाग
5. भाव अनुभाग
6. औद्योगिक सांख्यिकी अनुभाग
7. आवास सांख्यिकी अनुभाग
8. संगणक अनुभाग
9. ग्राफ एवं पुस्तकालय अनुभाग
10. वाह्य सहायतीत कार्यक्रम एवं सर्वेक्षण अनुभाग
11. समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग
12. प्रकाशन एवं प्रचार अनुभाग
13. एस0डी0जी0 सेल
14. स्थापना अनुभाग
15. लेखा अनुभाग–1
16. लेखा अनुभाग–2

1.4 प्रभाग में स्वीकृत पद

1.4.1 प्रभाग मुख्यालय पर स्वीकृत पदों की स्थिति (31.03.2023)

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान, ग्रेड पे	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)
	समूह 'क'		
1.	निदेशक, अर्थ एवं संख्या	37400–67000, 8900 लेवल 13क – 131100	1
2.	अपर निदेशक (प्रशासन)	37400–67000, 8700 लेवल 13 – 118500	1
3.	अपर निदेशक	37400–67000, 8700 लेवल 13 – 118500	2
4.	संयुक्त निदेशक	15600–39100, 7600 लेवल 12 – 78800	4
5.	संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर)	15600–39100, 7600 लेवल 12 – 78800	1
6.	उप निदेशक	15600–39100, 6600 लेवल 11– 67700	8
7.	उप निदेशक (कम्प्यूटर)	15600–39100, 6600 लेवल 11– 67700	2
	योग		**19**
	समूह 'ख'		
8.	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600–39100, 5400 लेवल 10– 56100	11
9.	प्रोग्रामर	15600–39100, 5400 लेवल 10– 56100	3
10.	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	88
11.	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	4
12.	वित्त एवं लेखाधिकारी	15600–39100, 5400 लेवल 10– 56100	1
13.	सहायक लेखाधिकारी	आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उ0प्र0 द्वारा सृजित पद के वेतनमान का उल्लेख नहीं	1
14.	मुख्य कलाकार	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	1
	योग		**109**
	योग राजपत्रित 'क' व 'ख'		**128**

	समूह 'ग'		
15.	मुख्य कलाकार	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	2
16.	वरिष्ठ कलाकार	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400	3
17.	कलाकार	5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	1
18.	लेखाकार	आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उ0प्र0 द्वारा सृजित पद के वेतनमान का उल्लेख नहीं	1
19.	सहायक लेखाकार	तदैव	1
20.	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400	50
21.	प्रधान सहायक	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400	10
22.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	5
23.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400	12
24.	आशुलिपिक	5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	1
25.	वरिष्ठ सहायक	5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	13
26.	कनिष्ठ सहायक/अवधाता	5200–20200,2000 लेवल 3– 21700	28
27.	पंच सुपरवाइजर	5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	1
28.	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड–1	5200–20200,2400 लेवल 4– 25500	9
29.	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड–2	5200–20200,1900 लेवल 2– 19900	1
30.	जीप चालक	5200–20200,1900 लेवल 2– 19900	3
	योग		**141**
	समूह 'घ'		
31.	मशीन आपरेटर	5200–20200,1800 लेवल 1– 18000	1
32.	साइक्लोस्टाइल आपरेटर, जमादार, दफ्तरी	5200–20200,1800 लेवल 1– 18000	3
33.	कार्यालय चपरासी, फर्राश, अर्दली, चौकीदार, पानीवाला, स्वीपर	5200–20200,1800 लेवल 1– 18000	33
	योग		**37**
	महायोग		**306**

1.4.2 प्रभाग के प्रत्येक मण्डल स्तरीय कार्यालयों में स्वीकृत पदों की स्थिति (31.03.2023)

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान, ग्रेड पे	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उप निदेशक	15600–39100, 6600 लेवल 11– 67700	1#
2.	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600–39100, 5400 लेवल 10– 56100	1
3.	मुख्य कलाकार/वरिष्ठ कलाकार	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	1
4.	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	3
5.	आशुलिपिक	5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	1
6.	वरिष्ठ सहायक	5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	1
7.	कनिष्ठ सहायक	5200–20200,2000 लेवल 3– 21700	1–2
8.	उर्दू अनुवादक/सह वरि0 सहायक	5200–20200,2400 लेवल 4– 25500	1′
9.	जीप चालक	5200–20200,1900 लेवल 2– 19900	1′′
10.	चपरासी	5200–20200,1800 लेवल 1– 18000	1–3

#अलीगढ मण्डल पर उप निदेशक का पद सृजित नहीं है।

′ मात्र 7 मण्डलीय कार्यालयों यथा बरेली, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ तथा अयोध्या में ही उर्दू अनुवादक के पद सृजित है। इन कार्यालयों में कनिष्ठ सहायक का एक ही पद स्वीकृत है।

′′ देवीपाटन, बस्ती तथा चित्रकूटधाम मण्डल कार्यालय में पद सृजित नहीं है।

1.4.3 प्रभाग के जनपद स्तरीय कार्यालयों में स्वीकृत पदों की स्थिति (31–03–2023)

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान, ग्रेड पे	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600–39100, 5400 लेवल 10– 56100	2′
2.	वरिष्ठ कलाकार/कलाकार	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400 5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	1
3.	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	4–9′′
4.	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400	1–7′′
5.	वरिष्ठ सहायक	5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	1–2′′
6.	कनिष्ठ सहायक	5200–20200,2000 लेवल 3– 21700	2#
7.	डेटा इन्ट्री आपरेटर दैनिक	–	1##
8.	जीप चालक	5200–20200,1900 लेवल 2– 19900	1
9.	चपरासी	5200–20200,1800 लेवल 1– 18000	1–3′′

12 जनपदों–कन्नौज, बागपत, औरैया, कानपुर नगर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, श्रावस्ती, भदोही, अमरोहा एवं रामपुर में अर्थ एवं संख्याधिकारी के 1 ही पद सृजित हैं।

′′ जनपद में कार्य की आवश्यकतानुसार पद सृजित हैं।

#जनपद कानपुर नगर में एक ही पद सृजित है।

4 जनपदों–कन्नौज, बागपत, औरैया व संतकबीर नगर में ही यह पद सृजित है।

31 मार्च, 2023

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 के अधिकारियों/कर्मचारियों का समूहवार विवरण

क्र0 सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5
	राजपत्रित समूह क			
1.	निदेशक, अर्थ एवं संख्या	1	0	1
2.	अपर निदेशक	2	2	0
3.	अपर निदेशक (प्रशासन)	1	0	1
4.	संयुक्त निदेशक	4	1	3
5.	संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर)	1	1	0
6.	उप निदेशक	28	27	1
7.	उप निदेशक (कम्प्यूटर)	2	1	1
	योग (समूह क)	**39**	**32**	**7**
	समूह ख			
8.	प्रोग्रामर	3	0	3
9.	अर्थ एवं संख्याधिकारी	172	142	30
10.	प्रशासनिक अधिकारी	4	3	1
11.	वित्त लेखाधिकारी	1	1	0
12.	सहायक लेखाधिकारी	1	1	0
13.	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	692	570	122
14.	मुख्य ग्राफ आर्टिस्ट परिवर्तित पदनाम मुख्य कलाकार	14	1	13
	योग (समूह ख)	**887**	**718**	**169**
	समूह ग			
15.	वरिष्ठ कलाकार	33	28	5
16.	कलाकार	52	21	31
17.	लेखाकार	1	0	1
18.	सहायक लेखाकार	1	1	0
19.	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	1041	266	775
20.	वैयक्तिक सहायक, ग्रेड-1	5	2	3
21.	वैयक्तिक सहायक, ग्रेड-2	12	6	6
22.	आशुलिपिक	18	10	8
23.	प्रधान सहायक	10	5	5
24.	वरिष्ठ सहायक	171	151	20
25.	कनिष्ठ सहायक/अवधाता	202	83	119
26.	उर्दू अनुवादक/ सह वरि0 सहायक	7	7	0
27.	पंच सुपरवाइजर	1	0	1
28.	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड-1	9	0	9
29.	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड-2	1	0	1
30.	जीप चालक	83	42	41
31.	डाटा इन्ट्री आपरेटर दैनिक	4	0	4
	योग (समूह ग)	**1651**	**622**	**1029**

	समूह घ			
32.	मशीन आपरेटर	1	0	1
33.	साइक्लोस्टाइल आपरेटर, जमादार, दफ्तरी	3	2	1
34.	कार्यालय चपरासी, फर्राश, अर्दली, चौकीदार, पानीवाला, स्वीपर	269	139	130
	योग (समूह घ)	**273**	**141**	**132**
	महायोग	**2850**	**1513**	**1337**

दिनांक 31.03.2023 से प्रभाग में कुल स्वीकृत एवं भरे पदों की स्थिति											
क्र0 सं0	**पदनाम**	**वेतनमान**			**स्वीकृत पद संख्या**	**भरे पद (संख्या में)**					
						आरक्षित					
		वेतन -बैंड (रू0में)	**ग्रेड - बैंड (रू0 में)**	**लेवल**		**सामान्य**	**अनु0 जा0**	**अनु0ज0जा0 जन0**	**अन्य पिछड़ा वर्ग**	**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ई. डब्ल्यू. एस.**	**योग**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	राजपत्रित समूह 'क'	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.	निदेशक, अर्थ एवं संख्या	37400-67000,	8900	13 क	1	–	–	–	–	–	–
2.	अपर निदेशक	37400-67000	8700	13	2	2	–	–	–	–	2
3.	अपर निदेशक (प्रशासन)				1	–	–	–	–	–	–
4.	संयुक्त निदेशक	15600-39100	7600	12	4	1	–	–	–	–	1
5.	संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर)	15600-39100	7600	12	1	–	1	–	–	–	1
6.	उप निदेशक	15600-39100	6600	11	28	15	5	–	7	–	27
7.	उप निदेशक (कम्प्यूटर)	15600-39100	6600	11	2	–	1	–	–	–	1
	राजपत्रित समूह 'क' योग				**39**	**18**	**7**	**0**	**7**	–	**32**
	राजपत्रित समूह'ख'										
8.	प्रोग्रामर	15600-39100	5400	10	3	–	–	–	–	–	–
9.	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600-39100	5400	10	172	64	23	–	55	–	142
10.	प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800	4600	7	4	3	–		–	–	3
11.	वित्त एवं लेखाधिकारी	15600-39100	5400	10	1	1	–		–	–	1
12.	सहायक लेखाधिकारी	9300-34800	4600	7	1	1	–		–	–	1
13.	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	9300-34800	4600	7	692	188	151	8	223	–	570

दिनांक 31.03.2023 से प्रभाग में कुल स्वीकृत एवं भरे पदों की स्थिति											
क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान			स्वीकृत पद संख्या	भरे पद (संख्या में)					
		वेतन -बैंड (रू0में)	ग्रेड - बैंड (रू0 में)	लेवल		आरक्षित					योग
						सामान्य	अनु0 जा0	अनु0ज0जा0 जन0	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ई. डब्ल्यू. एस.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	मुख्य ग्राफ आर्टिस्ट परिवर्तित पदनाम मुख्यकलाकार	9300-34800	4600	7	14	_	_	_	1	_	1
	राजपत्रित समूह 'ख' योग				**887**	**257**	**174**	**8**	**279**	_	**718**
	अराजपत्रित समूह 'ग'									_	
15.	वरिष्ठ कलाकार	9300-34800	4200	6	33	9	8	_	11	_	28
16.	कलाकार	9300-34800	2800	5	52	6	4	_	11	_	21
17.	लेखाकार				1			_		_	
18.	सहायक लेखाकार				1	1		_		_	1
19.	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	9300-34800	4200	6	1041	134	53	_	79	_	266
20.	वैयक्तिक सहायक, ग्रेड-1	9300-34800	4600	7	5	2	_	_	_	_	2
21.	वैयक्तिक सहायक, ग्रेड-2	9300-34800	4200	6	12	1	2	_	3	_	6
22.	आशुलिपिक	5200-20200	2800	5	18	2	2	_	6	_	10
23.	प्रधान सहायक	9300-34800	4200	6	10	3	1	_	1	_	5
24.	वरिष्ठ सहायक	5200-20200	2800	5	171	53	54	3	41		151
25.	कनिष्ठ सहायक/अवधाता	5200-20200	2000	3	202	19	10	_	54	_	83
26.	उर्दू अनुवादक/सह वरिष्ठ सहायक	5200-20200	2400	4	7	6	_	_	1	_	7
27.	पंच सुपरवाइजर	5200-20200	2800	5	1	_	_	_	_	_	
28.	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड-1	5200-20200	2400	4	9	_	_	_	_	_	_
29.	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड-2	5200-20200	1900	2	1	_	_	_	_	_	
30.	जीप चालक	5200-20200	1900	2	83	18	8	1	15	_	42
31.	डाटा इन्ट्री आपरेटर				4	_	_		_	_	_
	समूह 'ग' योग				**1651**	**254**	**142**	**4**	**22**	_	**622**
32.	मशीन आपरेटर	5200-20200	1800	1	1	_	_	_	_	_	_
33.	साइक्लोस्टाइल आपरेटर, जमादार, दफतरी	5200-20200	1800	1	3	2	_	_	_	_	2

दिनांक 31.03.2023 से प्रभाग में कुल स्वीकृत एवं भरे पदों की स्थिति											
क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान			स्वीकृत पद संख्या	भरे पद (संख्या में)					
		वेतन -बैंड (रू0में)	ग्रेड - बैंड (रू0 में)	लेवल		आरक्षित					योग
						सामान्य	अनु0 जा0	अनु0ज0जा0 जन0	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ई. डब्ल्यू. एस.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	अराजपत्रित समूह 'घ'										
34.	कार्यालय चपरासी, फर्राश, अर्दली, चौकीदार, पानीवाला, स्वीपर	5200-20200	1800	1	269	57	36	3	43	_	139
	समूह 'घ' योग				**273**	**59**	**36**	**3**	**43**		**141**
	योग				**2850**	**588**	**359**	**15**	**551**	_	**1513**

1.5 प्रभाग मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय के भवनों की स्थिति

वर्तमान में प्रभाग मुख्यालय का कार्यालय 9, सरोजिनी नायडू मार्ग, योजना भवन परिसर, लखनऊ स्थित अर्थ एवं संख्या भवन में स्थापित है। मण्डलीय उप निदेशक(अर्थ एवं संख्या) के 8 कार्यालय – आजमगढ़, अयोध्या, चित्रकूटधाम, अलीगढ़, झाँसी, बस्ती, कानपुर एवं लखनऊ मण्डल शासकीय भवन में तथा शेष 10 मण्डल कार्यालय निजी भवन में स्थापित हैं। 73 जनपदो के अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय विकास भवन में स्थित एवं शेष 02 जनपदों के कार्यालय निजी भवनों में स्थित है।

******

अध्याय–2
राज्य लेखा सांख्यिकी

2.0 पृष्ठभूमि

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के राज्य आय अनुभाग में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जाते हैं–

1. राज्य आय अनुमान।
2. जिला आय अनुमान।
3. उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण।
4. उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा।
5. उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आँकड़े।
6. स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण सम्बन्धी कार्य।

2.1 राज्य आय अनुमान (State Income Estimates)

2.1.1 सामान्य परिचय

- राज्य आय अनुमान एक वर्ष की अवधि में राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के परिमाण का मापक है।
- राज्य आय अनुमान स्थायी एवं प्रचलित भावों पर तैयार किये जाते हैं। स्थायी भावों पर तैयार अनुमान भाव परिवर्तन के प्रभाव से मुक्त होने के कारण अर्थव्यवस्था में हुई वास्तविक वृद्धि को दर्शाते हैं।
- सकल राज्य आय से स्थायी पूँजी के उपयोग/ह्रास को घटाने पर निवल राज्य अनुमान प्राप्त होते हैं।
- अर्थव्यवस्था के आर्थिक स्तर के बोध के लिए विभिन्न राज्यों की तुलनात्मक आर्थिक स्थिति ज्ञात करने, समय के साथ अर्थव्यवस्था की खण्डीय संरचना में हुए परिवर्तन का संज्ञान करने एवं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु इन अनुमानों का प्रयोग किया जाता है।

2.1.2 राज्य स्तरीय अनुमानों की पृष्ठभूमि व आधार वर्ष

- अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा राज्य आय के अनुमान वर्ष 1950–51 से निरन्तर तैयार किये जा रहे हैं।
- सर्वप्रथम आधार वर्ष 1948–49 पर राज्य आय अनुमान तैयार किये गये। तद्पोरान्त आधार वर्ष 1960–61, 1970–71, 1980–81, 1993–94, 1999–2000 व 2004–05 एवं 2011–12 पर अनुमान तैयार किये गये तथा वर्तमान में आधार वर्ष 2011–12 पर अनुमान तैयार किये जा रहे है। वर्ष 2022–23 तक आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2011–12 से वर्ष 2022–23 (अग्रिम) तक के अनुमान तैयार किये गये हैं।

2.1.3 खण्डीय संरचना व आँकड़ों के स्रोत

- अर्थव्यवस्था के समस्त आर्थिक क्रिया–कलापों को 11 खण्डों में विभाजित कर खण्डवार आय अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- उक्त क्रिया–कलापों/खण्डों को 3 प्रमुख खण्डों यथा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक खण्डों में वर्गीकृत किया गया है।
- आय अनुमान तैयार करने हेतु प्रदेश के विभिन्न विभागों यथा कृषि, उद्यान, राजस्व, पशुपालन, वन, मत्स्य, खनिज, विद्युत, परिवहन, भण्डारण आदि प्रदेश के स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थानों, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, राज्य सरकार के बजट अभिलेख, जनगणना 2011 तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा केन्द्रीय अंश के उपलब्ध कराये गये आँकड़ों का प्रयोग किया जाता है। असंगठित क्षेत्र के अनुमान तैयार करने हेतु नवीनतम् सर्वेक्षणों/अध्ययनों के उपलब्ध परिणामों का प्रयोग किया जाता है।

2.1.4 कियाविधि

- राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध करायी गयी कियाविधि एवं दिशा–निर्देशन का अनुसरण करके अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- राज्य आय अनुमान के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था के समस्त आर्थिक क्रिया–कलापों का मापन निहित है। अतः विभिन्न खण्डों के लिये आय मापन हेतु अलग–अलग विधि यथा प्रोडक्शन अप्रोच, इनकम अप्रोच एवं एक्सपेंडिचर अप्रोच का प्रयोग किया जाता है।

- राज्य आय के वार्षिक अनुमानों को प्रदेश की सांख्यिकीय समन्वय समिति की उपसमिति ''क्षेत्रफल, जनसंख्या, राज्य आय एवं आर्थिक सूचकांक'' की बैठक आयोजित कराकर विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों पर गहन विचार–विमर्श के उपरान्त आँकड़ों की पुष्टि कराकर अंतिम रूप दिया जाता है।
- वार्षिक आय अनुमानों को राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ प्रत्येक वर्ष तुलनात्मक विचार–विमर्श एवं अधुनान्त उपलब्ध आँकड़ों के क्रम में संशोधित कर परिष्कृत किया जाता है।

2.1.5 वार्षिक कैलेंडर

वर्षान्तर्गत राज्य आय के त्वरित, अग्रिम व संशोधित अनुमान वार्षिक आधार पर तथा त्रैमासिक अनुमान निर्गत किये जाते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अपेक्षानुसार उक्त तैयार अनुमानों को जारी करने हेतु कैलेंडर का निर्धारण किया गया जो निम्नवत् है–

Revised Advance Release Calendar For Releasing Estimates of GSDP

क्र0 सं0	आय अनुमान	निर्धारित तिथि
1.	राज्य आय के अग्रिम अनुमान	15 फरवरी
2.	राज्य आय के संशोधित अनुमान	30 जून
3.	राज्य आय के त्रैमासिक अनुमान Q1 (अप्रैल–जून)	30 सितम्बर
4.	राज्य आय के त्रैमासिक अनुमान Q2 (जुलाई–सितम्बर)	15 जनवरी
5.	राज्य आय के त्रैमासिक अनुमान Q3 (अक्टूबर–दिसम्बर)	31 मार्च
6.	राज्य आय के त्रैमासिक अनुमान Q4 (जनवरी–मार्च)	15 जुलाई
7.	राज्य आय के त्वरित अनुमान *	31 दिसम्बर

*राज्य आय अनुमान, उत्तर प्रदेश (वार्षिक प्रकाशन) जारी किये गये राज्य के त्वरित अनुमान के आधार पर तैयार किया जाता है, जो कि विधान मण्डल में वितरित किया जाता है।

2.1.6 वर्ष 2022–23 में सम्पादित कार्य

- आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2011–12 से वर्ष 2021–22 तक के प्रचलित एवं स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) व निवल राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) के अनुमान तैयार करने हेतु प्रदेश की सांख्यिकीय समन्वय समिति की गठित उपसमिति ''क्षेत्रफल, जनसंख्या, राज्य आय एवं आर्थिक सूचकांक'' की दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 को आयोजित बैठक में विभिन्न खण्डों के आँकड़ों की पुष्टि करायी गयी।
- उक्त अनुमानों से सम्बन्धित विषयवस्तु, विभिन्न परिणामों की तालिकायें/ग्राफ/चार्ट तैयार करके एवं विश्लेषण कर प्रभाग का वार्षिक प्रकाशन ''राज्य आय अनुमान वर्ष 2011–12 से वर्ष 2021–22'' तैयार कर प्रकाशित कराया गया, जो कि नियोजन विभाग के बजट साहित्य के अन्तर्गत बजट सत्र में विधानमण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित की जाती है।
- प्रचलित एवं स्थायी भावों पर वर्ष 2022–2023 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) व निवल राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) के अग्रिम अनुमान तैयार किये गये।
- वर्षान्तर्गत निम्न 4 त्रैमासों के प्रचलित एवं स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) व निवल राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) के अनुमान निर्धारित कैलेन्डर के अनुरूप तैयार किये गये–
    - माह जनवरी 2022 से मार्च 2022– चतुर्थ त्रैमास (वर्ष 2021–22)
    - माह अप्रैल 2022 से जून 2022– प्रथम त्रैमास (वर्ष 2022–23)
    - माह जुलाई 2022 से सितम्बर 2022– द्वितीय त्रैमास (वर्ष 2022–23)
    - माह अक्टूबर 2022 से दिसम्बर 2022– तृतीय त्रैमास (वर्ष 2022–23)

2.1.7 प्रशिक्षण/सेमिनार/वर्कशाप/प्रस्तुतीकरण

राज्य आय के अनुमानों के आंकलन को सुदृढ़ करने, विभिन्न लाइन विभागों को राज्य आय के concepts के सम्बन्ध में sensitize करने एवं विभिन्न सम्बन्धित कार्मिकों की दक्षतावर्धन के लिए राज्य द्वारा वर्षान्तर्गत विभिन्न विशेष पहल की गयीं।

राज्य के विशेष प्रयास के तहत राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयए MoSPI के साथ दिनांक 24.06.2022 को नई दिल्ली में एक दिवसीय "Session on Disscussion of SDP, Methodology" का आयोजन कराया गया जिसमें UPDES के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग करते हुए यथोचित परिचर्चा की गयी। SDP, Methodology पर अग्रेत्तर विचार–विमर्श हेतु दिनांक 23.02.2023 को प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के नेतृत्व में अर्थ एवं संख्या प्रभाग के अधिकारियों की टीम का राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, MoSPI के साथ नई दिल्ली में परिचर्चा सत्र आयोजित किया गया।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में प्रत्येक मंगलवार को शासन के प्राथमिकता के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में आयोजित विडियों कान्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारियों के साथ GDP/GSDP के आंकलन से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी साझा करने हेतु निम्न विषय पर नियोजन विभाग की ओर से प्रस्तुतीकरण किया गया–

दिनांक 28.02.2023 को ''राज्य आय में Manufacturing Sector का योगदान एवं जिलों की भूमिका''
दिनांक 27.07.2023 को ''जी0डी0पी0 का आंकलन एवं उपयोग''

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनामी बनाये जाने के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के समक्ष प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग द्वारा दिनांक 27.02.2023 से 03.03.2023 तक विभिन्न सेक्टरों के प्रस्तुतीकरण किये गये।

दिनांक	सेक्टर
27.02.2023	कृषि
28.02.2023	पशुधन, मत्स्य एवं वन
01.03.2023	खनन, पर्यटन एवं कर
02.03.2023	ऊर्जा, निर्माण, परिवहन एवं आवास
03.03.2023	उद्योग

दिनांक 29.08.2022 से दिनांक 02.09.2022 के मध्य साख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा Regional workshop on Estimation of State Income And Related Aggregate 2022–23 का आयोजन लखनऊ में किया।

उक्त कार्यशाला के आयोजन का उत्तर दायित्व अर्थ एवं संख्या, उत्तर प्रदेश को दिया गया जिसको सफलतापूर्वक Hotel Lemon Tree में किया गया जिसमें प्रदेश सहित मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखण्ड, आसाम, दादर नगर हवेली एवं दमन व द्वीव कुल 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशो से आये प्रतिनिधियों को राज्य आय अनुमान से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

इस कार्यशाला की ही अवधि के दौरान मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 01.09.2022 को आयोजित विशेष सत्र में प्रदेश के विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों द्वारा NSO MoSPI भारत सरकार से आये अधिकारियों के साथ उ0प्र0 को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के परिप्रेक्ष्य में चर्चा की गयी।

राज्य आय/जिला आय से सम्बन्धित विभिन्न विभागों से ससमय आंकड़ों की प्राप्ति हेतु मुख्य सचिव स्तर से शासनादेश दिनांक 09.02.2023 जारी कराया गया।

2.1.8 मुख्य परिणाम

भारत तथा उत्तर प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद*

वर्ष	प्रचलित भावों पर सकल आय (करोड़ रू0)		उत्तर प्रदेश का भारत से प्रतिशत	स्थायी (2011–12) भावों पर सकल आय (करोड रू0)		उत्तर प्रदेश का भारत से प्रतिशत	स्थायी (2011–12) भावों पर सकल आय में गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	
	भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011-12	8736329	724050	8.3	8736329	724050	8.3		
2012-13	9944013	822393	8.3	9213017	758205	8.2	5.5	4.7
2013-14	11233522	940356	8.4	9801370	802070	8.2	6.4	5.8
2014-15	12467959	1011790	8.1	10527674	834432	7.9	7.4	4.0
2015-16	13771874	1137808	8.3	11369493	908241	8.0	8.0	8.8
2016-17	15391669	1288700	8.4	12308193	1011501	8.2	8.3	11.4
2017-18	17090042	1439926	8.4	13144582	1056399	8.0	6.8	4.4
2018-19	18899668	1582180	8.4	13992914	1097353	7.8	6.5	3.9
2019-20	20074856	1700530	8.5	14515958	1140712	7.9	3.7	4.0
2020-21	19829927	1641801	8.3	13687118	1077534	7.9	-5.7	-5.5
2021-22	23471012	1916913	8.2	14925840	1181361	7.9	9.1	9.6
2022-23	27203767	2191381	8.1	15971090	1278934	8.0	7.0	8.3

भारत तथा उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय*

वर्ष	प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय (करोड़ रू0)		उत्तर प्रदेश का भारत से प्रतिशत	स्थायी (2011–12) भावों पर प्रति व्यक्ति आय (करोड़ रू0)		उत्तर प्रदेश का भारत से प्रतिशत	स्थायी (2011–12) भावों पर प्रति व्यक्ति आय में गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	
	भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011-12	63462	32002	50.4	63462	32002	50.4		
2012-13	70983	35812	50.5	65538	32908	50.2	3.3	2.8
2013-14	79118	40124	50.7	68572	34044	49.6	4.6	3.5
2014-15	86647	42267	48.8	72805	34583	47.5	6.2	1.6
2015-16	94797	47118	49.7	77659	36973	47.6	6.7	6.9
2016-17	104880	52671	50.2	83003	40847	49.2	6.9	10.5
2017-18	115224	57944	50.3	87586	41771	47.7	5.5	2.3
2018-19	125946	62350	49.5	92133	42333	45.9	5.2	1.3
2019-20	132115	65677	49.7	94270	43019	45.6	2.3	1.6
2020-21	127065	61374	48.3	86054	39298	45.7	-8.7	-8.6
2021-22	148524	70792	47.7	92583	42525	45.9	7.6	8.2
2022-23	172000	80994	47.1	98118	46102	47.0	6.0	8.4

भारत तथा उत्तर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन उत्पाद का प्रतिशत वितरण (प्रचलित भावों पर) *

खण्ड	2011–12		2016–17		2017–18		2018–19		2019–20		2020–21		2021–22		2022–23	
	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन	18.5	26.9	18.0	24.8	18.3	24.6	17.6	24.4	18.3	24.5	20.3	26.8	19.0	27.1	18.4	26.2
प्राथमिक	21.7	27.8	20.4	25.8	20.4	26.6	19.8	26.1	20.3	25.6	22.1	28.1	21.0	28.4	20.8	27.9
विनिर्माण	17.4	12.9	16.7	15.1	16.6	13.4	16.4	12.0	14.7	11.6	15.4	11.6	15.8	12.2	14.7	13.3
माध्यमिक	29.3	26.7	27.0	27.9	27.0	26.1	26.9	25.4	25.0	25.0	25.5	24.6	26.5	24.6	25.9	25.7
तृतीयक	49.0	45.5	52.6	46.3	52.5	47.3	53.3	48.5	54.8	49.3	52.4	47.3	52.5	47.0	53.3	46.4
सकल मूल्य वर्धन (बुनियादी मूल्यों पर)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

भारत तथा उत्तर प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद में गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि (2011–12 भावों पर) *

खण्ड	2012–13		2016–17		2017–18		2018–19		2019–20		2020–21		2021–22		2022–23	
	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन	1.5	4.6	6.8	6.2	6.6	3.7	2.1	4.6	6.2	1.1	4.1	–0.1	3.5	14.8	4.0	4.7
प्राथमिक	1.4	4.4	7.3	6.4	4.5	9.9	1.6	3.6	4.8	–2.1	2.4	1.2	3.9	14.6	4.0	7.1
विनिर्माण	5.5	4.1	7.9	47.0	7.5	–10.9	5.4	–5.8	–3.0	2.7	2.9	–4.2	11.1	13.6	1.3	15.6
माध्यमिक	3.6	2.8	7.5	28.0	7.1	–4.7	5.9	1.0	–1.3	3.5	–0.2	–6.2	12.0	10.3	4.4	12.1
तृतीयक	8.3	6.8	8..5	5.7	6.3	8.6	7.2	6.2	6.4	7.0	–8.2	–7.1	8.8	6.5	9.5	6.1
सकल मूल्य वर्धन (बुनियादी मूल्यों पर)	5.4	5.1	8.0	11.8	6.2	4.8	5.8	4.1	3.9	3.8	–4.2	–4.9	8.8	9.5	7.0	7.9
सकल घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्यों पर)	5.5	4.7	8.3	11.4	6.8	4.4	6.5	3.9	3.9	4.0	–5.8	–5.5	9.1	9.6	7.2	8.3

नोट * 1. उ0प्र0 के आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2020–21 के अनन्तिम, 2021–22 के त्वरित अनुमान व 2022–23 के अग्रिम अनुमान।
2. भारत के आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2020–21 के द्वितीय संशोधित अनुमान व वर्ष 2021–22 के प्रथम संशोधित अनुमान व 2022–23 के अनन्तिम अनुमान।

2.2 जिला घरेलू उत्पाद अनुमान (District Domestic Product Estimates)

2.2.1 सामान्य परिचय

राज्य के संतुलित एवं समग्र विकास हेतु आवश्यक है कि क्षेत्रीय एवं अन्तर्जनपदीय आय वैभिन्नताओं (disparities) को कम किया जाये। अतः सुनियोजित विकास हेतु जनपद स्तरीय आर्थिक संकेतक अति आवश्यक हैं। विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में इन संकेतकों का महत्व एवं आवश्यकता और अधिक हो जाती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा जिला घरेलू उत्पाद अनुमान तैयार किये जाते है। मानव विकास सूचकांक/प्रतिवेदन तैयार करने में इन अनुमानों का विशेष महत्व है।

2.2.2 पृष्ठभूमि व कियाविधि

सर्वप्रथम नेशलन काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1963 में वर्ष 1955–56 के प्रचलित भावों पर जिला घरेलू उत्पाद अनुमान अपने प्रकाशन ''इंटर डिस्ट्रिक्ट एण्ड इंटर स्टेट डिफरेन्सियल्स 1955–56'' में प्रकाशित किए गए। वर्ष 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय के स्व. प्रोफेसर बलजीत सिंह द्वारा मोनोग्राम ''इंटर डिस्ट्रिक्ट इन्कम एण्ड इकोनॉमिक प्रोफाइल्स ऑफ उत्तर प्रदेश'' प्रस्तुत किया गया। अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा सर्वप्रथम प्रचलित भावों पर वर्ष 1968–69 में जनपदवार 5 वस्तु उत्पादन खण्डों यथा–कृषि एवं पशुपालन, वन

उद्योग एवं लट्ठे बनाना, मछली उद्योग, खनन् तथा पत्थर निकालना एवं विनिर्माण के अनुमान तैयार किये गये। इन अनुमानों में अपनायी गयी पद्धति पर राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से विचार–विमर्श किया गया। वर्ष 1978 में उक्त 5 वस्तु उत्पादन खण्डों के अनुमान प्रचलित एवं स्थायी भावों पर वर्ष 1960–61, 1968–69 और 1970–71 से 1973–74 तक के लिए तैयार किये गये जो वर्ष 1996–97 तक बनाये गये।

अगस्त 1996 में उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों के अर्थ एवं संख्या विभाग ने संयुक्त रूप से अर्थ व्यवस्था के समस्त 13 खण्डों के जिला घरेलू उत्पाद अनुमान तैयार करने के लिए मेथोडोलॉजी निर्धारित की जो कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अनुमोदनोपरान्त समस्त राज्यों में लागू की गयी। इस क्रियाविधि का अनुसरण करके राज्य आय की ही भांति जिला घरेलू उत्पाद अनुमान अर्थव्यवस्था के समस्त 13 खण्डों के लिए वर्ष 1993–94 तथा 1997–98 के लिए तैयार किये गये। तत्पश्चात् आगामी वर्षों में इसी प्रकार समस्त 13 खण्डों के अनुमान तैयार किये जा रहे हैं।

2.2.3 आधार वर्ष

जिला घरेलू उत्पाद अनुमान तैयार करने हेतु आधार वर्ष को राज्य आय अनुमान के आधार वर्ष के अनुसार ही रखा जाता है। जिला आय अनुमान हेतु आधार वर्ष को राज्य आय अनुमान की ही भांति वर्ष 2011–12 से वर्ष 2021–22 (अनन्तिम) तक के अनुमान तैयार किये गये हैं।

2.2.4 कैलेंडर

जिला घरेलू उत्पाद अनुमान प्रतिवर्ष अनन्तिम एवं संशोधित जारी किये जाते हैं।

2.2.5 वर्ष 2022–23 में सम्पादित कार्य

विभिन्न विभागों से आँकड़े एकत्र कर उनका संकलन एंव संगणन करके खण्डवार संकलित करके आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2019–20 (संशोधित), वर्ष 2020–21 (संशोधित) एवं वर्ष 2021–22 (अनन्तिम) के जिला घरेलू उत्पाद अनुमान तैयार किये गये।

वर्ष 2019–20 (संशोधित), 2020–21(संशोधित) एवं 2021–22(अनन्तिम) जिला घरेलू उत्पाद अनुमान तैयार किये गये। इस वर्ष इन अनुमानों को तैयार करने में उच्च स्तर के मार्गनिर्देशन में विभिन्न सेक्टर्स हेतु राज्य स्तरीय value को विभिन्न जनपदों को apportion करने हेतु और अधिक representative Indicators को चयनित कराते हुए उनके डेटा को प्राप्त कर प्रयुक्त किया गया जिसके फलस्वरूप तैयार किये गये जिला आय अनुमान और अधिक सुदृढ़ हो सके।

उपर्युक्तानुसार तैयार किये गये जिला आय अनुमानों के आधार पर ''जिला घरेलू उत्पाद अनुमान उत्तर प्रदेश 2021–22'' विषयक वार्षिक प्रकाशन तैयार किया गया। इस वर्ष उच्च स्तर के मार्गनिर्देशन में माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश स्वरूप आर्शीवचन भी प्राप्त हुए। गत वर्षों के भांति माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से संदेश सम्मिलित करने के साथ–साथ इस वर्ष मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से भी संदेश सम्मिलित किया गया।

उपरोक्त तैयार की गयी ''जिला घरेलू उत्पाद अनुमान उत्तर प्रदेश 2021–22'' की पुस्तिका के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए पुस्तिका को विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों, अर्थ एवं संख्या प्रभागों, राज्य के विभिन्न राज्यों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/निदेशक, विशिष्ट संस्थानों, MoSPI, उत्तर प्रदेश के समस्त सांसदों एवं विधायकों को सम्मिलित करते हुए सुविचारित mailing list तैयार करी गयी तथा तदोपरान्त पुस्तिका की 2500 colored प्रतियां सूचना विभाग से समन्वय करते हुए उनके माध्यम से छपा कर उपरोक्त तैयार mailing list के अनुसार मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से तथा प्रमुख सचिव, नियोजन की ओर से कवरिंग लेटर तैयार कर पुस्तिका का प्रेषण कराया गया।

विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि पुस्तिका की सराहना गुजरात सरकार द्वारा करते हुए जिला घरेलू उत्पाद अनुमान तैयार करने की विधि के अध्ययन हेतु अपने राज्य की टीम उत्तर प्रदेश भेजे जाने का भी प्रस्ताव किया गया तथा निदेशक, अर्थ एवं संख्या, गुजरात सरकर के नेतृत्व में चार सदस्यीय टीम द्वारा दिनांक 07.08.2023 से दिनांक 08.08.2023 के मध्य उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया गया है। टीम को विस्तृत रूप से जिला घरेलू उत्पाद अनुमान तैयार करने की विधि बतायी गयी।

2.2.6 मुख्य परिणामः–

आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2019–20 (संशोधित), वर्ष 2020–21 (संशोधित) एवं वर्ष 2021–22 (अनन्तिम) के जिला घरेलू उत्पाद अनुमान के मुख्य परिणाम निम्नवत् हैं।

सकल घरेलू जिला उत्पाद (प्रचलित भावों पर) वाले उच्चतम 5 जनपदों की स्थिति निम्नवत् है–

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	वर्ष 2019–20 (संशोधित)		वर्ष 2020–21 (संशोधित)		वर्ष 2021–22 (अनन्तिम)	
1.	गौतमबुद्ध नगर	135572.48	गौतमबुद्ध नगर	131063.97	गौतमबुद्ध नगर	166073.92
2.	लखनऊ	69104.47	लखनऊ	66751.97	लखनऊ	75762.73
3.	आगरा	62148.46	आगरा	59775.25	आगरा	69266.03
4.	प्रयागराज	58694.84	प्रयागराज	56320.18	प्रयागराज	63719.05
5.	मेरठ	53189.17	मेरठ	48068.79	मेरठ	59167.55

सकल घरेलू जिला उत्पाद (प्रचलित भावों पर) वाले निम्नतम 5 जनपदों की स्थिति निम्नवत् है–

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	वर्ष 2019–20 (संशोधित)		वर्ष 2020–21 (संशोधित)		वर्ष 2021–22 (अनन्तिम)	
1.	श्रावस्ती	4571.72	श्रावस्ती	4739.24	चित्रकूट	6537.26
2.	चित्रकूट	6115.04	चित्रकूट	6053.40	श्रावस्ती	6908.65
3.	संत कबीर नगर	7171.29	संत कबीर नगर	7140.55	संत कबीर नगर	8427.26
4.	औरैया	8958.87	औरैया	8416.19	औरैया	9270.09
5.	भदोही	9279.58	बलरामपुर	8749.33	बलरामपुर	9720.93

2.2.7 जिला घरेलू उत्पाद अनुमान उत्तर प्रदेश वर्ष 2021–22 की पुस्तिका की सराहना के साथ मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रथम बार प्रदान किये गये शुभकामना संदेश को सम्मिलित किया गया।

2.3 उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण

2.3.1 सामान्य परिचय

- आय–व्ययक (बजट) राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसमें सरकार के विभिन्न स्रोतों से आय तथा व्यय की मदों की धनराशि का स्पष्ट उल्लेख रहता है। इन अभिलेखों में संविधान के प्राविधानों एवं वैधानिक नियंत्रण की आवश्यकता तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व एवं लेन–देन के लेखा संपरीक्षा सम्बन्धी उद्देश्यों के अनुसार समस्त प्राप्तियों एवं संवितरणों का वर्णन निर्धारित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत रहता है।
- आय–व्ययक सम्बन्धी लेन–देन के आर्थिक एवं प्रयोजनात्मक प्रभावों का अध्ययन करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक (बजट) अनुमानों की विभिन्न मदों को राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा उपलब्ध कराई गई क्रियाविधि के अनुसार पुनः वर्गीकरण एवं पुनः समूहीकृत करके अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। यह प्रतिवेदन नियोजन विभाग के बजट साहित्य के अन्तर्गत बजट सत्र में विधानमण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित किया जाता है।
- आर्थिक वर्गीकरण में सरकारी ब्यौरेवार व्यय को पृथक करके उनको अर्थपूर्ण आर्थिक श्रेणियों अर्थात् खपत, पूँजी निर्माण, वित्तीय निवेश आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रयोजनात्मक प्रभावों का अध्ययन करने के उद्देश्य से कार्यात्मक वर्गीकरण में व्ययों को सम्बन्धित योजनाओं जैसे प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य आदि सेवाओं में बांटकर दिया गया है।
- उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक के समीक्षात्मक विश्लेषण के आधार पर सार्वजनिक प्रशासन का विभिन्न सेक्टरों यथा राज्य आय, पूँजी निर्माण आदि में अंश का आंकलन किया जाता है।

2.3.2 पृष्ठभूमि

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा वर्ष 1965–66 से आर्थिक वर्गीकरण तथा वर्ष 1966–67 से आर्थिक वर्गीकरण के साथ–साथ कार्यात्मक वर्गीकरण किया जा रहा है। केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय का अर्थ प्रभाग राष्ट्रीय सरकार के आय–व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण 1957–58 से तथा आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण वर्ष 1967–68 से कर रहा है।

2.3.3 वर्ष 2022–23 में सम्पादित कार्य

- उत्तर प्रदेश सरकार के बजट वर्ष 2022–23 से प्राप्तियों तथा व्यय की 11 पुस्तिकाओं की कोडिंग का कार्य कराने के उपरान्त वर्ष 2020–21 (वास्तविक), वर्ष 2021–22 (पुनःरीक्षित अनुमान) तथा वर्ष 2022–23 (आय–व्ययक) के संकलन का कार्य पूर्ण कराया गया।
- वर्ष 2020–21 (वास्तविक) एवं वर्ष 2021–22 (पुनःरीक्षित) एवं 2022–23 (आय–व्ययक) की लेखा तालिकायें तैयार कर राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित की गयीं।
- वार्षिक प्रतिवेदन ''उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण वर्ष 2022–23'' तैयार करने के उपरान्त प्रकाशित कराकर नियोजन विभाग के बजट साहित्य के अन्तर्गत बजट सत्र में विधानमण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित किया गया।

2.3.4 मुख्य परिणाम

आय–व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण

(लाख रु० में)

क्र.सं.	मद	वास्तविक 2020–2021	पुनरीक्षित अनुमान 2021–2022	आय–व्ययक अनुमान 2022–2023
(1)	(2)	2	3	4
1.	**चालू व्यय**	27853016	32935181	41335824
1.1	खपत सम्बन्धी शुद्ध व्यय	11494859	14384026	19312078
1.2	साधारण ऋण पर ब्याज	3702704	4052363	4400686
1.3	राज सहायतायें	2069601	3222251	2449540
1.4	परिवारों के आय खातें में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	8828825	9379953	12984755
1.5	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	1757027	1896588	2188765
2	**पूँजीगत व्यय**	9163781	14109315	17986472
2.1	कुल स्थिर पूँजी निर्माण	4142016	8133106	10187166
2.1.1	भवन एवं अन्य निर्माण कार्य	3999524	7849568	9742021
2.1.2	मशीन एवं उपकरण	142492	283538	445145
2.2	स्टॉकों में शुद्ध वृद्धि	–257735	353	460
2.3	पूँजीगत अन्तरण	1292264	1570595	2583413
2.3.1	स्थानीय निकायों को	218020	345940	647375
2.3.2	अन्य सेक्टरों को	1074244	1224655	1936038
2.4	पूँजी शेयरों में निवेश	1194226	1321544	1664426
2.5	ऋण एवं अग्रिम	115261	210419	294678
2.5.1	स्थानीय निकायों को	0	20000	20000
2.5.2	अन्य सेक्टरों को	115261	190419	274678
2.6	सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	2677749	2873298	3256329
योग		**37016797**	**47044496**	**59322296**

आय–व्ययक का कार्यात्मक वर्गीकरण

(लाख रु० में)

क्र.सं.	मद	वास्तविक 2020–21	पुनःरीक्षित अनुमान 2021–22	आय–व्ययक अनुमान 2022–23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सामान्य सेवायें	8737654	10366668	13071416
2.	सुरक्षा	8672	11855	15840
3.	शिक्षा	6621676	7213278	9474620
4.	स्वास्थ्य	2228105	2516907	4134993
5.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी सेवायें	1735903	2526406	3636284
6.	आवास एवं सामुदायिक सेवायें	3393742	4173830	5675422
7.	सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	152225	354675	385078
8.	आर्थिक सेवायें	7803719	12942335	15255002
9.	अन्य सेवायें	6335101	6938542	7673641
योग		**37016797**	**47044496**	**59322296**

2.4 उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा

2.4.1 सामान्य परिचय–

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष ''उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा'' नामक पुस्तिका प्रकाशित की जाती है जोकि बजट सत्र के अन्तर्गत नियोजन विभाग के बजट साहित्य के रूप में विधान मण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित की जाती है। उक्त प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक कार्य–कलापों का तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना है। प्रादेशिक आर्थिक समीक्षा में विशेष रूप से राज्य की अर्थव्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण करने के साथ ही प्रमुख क्षेत्रों यथा जनांकिकी, कृषि, वन एवं पर्यावरण, पशुधन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक विकास, सेवा क्षेत्र, अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार, श्रमशक्ति एवं सेवायोजन, प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति, ग्राम्य विकास के कार्यक्रम, खनिज एवं विद्युत तथा सतत् विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0) आदि से सम्बन्धित विश्लेषण किया जाता है, साथ ही सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों तथा प्रदेश में व्याप्त चुनौतियों एवं सरकार की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की जाती है।

उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा तैयार करने हेतु प्रदेश के विभिन्न विभागों यथा–चिकित्सा, शिक्षा, पशुपालन, उद्योग, वन, खनिज, समाज कल्याण, विद्युत आदि एवं केन्द्र सरकार के अनेक महत्वपूर्ण प्रकाशनों से प्राप्त आँकड़ों/सूचनाओं का प्रयोग किया जाता है। पत्रिका को www.updes.nic.in पर अवलोकित किया जा सकता है।

2.4.2 वर्ष 2022–23 में सम्पादित कार्य

1–''उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा'' वर्ष 2022–23 तैयार कर प्रकाशित करायी गयी।

वर्ष 2022–23 की आर्थिक समीक्षा में निम्नलिखित 17 अध्यायों में प्रदेश में आर्थिक एवं सामाजिक कार्यकलापों की समीक्षा की गयी है–

1 राज्य अर्थव्यवस्था एवं लोक वित्त
2 बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त
3 कृषि
4 वन एवं पर्यावरण
5 पशुधन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य
6 उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
7 खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजानिक वितरण प्रणाली
8 ग्राम्य विकास एवं पंचायत सशक्तिकरण

9 औद्योगिक विकास
10 सेवा क्षेत्र
11 अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार
12 पयर्टन एवं नागरिक विमानन
13 शिक्षा
14 स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
15 समाज कल्याण
16 श्रमशक्ति एवं सेवायोजन
17 सतत् विकास

उक्त के आधार पर उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा वर्ष 2022–23 प्रकाशित करायी गयी।

2.5 सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान (Gross Fixed Capital Formation(GFCF))

2.5.1 सामान्य परिचय

अर्थव्यवस्था का विकास मुख्य रूप से पूँजी निवेश (investment) की दर पर निर्भर करता है जिसका आंगणन सकल पूँजी निर्माण से किया जाता है। सकल पूँजी निर्माण के अनुमान में सकल स्थायी पूँजी निर्माण तथा स्टाक में परिवर्तन सम्मिलित होता है। राज्य स्तर पर सकल स्थायी पूँजी निर्माण के ही अनुमान तैयार किये जाते हैं। सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान अर्थव्यवस्था के विकास की योजना के निर्माण हेतु एक आवश्यक संकेतक है।

2.5.2 पृष्ठभूमि एवं कार्यविधि

- अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान तैयार करने का कार्य वर्ष 1999–2000 से प्रारम्भ किया गया।
- सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्रियाविधि के अनुसार तैयार कराये जा रहे हैं।
- राज्य आय अनुमानों की ही भांति सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान अर्थव्यवस्था के समस्त 11 खण्डों हेतु तैयार किये जाते हैं।
- यह अनुमान सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के अन्तर्गत पारिवारिक खण्ड के लिए तैयार किये जाते हैं। अधिक्षेत्रीय (Supra regional) क्षेत्र के अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रशासनिक विभाग, विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, गैर विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान एवं स्थानीय निकाय के लिए अलग–अलग अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- प्रशासनिक विभाग व विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अनुमान आय–व्ययक अभिलेखों से आंकलित किये जाते हैं।
- गैर विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अनुमान तैयार करने हेतु सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो से प्रत्येक वर्ष प्रदेश में कार्यरत प्रतिष्ठानों की सूची प्राप्त की जाती है। तदोपरान्त् प्रत्येक प्रतिष्ठान से उनकी बैलेंस शीट प्राप्त करके उसका विश्लेषण कर सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- स्थानीय निकायों के पूँजी निर्माण के अनुमान तैयार करने हेतु उत्तर प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका परिषद, छावनी परिषद, जल संस्थान, जिला पंचायत, नगर पंचायत एवं प्रत्येक जिले से चयनित ग्राम पंचायतों के आय–व्ययकों का वर्गीकरण करके स्थायी पूँजी निर्माण के आँकड़े तैयार किये जाते हैं।
- निजी क्षेत्र के अन्तर्गत पारिवारिक खण्ड के अनुमान विभिन्न समाजार्थिक एवं उद्यम सर्वेक्षणों के अधुनान्त उपलब्ध आँकड़ों/परिणामों का प्रयोग करके अर्थव्यवस्था के विभिन्न खण्डों हेतु अलग–अलग तैयार किये जाते हैं।

2.5.3 कैलेंडर

प्रदेश के आय–व्ययक(बजट) में दिये गये वास्तविक व्यय के अनुक्रम में उस वर्ष के सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान 31 मार्च तक तैयार किये जाते हैं। इस प्रकार उक्त के आधार पर वर्ष 2019–20 के सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान तैयार किये गये।

2.5.4 वर्ष 2021–22 में सम्पादित कार्य

- उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के ब्यौरेवार अनुमान वर्ष 2022–23 खण्ड 5 के सभी 10 भागों से वर्ष 02020–21 के वास्तविक व्यय के अन्तर्गत पूँजी निर्माण से सम्बन्धित मदों में हुए खर्चों का संकलन किया गया।
- वर्ष 2020–21 में प्रदेश में कार्यरत कुल 40 गैर विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से उनकी बैलेंस शीट प्राप्त कर उनका विश्लेषण कर संकलन कार्य किया गया।
- स्थानीय निकायों के वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक का विश्लेषण कर संकलन किया गया।

2.6 उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय, व्यय सम्बन्धी आँकड़ें

स्थानीय निकायों से प्राप्त आँकड़ों का दो प्रकार से प्रयोग किया जाता हैं–

(1) स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण सम्बन्धी कार्य

प्राप्त आँकड़ों से लेखा तालिकाऐं तैयार कर राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है।

(2) स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आँकड़ें

प्राप्त आँकड़ों से ''उ0प्र0 के स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आँकड़े'' प्रतिवेदन तैयार किया जाता है।

2.6.1 स्थानीय निकायों के आँकड़ों सम्बन्धी कार्य

2.6.1.1 उद्देश्य

राज्य की अर्थव्यवस्था के मूल्यांकन के सन्दर्भ में तैयार किये जाने वाले राज्य आय अनुमानों विशेष रुप से निर्माण, जल सम्पूर्ति, सार्वजनिक प्रशासन व अन्य सेवा खण्डों के अनुमान तथा जिला आय अनुमानों, सकल स्थायी पूँजी निर्माण के आंकलन तैयार करने हेतु स्थानीय निकायों के आँकड़ों की आवश्यकता होती है।

2.6.1.2 पृष्ठभूमि

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, रोजगार आदि से सम्बन्धित सूचना/आँकड़े एकत्र करने का कार्य वर्ष 1967–68 से प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है। तत्सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन वर्ष 1983–84 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुरुप स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण सम्बन्धी कार्य वर्ष 1976 में प्रारम्भ किया गया था।

2.6.1.3 विषय क्षेत्र

स्थानीय निकायों के आय–व्ययक आँकड़ें सम्बन्धी कार्य हेतु प्रदेश की समस्त नगर निगमों (17), नगर पालिका परिषदों (200), जिला पंचायतों (75) एवं जल संस्थानों (12) छावनी परिषदों (13) नगर पंचायत (508), समस्त जनपदों से चयनित ग्राम पंचायतों (4623) के आँकड़े एकत्रित कर राज्य स्तरीय लेखा तालिकायें तैयार की जाती हैं (कोष्ठक में वर्ष 2020–21 की विद्यमान संख्या दर्शायी गयी है)।

2.6.1.4 कार्यविधि

स्थानीय निकायों से आय–व्यय सम्बन्धी सूचना प्राप्त करने हेतु प्रभाग स्तर पर अनुसूची निर्धारित की गयी हैं। जनपद स्तर पर अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय द्वारा स्थानीय निकायों से सूचना प्राप्त की जाती है। ग्रामीण व शहरी समस्त निकायों की सूचना एक ही अनुसूची पर प्राप्त कर डेटा इन्ट्री का कार्य किया जाता है। प्राप्त आँकड़ों का प्रभाग मुख्यालय पर परिनिरीक्षणोपरान्त राज्य स्तरीय तालिकाओं का संकलन कार्य करके तालिकाओं को राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया जाता है। प्राप्त आँकड़ों के आधार पर ''उत्तर प्रदेश के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आँकड़े ''नामक वार्षिक प्रतिवेदन भी तैयार किया जाता है।

2.6.1.5 वर्ष 2021–22 में सम्पादित कार्य

- स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण वर्ष 2020–21 की समस्त राज्य स्तरीय तालिकायें तैयार कर राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित की गयी तथा वर्ष 2020–21 का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर प्रकाशित किया गया।
- स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण वर्ष 2021–22 हेतु आँकड़े समस्त 75 जनपदों से प्राप्त किये गये। उक्त आँकड़ों से तालिकाएं तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।

2.6.1.6 मुख्य परिणाम

- वर्ष 2020–21 में स्थानीय निकायों की कुल आय 1942804.99 लाख रु0 रही जबकि विगत वर्ष 2019–20 में कुल आय 1671547.15 लाख रु0 थी। इस प्रकार वर्ष 2020–21 में आय में गत वर्ष की तुलना में लगभग 16. 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- कुल आय में राजस्व कर से आय 165101.39 लाख रु0 रही। करेत्तर राजस्व का योगदान 761660.27 लाख रु0 तथा अनुदान अंशदान व ऋण से आय 1016043.33 लाख रु0 था। कुल आय में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व तथा अनुदान का प्रतिशत अंश क्रमशः 8.50, 39.20 तथा 52.30 प्रतिशत रहा।
- वर्ष 2019–20 में स्थानीय निकायों का कुल व्यय 1537181.26 लाख रु0 था जो कि वर्ष 2020–21 में 14.84 प्रतिशत बढ़कर 1765279.53 लाख रु0 हो गया।
- कुल व्यय में विविध व्यय 53.40 प्रतिशत, सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी व्यय पर 29.19 प्रतिशत, सामान्य प्रशासन एवं राजस्व एकत्रीकरण पर व्यय 13.21 प्रतिशत, जन स्वास्थ्य पर 3.31 प्रतिशत, सुरक्षा एवं सुविधा पर 0.61 प्रतिशत तथा शिक्षा पर व्यय 0.28 प्रतिशत रहा।
- वर्ष 2020–21 में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा कुल 623490.64 लाख रु0 पूँजी निर्माण पर व्यय किया गया इस व्यय में प्रमुख रुप से नगर पालिका परिषद द्वारा 180153.19 लाख रु0 व्यय किये गये जो कि कुल पूँजी निर्माण पर व्यय का 28.89 प्रतिशत है।
- प्राप्त आँकड़ों के आधार पर 31 मार्च, 2021 को समस्त नगरीय स्थानीय निकायों में कुल 165877 कर्मचारी कार्यरत थे जिसमें सर्वाधिक 81666(49.23 प्रतिशत) कर्मचारी स्वच्छता सेवा में 69799 (42.08 प्रतिशत) कर्मचारी अन्य सेवा में एवं 14412 (9.19 प्रतिशत) कर्मचारी जल सम्पूर्ति सेवा में कार्यरत् थे।

2.7–स्वायत्तशासी संस्थाओं की बैलेंस शीट के विश्लेषण सम्बन्धी कार्य

2.7.1 पृष्ठभूमि

राज्य आय अनुमान तैयार करने हेतु स्वायत्तशासी संस्थाओं (शिक्षा, चिकित्सा, लोक प्रशासन एवं विकास प्राधिकरण) के आंगणन हेतु प्रभाग द्वारा यह कार्य वर्ष 2014–15 में प्रारम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में प्रदेश में कार्यरत 89 स्वायत्तशासी संस्थायें, वर्ष 2015–16 में 91 स्वायत्तशासी संस्थायें, वर्ष 2016–17 की 91 स्वायत्तशासी संस्थायें, वर्ष 2017–18 की 104 स्वायत्तशासी संस्थायें, वर्ष 2018–19 की 127 स्वायत्तशासी संस्थायें, वर्ष 2019–20 की 127 स्वायत्तशासी संस्थायें, वर्ष 2020–21 की 127 स्वायत्तशासी संस्थाओं की बैलेंस शीट के परिनिरीक्षण एवं विश्लेषण का कार्य पूर्ण कर उनकी अन्तिम लेखा तालिकाएं तैयार कर राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित करने का कार्य किया गया। वर्तमान में वर्ष 2022–23 हेतु स्वायत्तशासी संस्थाओं की अनन्तिम सूची तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।

आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने हेतु मुख्य सचिव स्तर से शासनादेश दिनांक 03.03.2023 जारी कराया गया।

******

अध्याय–3
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण

3.0 पृष्ठभूमि

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (रा0प्र0स0) का गठन वर्ष 1950 में सांख्यिकीय प्रतिचयन पद्धतियों का उपयोग करके असंगठित समाजार्थिक क्षेत्र के आँकड़ों के एकत्रीकरण हेतु किया गया था। इन संग्रहीत आँकड़ों की उपयोगिता विशेष कर नियोजन एवं नीति–निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार का अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, भारत सरकार से समन्वय रखते हुए समतुल्य प्रतिदर्श आधार पर नवीं आवृत्ति (वर्ष 1955) से राज्य प्रतिदर्श के रूप में आँकड़े एकत्र करा रहा है। सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित आकड़ों के विधायन (validation) उपरान्त विश्लेषण एवं रिपोर्ट आलेखन का कार्य सम्पादित किया जाता है।

3.1 क्षेत्रीय सर्वेक्षण अनुभाग (रा0प्र0स0)

3.1.1 कार्य एवं उत्तरदायित्व

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एन0एस0ओ0) द्वारा राज्य प्रतिदर्श के रूप में सर्वेक्षण हेतु उपलब्ध करायी गयी इकाइयों का क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न कराया जाता है। इस कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व समस्त क्षेत्रीय एवं मुख्यालय पर तैनात अधिकारियों को आवृत्ति की विषयवस्तु सम्बन्धी पूर्ण प्रशिक्षण राज्य स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में दिया जाता है। क्षेत्र में आवृत्ति से सम्बन्धित परिभाषाओं, संकल्पना, परिनिरीक्षण एवं प्रक्रिया सम्बन्धी उठाई जाने वाली पृच्छाओं का समाधान किया जाता है। रा0प्र0स0 के अन्तर्गत एकत्रित किये जा रहे आँकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य का नियमित पर्यवेक्षण एवं तदर्थ सर्वेक्षणों से सम्बन्धित कार्यों को क्षेत्राधीक्षण अनुभाग द्वारा सम्पन्न कराया जाता है।

3.1.2 वर्ष 2022–23 में सम्पादित कार्य

रा0प्र0स0–79वीं आवृत्ति

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (रा0प्र0स0)–79वीं आवृत्ति की सर्वेक्षण अवधि 01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023 तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है। इस राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण–79वीं आवृत्ति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को आवंटित कुल 1692 प्रतिदर्श इकाइयों द्वारा निम्न समाजार्थिक विषय से सम्बन्धित आँकड़े एकत्रित कराया जाना है–

(1) **व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण (Comprehensive Annual Modular Survey-CAMS)**

(2) **आयुष पर सर्वेक्षण (Survey on AYUSH)**

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण–79वीं आवृत्ति का सर्वेक्षण तीन–तीन माह की 04 उपावृत्तियों में निम्न तालिका के अनुरूप विभक्त है –

क्र0 स0	उपावृत्ति	आवंटित प्रतिदर्श इकाईयों की संख्या			अवधि	
		ग्रामीण	नगरीय	कुल	से	तक
1.	प्रथम उपावृत्ति	280	143	423	जुलाई 2022	सितम्बर 2022
2.	द्वितीय उपावृत्ति	280	143	423	अक्टूबर 2022	दिसम्बर 2022
3.	तृतीय उपावृत्ति	280	143	423	जनवरी 2023	मार्च 2023
4.	चतुर्थ उपावृत्ति	280	143	423	अप्रैल 2023	जून 2023
कुल		**1120**	**572**	**1692**		

इस आवृत्ति के तकनीकी पहलुओं एवं सर्वेक्षण कार्य सम्बन्धी दिशा–निर्देशों से भिज्ञ कराने हेतु क्षेत्रीय मण्डलीय उपनिदेशकों तथा समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारियों की 30 जून, 2022 व 01 जुलाई, 2022 को मुख्यालय, लखनऊ में दो दिवसीय ''राज्य स्तरीय प्रशिक्षण गोष्ठी'' आयोजित की गयी। तत्पश्चात् शेष अन्य क्षेत्रीय अधिकारियों/कार्मिकों (अपर सांख्यिकीय अधिकारी, सहायक सांख्यिकीय अधिकारी) का मण्डल स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन कराया गया।

इस राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण–79वीं आवृत्ति से सम्बन्धित निम्नलिखित अनुसूचियाँ निर्धारित हैं–

1. अनुसूची 00CM : परिवारो की सूची (List of Households)
2. अनुसूची CAMS 2022-23 : व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण (Comprehensive Annual Modular Survey-CAMS)
3. अनुसूची AYUSH 2022-23 : आयुष पर सर्वेक्षण (Survey on AYUSH)

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण–79वीं आवृत्ति का सर्वेक्षण समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय में तैनात प्रशिक्षित सहायक सांख्यिकीय अधिकारी द्वारा रा0प्र0स0–79वीं आवृत्ति के अनुदेशों के अनुरूप राज्य को आवंटित कुल 1692 प्रतिदर्श इकाईयों में से दिनांक 31.03.2023 तक प्रथम उपावृत्ति की 423, द्वितीय उपावृत्ति की 423 एवं तृतीय उपावृत्ति की 423 प्रतिदर्श इकाइयों का सर्वेक्षण पूर्ण करा लिया गया है तथा चतुर्थ उपावृत्ति की आवंटित 423 प्रतिदर्श इकाइयो का सर्वेक्षण निर्धारित अवधि (01 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक) में पूर्ण कराया जाना है।

तत्क्रम में दिनांक 31.03.2023 तक सर्वेक्षित इकाइयों के संग्रहित आँकड़ों में से प्रथम उपावृत्ति की 423 के सापेक्ष 412 एवं द्वितीय उपावृत्ति की 423 के सापेक्ष 314 प्रतिदर्श इकाइयों के आँकड़ों की डाटा–इन्ट्री एवं वैलीडेशन का कार्य पूर्ण कराया गया है।

3.1.3 उद्देश्य

(1) व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण

इस सर्वेक्षण का उद्देश्य वैश्विक सूचकांकों (Global Index) तथा राष्ट्रीय सूचकांको (National Index) के कुछ एस0डी0जी0 संकेतक (Sustainable Development Goal Indicator) और उप संकेतक (Sub Indicator) के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्र किया जाना है। जिसके लिए इस सर्वेक्षण के माध्यम से सुरक्षित ढंग से प्रबन्धित सेवाओं (Managed Services) जैसे–पेयजल सेवा एवं स्वच्छता का प्रयोग करने वाली आबादी का प्रतिशत, प्रौद्योगिकी के अनुसार मोबाइल नेटवर्क द्वारा कवर की गयी आबादी का अनुपात, कम्प्यूटर रखने वाले परिवारों का प्रतिशत एवं इन्टरनेट का उपयोग करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, किसी औपचारिक वित्तीय संस्था में खाता रखने वाले प्रौढ़ों व महिलाओं का प्रतिशत, सिविल प्राधिकरण में बच्चों के जन्म के पंजीकरण का आयु के अनुसार अनुपात, सार्वजनिक परिवहन तक सुविधाजनक पहुँच रखने वाली आबादी का अनुपात, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में युवाओं की भागीदारी की दर, स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष, शिक्षा रोजगार व प्रशिक्षण में न रहने वाले (15 से 24 वर्ष) के युवाओं का अनुपात, अस्पताल में भर्ती होने पर स्वधन से चिकित्सा व्यय आदि के सम्बन्ध में सूचनाओं का संकलन किया जाना है।

(2) आयुष पर सर्वेक्षण

इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य लोगों में आयुष पद्धति (आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, सोवा–रिग्पा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी) के प्रति जागरूक आबादी का प्रतिशत एवं आयुष उपचार लेने के लिए अस्पताल में भर्ती आबादी का प्रतिशत, अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों के रोगों/व्याधियों की सूचनायें प्राप्त की जानी हैं। अस्पताल में भर्ती होने पर रोगी के उपचार के लिए आयुष पद्धति के अन्तर्गत उपयोग किये गये चिकित्सा (आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, सोवा–रिग्पा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी) की जानकारी एवं पिछले 365 दिनों के दौरान आयुष दवाओं/उपचार पर किये गये व्यय की सूचनायें एकत्र करना है। साथ ही प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात् देखभाल के लिए आयुष की दवाओं के उपयोग से सम्बन्धित सूचनायें एकत्र की जानी हैं जिसके निष्कर्षों के आधार पर आयुष पद्धति को लोगों के बीच और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

3.1.4 सर्वेक्षण एवं आकड़ों की गुणवत्ता हेतु सम्पादित अन्य कार्य–

1– National Council of Applied Economic Research (NEAER) की टीम द्वारा उत्तर प्रदेश के 43 जनपदों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन विषय पर Indian Human Development Survey (IHDS) के तृतीय दौर के सर्वेक्षण में जनपद स्तर से वांछनीय सहयोग प्रदान कराने के लिए मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन (पत्र सं0: 844/पैंतीस–2–2022 नियोजन अनुभाग–**2** दिनांक 15–07–2022) द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारियों एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश प्रसारित किये गये एवं अनुपालन कराया गया।

2– प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ**0प्र0** शासन (पत्र सं0: 218A/35–2–2023 नियोजन अनुभाग–**2** दिनांक 03–02–2023) द्वारा प्रदेश में संचालित विभिन्न सर्वेक्षणों यथा–राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS), आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) व असमाविष्ट सेक्टर के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) आदि से गुणवत्तापूर्ण आकड़ों के संग्रहण के लिए सर्वेक्षण में लगे कार्मिकों को प्रतिदर्श से सम्बन्धित परिवारों, उद्यमों व उद्यमियों से सहयोग उपलब्ध

कराने तथा सम्बन्धित कार्मिकों को सर्वेक्षण अवधि में सुरक्षा भी प्रदान कराने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश प्रसारित किये गये जनपद स्तर से अनुपालन कराया गया।

3– प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की प्राथमिकता के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा चहुमुखी विकास हेतु अनेक योजनाएं संचालित हैं। जिसके क्रम में प्रदेश में हो रहे निवेश एवं राज्य आय की गणना में असंगठित क्षेत्र के विभिन्न सेक्टरों यथा– विनिर्माण, व्यापार एवं अन्य सेवा क्षेत्र आदि पर Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises (ASUSE) सर्वे एवं अन्य सम्बन्धित विभागों द्वारा संग्रहित हो रहे आकड़ों को सांख्यिकीय रुप से सही प्राप्त करने के लिए मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन (पत्र सं0: 373/पैंतीस–2–2022 नियोजन अनुभाग–2 दिनांक 03–03–2023) द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को अनुश्रवण करने के निर्देश प्रसारित किये गये तथा निर्देशो का अनुपालन कराया गया।

4–अपर निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग (पत्र सं0: 431/सम0प्रशि0एवंशोध–01/2023 दिनांक 14.03.2023) द्वारा प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाये जाने के दृष्टिगत जनपद की आर्थिक गतिविधियों के आकलन हेतु राज्य आय की गणना में प्रयुक्त विभिन्न सेक्टरों यथा– विनिर्माण, व्यापार एवं अन्य सेवा क्षेत्र के आकड़ों के वास्तविक स्थिति के अनुसार Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises (ASUSE) सर्वे द्वारा संग्रहित आकड़ों के साप्ताहिक अनुश्रवण हेतु समस्त उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) को निर्देश प्रसारित किये गये तथा अनुपालन कराया गया।

5– प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर बनाने के दृष्टिगत जनपदवार विकसित किये जा रहे Key Performance Indicators (KPIs) के अनुश्रवण के लिए Periodic Labour Force Survey (PLFS) से सम्बन्धित सभी Indicators यथा–Labour Force Participation Rate (LFPR), Worker Population Ratio (WPR), Unemployment Rate (UR) व Activity status की जनपदवार उपलब्धता होना अपेक्षित है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार (NSO) द्वारा संचालित PLFS सर्वे में प्रदेश द्वारा प्रतिभाग करने हेतु प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन (पत्र पत्र सं0: 636/पैंतीस–2–2023 नियोजन अनुभाग–2 दिनांक 22–03–2023) द्वारा महानिदेशक (NSS), राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय को पत्र प्रेषित किया गया।

3.2 विश्लेषण अनुभाग

रा.प्र.स. 77वीं आवृत्ति की अनुसूची–33.1 'परिवारों की भूमि, पशुधन धारिता एवं कृषक परिवारों की अवस्थिति का मूल्यांकन' के राज्य प्रतिदर्श के आँकड़ों पर आधारित रिपोर्ट का प्रकाशन।

3.2.1 कार्य एवं दायित्व

प्रभाग मुख्यालय पर विश्लेषण अनुभाग को मुख्यतः रा.प्र.स. के अन्तर्गत एकत्रित आँकड़ों का सारिणीयन पूर्व वैलीडेशन, समंक विधायन, सारिणीयन, रिपोर्ट आलेखन एवं प्रकाशन आदि का कार्य निर्धारित है।

3.2.2 वर्ष 2022–23 में सम्पादित कार्य

- **परिवारों की भूमि, पशुधन धारिता एवं कृषक परिवारों की अवस्थिति का मूल्यांकन (रा.प्र.स. 77वीं आवृत्ति : अनुसूची–33.1 पर आधारित) (जनवरी–दिसम्बर वर्ष 2019)**

मुख्य निष्कर्ष

1. सर्वेक्षण अवधि

- राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार से समन्वय रखते हुए समतुल्य प्रतिदर्श आधार पर एक एकीकृत अनुसूची (33.1) पर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि एवं पशुधन धारित परिवारों एवं कृषक परिवारों की स्थिति के आंकलन हेतु एक सर्वेक्षण सम्पन्न हुआ।
- यह सर्वेक्षण जनवरी से दिसम्बर 2019 के मध्य सम्पन्न हुआ।
- चयनित प्रतिदर्श परिवारों से दो गमनों में सूचनाएं एकत्र की गयी। प्रथम गमन जनवरी 2019 से अगस्त 2019 तथा द्वितीय गमन सितम्बर 2019 से दिसम्बर 2019 की अवधि में सम्पन्न हुआ।
- फसली अवधि (जुलाई से दिसम्बर 2018) की सूचना प्रथम गमन में तथा फसली अवधि (जनवरी से जून 2019) की सूचना द्वितीय गमन में एकत्र की गयी।

2. सर्वेक्षण की व्याप्ति

- राज्य हेतु कुल 1181 प्रतिदर्श इकाइयों का चयन किया गया था। जिनमें 787 इकाइयाँ ग्रामीण तथा 394 इकाइयाँ नगरीय क्षेत्र हेतु चयनित की गयी।
- ग्रामीण क्षेत्र हेतु चयनित कुल 787 प्रथम चरण इकाइयों के सापेक्ष 784 प्रथम चरण इकाई का सर्वेक्षण किया गया, जबकि 1 प्रथम चरण इकाई 'गैर–आबाद' तथा 2 'जीरो केस' थी।
- राज्य में दोनों गमनों में ग्रामीण क्षेत्र के 7690 परिवारों से सूचना एकत्र की गयी।

3. ग्रामीण परिवारों की संख्या

- राज्य में ग्रामीण परिवारों की अनुमानित संख्या 281.53 लाख थी। जिसमें से कृषक परिवार 154.18 लाख (54. 8 प्रतिशत) तथा गैर–कृषक परिवार 127.35 लाख (45.2 प्रतिशत) अनुमानित हुए।
- सामाजिक वर्गानुसार राज्य के कृषक परिवारों मे 1.11 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जन जाति, 21.28 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 56.9 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 20.71 प्रतिशत परिवार अन्य वर्ग के अनुमानित हुए।

4. ग्रामीण परिवारों द्वारा धारित भूमि

- राज्य में 1 हेक्टेयर से कम धारित भूमि वाले ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत 88.77 अनुमानित हुआ, जबकि 1 हेक्टेयर से अधिक धारित भूमि वाले ग्रामीण परिवार 11.23 प्रतिशत अनुमानित हुए।
- कृषक परिवारों के मामले में 1 हेक्टेयर से कम धारित भूमि वाले कृषक परिवारों का प्रतिशत 79.97 अनुमानित हुआ, जबकि 1 हेक्टेयर से अधिक धारित भूमि वाले ग्रामीण परिवार 20.03 प्रतिशत अनुमानित हुए।
- गैर–कृषक परिवारों के मामले में 1 हेक्टेयर से कम धारित भूमि वाले गैर–कृषक परिवारों का प्रतिशत 99.45 अनुमानित हुआ, जबकि 1 हेक्टेयर से अधिक धारित भूमि वाले ग्रामीण परिवार 0.55 प्रतिशत अनुमानित हुए।

5. 365 दिनों में परिवार के मुख्य आय के स्रोत के आधार पर वर्गीकरण

- राज्य में कृषक परिवारों में से फसल उत्पादन में 80.5 प्रतिशत, पशुधन खेती में 0.7 प्रतिशत, अन्य कृषि क्रियाकलापों में 2.6 प्रतिशत, अन्य गैर–कृषि क्रियाकलापों में 1.8 प्रतिशत, नियमित मजदूरी/वेतनभोगी वर्ग में 6.6 प्रतिशत तथा आकस्मिक श्रमिक वर्ग में 6.0 प्रतिशत परिवार अनुमानित हुए।
- गैर–कृषक परिवारों में से फसल उत्पादन में 21.0 प्रतिशत, पशुधन खेती में 1.3 प्रतिशत, अन्य कृषि क्रियाकलापों में 4.4 प्रतिशत, अन्य गैर–कृषि क्रियाकलापों में 11.1 प्रतिशत, नियमित मजदूरी/वेतनभोगी वर्ग में 22.5 प्रतिशत तथा आकस्मिक श्रमिक वर्ग में 35.0 प्रतिशत परिवार अनुमानित हुए।

6. वर्ष 2018–19 में भूमि धारिता एवं स्वामित्व

- राज्य में ग्रामीण परिवारों में प्रति परिवार औसत भूमि का स्वामित्व 0.381 हेक्टेयर अनुमानित हुआ। भूमिहीन (0.002 हेक्टेयर अथवा उससे कम) ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत 25.9 प्रतिशत, सीमान्त (0.002 से 1.000 हेक्टेयर) ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत 63.9 प्रतिशत तथा बड़ी जोत (10 हेक्टेयर से अधिक) वाले ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत 0.002 प्रतिशत अनुमानित हुआ।
- कृषक परिवारों के मामले में प्रति परिवार औसत भूमि का स्वामित्व 0.638 हेक्टेयर अनुमानित हुआ। भूमिहीन परिवारों का प्रतिशत 2.7 प्रतिशत, सीमान्त कृषक परिवारों का प्रतिशत 78.8 प्रतिशत तथा बड़ी जोत वाले कृषक परिवारों का प्रतिशत 0.004 प्रतिशत अनुमानित हुआ।
- गैर–कृषक परिवारों के मामले में प्रति परिवार औसत भूमि का स्वामित्व 0.071 हेक्टेयर अनुमानित हुआ। भूमिहीन गैर–कृषक परिवारों का प्रतिशत 53.9 प्रतिशत, सीमान्त गैर–कृषक परिवारों का प्रतिशत 45.8 प्रतिशत तथा बड़ी जोत वाले गैर–कृषक परिवारों का प्रतिशत शून्य अनुमानित हुआ।

7. वर्ष 2018–19 में सामाजिक वर्ग अनुसार भू–स्वामित्व

- राज्य के ग्रामीण परिवारों में अनुसूचित जनजाति वर्ग में प्रति परिवार औसत भूस्वामित्व 0.252 हेक्टयर, अनुसूचित जाति वर्ग में 0.213 हेक्टयर, पिछडी जाति वर्ग में 0.398 हेक्टयर तथा अन्य वर्ग में 0.627 हेक्टेयर अनुमानित हुआ।

8. पट्टे की भूमि

- जुलाई–दिसम्बर 2018 के बीच पट्टे पर भूमि लेने वाले 6.94 लाख एवं पट्टे पर भूमि देने वाले 1.68 लाख परिवार अनुमानित हुए। इसी प्रकार जनवरी–जून 2019 के बीच पट्टे पर भूमि लेने वाले 6.51 लाख एवं पट्टे पर भूमि देने वाले 1.99 लाख परिवार अनुमानित हुए।

- जुलाई–दिसम्बर 2018 के बीच पट्टे पर दी गयी भूमि का औसत क्षेत्रफल 0.450 हेक्टेयर तथा पट्टे पर ली गयी भूमि का औसत क्षेत्रफल 0.364 हेक्टेयर अनुमानित हुआ। इसी प्रकार जनवरी–जून 2019 के बीच पट्टे पर दी गयी भूमि का औसत क्षेत्रफल 0.601 हेक्टेयर तथा पट्टे पर ली गयी भूमि का औसत क्षेत्रफल 0.425 हेक्टेयर अनुमानित हुआ।

9. वर्ष 2018–19 के बीच परिवारों द्वारा भूमि का प्रचालन

- राज्य के ग्रामीण परिवारों के पास अनुमानित क्रियात्मक जोतों की संख्या 182.16 लाख, प्रति क्रियात्मक जोत औसत क्षेत्रफल 0.578 हे0 तथा प्रति क्रियात्मक जोत औसत क्षेत्रफल, जिसमें कृषि कार्य किया गया 0.545 हे0 अनुमानित हुआ।
- कृषक परिवारों के मामले में अनुमानित क्रियात्मक जोतों की संख्या 137.66 लाख, प्रति क्रियात्मक जोत औसत क्षेत्रफल 0.703 हे0 तथा प्रति क्रियात्मक जोत औसत क्षेत्रफल, जिसमें कृषि कार्य किया गया 0.665 हे0 अनुमानित हुआ।
- गैर–कृषक परिवारों के मामले में अनुमानित क्रियात्मक जोतों की संख्या 44.50 लाख, प्रति क्रियात्मक जोत औसत क्षेत्रफल 0.191 हे0 तथा प्रति क्रियात्मक जोत औसत क्षेत्रफल, जिसमें कृषि कार्य किया गया 0.172 हे0 अनुमानित हुआ।

10. वर्ष 2018–19 के बीच भूमि के उपयोग अनुसार धारित भूमि का वितरण

- राज्य के ग्रामीण परिवारों में फसल उत्पादन हेतु प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत 83.9, केवल पशुखेती हेतु 0.1 प्रतिशत, फसल एवं पशुखेती दोनों हेतु 0.01 प्रतिशत, अन्य कृषि उद्देश्य हेतु प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत 10.2 तथा अन्य गैर–कृषि उद्देश्य हेतु प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत 5.8 अनुमानित हुआ।

11. वर्ष 2018–19 के बीच पशुधन स्वामित्व का विवरण

- राज्य के ग्रामीण परिवारों में गौवंशीय दूध देने वाले, युवा स्टॉक तथा अन्य पशुधन के स्वामित्व वाले परिवारों का प्रतिशत क्रमशः 16.78, 15.71 तथा 7.15 अनुमानित हुआ। इसी प्रकार महिषवंशीय दूध देने वाले, युवा स्टॉक तथा अन्य पशुधन के स्वामित्व वाले परिवारों का प्रतिशत क्रमशः 27.26, 27.43 तथा 9.78 अनुमानित हुआ।
- राज्य के ग्रामीण परिवारों में प्रति 100 परिवारों पर गौवंशीय दूध देने वाले, युवा स्टॉक तथा अन्य पशुधन की औसत संख्या क्रमशः 19.4, 20.3 तथा 8.9 अनुमानित हुई। इसी प्रकार प्रति 100 परिवारों पर महिषवंशीय दूध देने वाले, युवा स्टॉक तथा अन्य पशुधन की औसत संख्या क्रमशः 33.7, 36.0 अनुमानित हुई।
- कुक्कुट पक्षियों का पालन करने वाले परिवारों का प्रतिशत 1.52 अनुमानित हुआ तथा प्रति 100 परिवारों पर कुक्कुट पक्षियों की औसत संख्या 10.4 अनुमानित हुई।

12. फसल उत्पादन करने वाले कृषक परिवार

- जुलाई–दिसम्बर 2018 के मध्य राज्य में फसल उत्पादन में कार्यरत कृषक परिवारों का प्रतिशत 95.7, प्रति कृषक परिवारों का औसतन सकल फसल उत्पादन क्षेत्र 1.034 हे0 तथा प्रति कृषक परिवार कुल औसतन फसल उत्पादन का मूल्य रू. 45924 अनुमानित हुआ।
- इसी प्रकार जनवरी–जून 2019 के मध्य राज्य में फसल उत्पादन में कार्यरत कृषक परिवारों का प्रतिशत 96. 2, प्रति कृषक परिवारों का औसतन सकल फसल उत्पादन क्षेत्र 0.84 हे0 तथा प्रति कृषक परिवार कुल औसतन फसल उत्पादन का मूल्य रू. 42761 अनुमानित हुआ।

13. प्रति कृषक परिवार औसत मासिक आय

- कृषि वर्ष (2018–19) के दौरान प्रति कृषक परिवार औसत मासिक आय रू. 11493 अनुमानित हुई। जिसमें मजदूरी से आय रू0 3835, भूमि को पट्टे पर देने से रू0 18, फसल उत्पादन की निवल प्राप्तियों से रू0 5519, गैर–कृषि व्यवसाय की निवल प्राप्तियों से रू0 370 तथा पशुपालन की निवल प्राप्तियों से रू0 1750 अनुमानित हुई।
- प्रति कृषक परिवार मजदूरी, भूमि को पट्टे पर देने, फसल उत्पादन की निवल प्राप्तियों से तथा गैर–कृषि व्यवसाय की निवल प्राप्तियों से प्राप्त करने वाले परिवारों का प्रतिशत क्रमशः 33.3, 0.16, 48.02, 3.22 तथा 15.23 अनुमानित हुआ।

14. प्रति कृषक परिवार का फसल उत्पादन एवं पशुपालन पर मासिक औसत व्यय एवं प्राप्तियाँ

- कृषि वर्ष (2018–19) के दौरान फसल उत्पादन में संलग्न प्रति कृषक परिवार का फसल उत्पादन पर मासिक औसत व्यय रू0 2248 तथा पशुपालन में रू0 1546 अनुमानित हुआ। जबकि फसल उत्पादन में संलग्न प्रति कृषक परिवार का फसल उत्पादन से मासिक औसत प्राप्तियाँ रू0 7875 तथा पशुपालन से रू0 4385 अनुमानित हुई।

15. कृषक परिवारों की ऋणग्रस्तता

- राज्य में कृषक परिवारों की ऋणग्रस्तता 25 प्रतिशत अनुमानित हुई तथा प्रति परिवार औसत अवशेष ऋण की धनराशि रू0 27382 अनुमानित हुई।
- संस्थागत वित्तीय संस्थानों से लिये गये गये ऋण में से 86.1 प्रतिशत तथा पेशवर महाजनों से 4.8 प्रतिशत बकाया ऋण अनुमानित हुआ।
- कृषि उद्देश्यों हेतु लिये गये ऋण का प्रतिशत 61.3 अनुमानित हुआ।

******

अध्याय–4
डेटा बैंक

4.0 पृष्ठभूमि

प्रभाग मुख्यालय स्तर पर डेटा बैंक अनुभाग स्थापित है, जिसके द्वारा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी उपक्रमों तथा विभिन्न एजेंसियों से द्वितीयक आँकड़े प्राप्त कर महत्वपूर्ण प्रकाशनों यथा–उत्तर प्रदेश एक झलक, सांख्यिकीय डायरी, सांख्यिकीय सारांश, जिलेवार विकास संकेतक, अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़े आदि प्रति वर्ष प्रकाशित किये जाते हैं। साथ ही आवश्यकतानुसार तदर्थ प्रकाशन भी प्रकाशित किये जाते हैं। प्रकाशित प्रकाशनों में सांख्यिकीय डायरी एवं उत्तर प्रदेश एक झलक प्रदेश को विधानमण्डल में माननीय सदस्यों को वितरित की जाती है।

प्रदेश स्तर पर सांख्यिकीय कार्यों में समन्वय हेतु शासनादेश सं0 2/39(3)–नियोजन विभाग (क) दिनांक लखनऊ 8, अगस्त, 1969 द्वारा उत्तर प्रदेश सांख्यिकीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। शासनादेश के अनुसार इस समिति के अधीन विभिन्न विषयों पर 10 उपसमितियों का गठन किया गया है। समिति के संयोजक आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक तथा सदस्य विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं।

10 उपसमितियाँ निम्न हैं :–

1–भूमि उपयोगिता, कृषि एवं वन
2–उद्योग, खनिज एवं श्रम व रोजगार
3–सड़क एवं परिवहन
4–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
5–पशुपालन एवं मत्स्य
6–सिंचाई, लघु सिंचाई एवं विद्युत
7–बैकिंग, ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी एवं सहकारिता
8–शिक्षा एवं प्रावैधिक शिक्षा
9– सांख्यिकीय डायरी
10–क्षेत्रफल, जनसंख्या, राज्य आय एवं आर्थिक सूचकांक

उक्त बिन्दुवार 10 उपसमितियों में से क्रम संख्या 1–9 तक बैठक डेटा बैंक अनुभाग द्वारा आहूत की जाती है तथा बिन्दु 10 से सम्बन्धित बैठक राज्य आय अनुभाग द्वारा आहूत की जाती है। इन उपसमितियों में राज्य सरकार के विभिन्न विभाग सदस्य हैं। इन उपसमितियों का मुख्य कार्य सम्बन्धित विभागों से सांख्यिकीय आँकड़ें प्राप्त कर उनकी विभिन्न बैठकों में आम सहमति से पारित किया जाना है ताकि सभी स्तर पर आँकड़ों में भिन्नता न रहने पाये और सांख्यिकीय कार्यो में समन्वय बना रहे।

उक्त के अतिरिक्त प्रभाग के जनपदीय कार्यालयों द्वारा ग्रामवार आधारभूत आँकड़े संग्रहित किये जाते है। इसके अन्तर्गत सुविधाओं से दूरी के अनुसार ग्रामों की संख्या सम्बन्धी सूचनायें एकत्रित की जाती हैं जो एक महत्वपूर्ण सूचना है। यह सूचना प्रत्येक ग्राम से सुविधा की दूरी के अनुसार एकत्रित कर विकास खण्ड तथा जनपद स्तर पर तैयार की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली सांख्यिकीय पत्रिकाओं में उक्त आँकड़ों का उपयोग किया जाता है। जनपदीय सांख्यिकीय पत्रिकाओं के आधारभूत आँकड़ों पर प्रभाग स्तर पर अन्तर्जनपदीय आँकड़े (वार्षिक प्रकाशन) प्रकाशित किये जाते है। इस प्रकाशन में सुविधा से दूरी के अनुसार ग्रामों की जनपदवार/मण्डलवार/क्षेत्रवार/प्रदेश स्तर के आँकड़े प्रकाशित किये जाते हैं।

4.1 कार्य एवं दायित्व

प्रभाग मुख्यालय स्तर पर गठित डेटा बैंक अनुभाग का मुख्य कार्य विकास सम्बन्धी द्वितीयक आँकड़ों का संग्रहण कर प्रकाशन के रूप में या सॉफ्टकापी में संरक्षित करना हैं। साथ ही शासन, केन्द्र सरकार तथा विभिन्न एजेंसियों की माँग के अनुरूप उन्हें अपेक्षित आँकड़ें उपलब्ध कराये जाते हैं।

4.2 अनुभाग द्वारा तैयार किये जाने वाले मुख्य प्रकाशनों का संक्षिप्त विवरण

4.2.1 सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश

सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश सरकार की आर्थिक, सामाजिक एवं विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धियों से सम्बन्धित आँकड़ों का वार्षिक प्रकाशन है। वर्ष 1968 से प्रति वर्ष सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश का प्रकाशन किया

जा रहा है। उक्त प्रकाशन में विभिन्न प्रमुख आँकड़ों को 24 अध्यायों के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, नियोजन के निर्देश के क्रम में 4 नयी तालिकाओं को जोड़ते हुए 148 तालिकाओं के स्थान पर 152 तालिकाओं में प्रकाशित किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त 4 तालिकाओं में सिंचाई, बैकिंग तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों के महत्वपूर्ण आँकड़ें समाहित किये गये गये हैं। साथ ही मुख्य–मुख्य मदों को इस प्रकाशन में ग्राफ/चार्ट् से भी प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकाशन में तुलनात्मक अध्ययन के दृष्टिकोण से भी आँकड़े प्रदर्शित किये जाते है। सांख्यिकीय डायरी का प्रकाशन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अलग–अलग किया जाता है।

4.2.2 उत्तर प्रदेश एक झलक (आँकड़ों में)

यह प्रकाशन वर्ष 1991 से नियमित रूप से किया जा रहा है। इससे पूर्व इस प्रकाशन को फोल्डर के रूप में प्रकाशित किया जाता था। प्रदेश में विकास के महत्वपूर्ण मदों को एक दृष्टि में प्रदर्शित करने के लिये इसका प्रकाशन किया जाता है। यह प्रकाशन दो खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड में उ0प्र0 के महत्वपूर्ण मदों के तीन वर्षों के आँकड़े होते हैं तथा द्वितीय खण्ड में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश के तुलनात्मक संकेतक प्रकाशित किये जाते हैं। प्रथम खण्ड में 15 विभागों/सेक्टरों की सूचनाएं तथा द्वितीय खण्ड में 47 मदों के संकेतांक सम्मिलित हैं। उ0प्र0 एक झलक (आँकड़ों में) का अंग्रेजी भाषा में रूपान्तर वर्ष 2009 से प्रारम्भ किया गया है।

4.2.3 जिलेवार विकास संकेतक, उत्तर प्रदेश

''उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति के अभिज्ञान हेतु जिलेवार विकास संकेतक'' नामक प्रकाशन वर्ष 1978 से प्रति वर्ष प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकाशन से अर्न्तक्षेत्रीय विषमताओं का बोध होता है। वर्ष 2008 से इस प्रकाशन का नाम बदलकर ''जिलेवार विकास संकेतक उत्तर प्रदेश'' करते हुए प्रकाशन को द्विभाषी कर दिया गया है। तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा हेतु इस प्रकाशन में उपलब्ध अधुनान्त संकेतकों के साथ ही आधार वर्ष के भी संकेतक दिये गये हैं। इस प्रकाशन को दो भागों में विभक्त किया गया है। इसके प्रथम भाग में कुल 125 संकेतकों को सम्मिलित किया गया है, जो मुख्यतया जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, अवस्थापना सुविधाओं, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, उद्योग, बैंकिंग, वित्त तथा सहकारिता, रोजगार एवं मानवशक्ति तथा आय पर आधारित हैं। इसके द्वितीय भाग में प्रथम भाग के मदों पर ही आधारित 46 महत्वपूर्ण मदों के संकेतकों पर आधारित उच्चतम एवं निम्नतम मान वाले पाँच–पाँच जनपदों को चिह्नित करते हुए उनके विकास संकेतकों को प्रकाशित किया जाता है, जो जनपदों एवं सम्भागों की अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं एवं उनमें विकास के स्तर को पूर्ण रूप से परिलक्षित करते है।

4.2.4 सांख्यिकीय सारांश, उत्तर प्रदेश

''सांख्यिकीय सारांश, उत्तर प्रदेश'' नामक प्रकाशन वर्ष 1961 से प्रकाशित किया जा रहा है। यह एक द्विभाषी वार्षिक प्रकाशन है। वर्ष 1986 से इसे केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रारूप पर आधारित, संशोधित कर प्रकाशित किया जा रहा है। तुलनात्मक अध्ययन हेतु इस प्रकाशन की अधिकांश तालिकाओं में विगत वर्षों की राज्यस्तरीय सूचनाओं के साथ ही उपलब्ध अधुनान्त वर्ष की जनपदवार सूचनाएं दी जाती हैं। इस प्रकाशन में तीन खण्डों सामाजिक सांख्यिकी, आर्थिक सांख्यिकी एवं अन्य सांख्यिकी के अन्तर्गत कुल 35 अध्याय दिये जाते हैं। इसमें समाजार्थिक क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं यथा क्षेत्रफल, जनसंख्या, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, राज्य आय, कृषि, पशुपालन, परिवहन, पर्यटन, श्रम एवं रोजगार, वित्त तथा सार्वजनिक प्रशासन एवं निर्वाचन आदि सम्बन्धी आँकड़ों का समावेश किया जाता है।

4.2.5 अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़ें

अन्तर्राज्यीय विषमताओं का बोध कराने के उद्देश्य से ''अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़े'' नामक द्विभाषी वार्षिक प्रकाशन तैयार किया जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1976 से प्रारम्भ किया गया। यह प्रकाशन दो भागों में विभक्त है। इसके प्रथम भाग में भारत के 28 प्रमुख व 8 केन्द्रशासित राज्यों के आँकड़ों के साथ–साथ राष्ट्रीय स्तर के भी आँकड़ों का समावेश किया गया है, जिनसे प्रमुख राज्यों एवं राष्ट्रीय औसत से प्रदेश के विकास का पारस्परिक तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इसके द्वितीय भाग में महत्वपूर्ण समाजार्थिक संकेतक दिये गये हैं।

इस प्रकाशन हेतु अपेक्षित आँकड़े भारत सरकार के सम्बन्धित विभिन्न विभागों, भारतीय रिज़र्व बैंक, राज्यों के सांख्यिकीय ब्यूरो तथा अन्य संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।

4.2.6 अन्तर्जनपदीय आँकड़ें

प्रदेश के ग्रामों में उपलब्ध आर्थिक एवं सामाजिक सुविधाओं एवं उनकी ग्रामों से दूरी के आँकड़े जो प्रतिवर्ष जनपदीय सांख्यिकीय पत्रिका में प्रकाशित किये जाते हैं, उन्हीं सूचनाओं के आधार पर प्रभाग द्वारा वर्ष 1996 से इस प्रकाशन को द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता था। वर्ष 2015 से यह प्रकाशन प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाने लगा है तथा इसी वर्ष से इसमें भाग–2 सम्मिलित किया गया है जिसमें सम्भागवार रैंकिग प्रदर्शित की गयी है।

4.2.7 जनपद एवं मण्डल की सांख्यिकीय पत्रिका

यह प्रकाशन जनपद स्तर पर वर्ष 1976 एवं मण्डल स्तर पर वर्ष 1980 से प्रारम्भ किये गये। इस प्रकाशन में सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं के आँकड़ें प्रकाशित किये जाते हैं यथा क्षेत्रफल एवं जनसंख्या, कृषि, पशुगणना तथा कृषि गणना, पशुपालन तथा मत्स्य, सहकारिता, उद्योग, सामान्य शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विद्युत, परिवहन एवं संचार, संस्थागत वित्त, जल सम्पूर्ति, पेयजल, भाव तथा अन्य विविध विषयों के आँकड़े एवं संकेतक प्रकाशित किये जाते हैं। प्रारम्भ में यह प्रकाशन मैन्युअली प्रकाशित किये जाते थे। वर्ष 1995 से यह पत्रिका वेब बेस्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित की जा रही है। इस प्रकार 1995 से 2022 तक की सांख्यिकीय पत्रिकायें प्रभाग की वेबसाइट updes.up.nic.in इण्टरनेट पर उपलब्ध है।

4.2.8 जनपद एवं मण्डलीय समाजार्थिक समीक्षा

मण्डल एवं जिला समाजार्थिक समीक्षा का प्रकाशन वर्ष 1980 से वर्षानुवर्ष तैयार करना प्रारम्भ किया गया है। इन प्रकाशनों में कुल 17 अध्याय निर्धारित हैं और प्रत्येक अध्याय के अर्न्तगत मदों का भी निर्धारण किया गया है। इस प्रकाशन में जनपद की अर्थव्यवस्था की विस्तृत विवेचना के साथ ही प्रमुख विषयों यथा कृषि, सिंचाई, उद्योग, परिवहन, संचार, शिक्षा, पर्यटन का तथ्यात्मक एवं समीक्षात्मक विश्लेषण किया गया है। इन प्रकाशनों में प्रमुख विषयों को ग्राफ/चार्ट द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है।

4.2.9 विकास खण्ड की सांख्यिकीय पत्रिका

विकास खण्ड की सांख्यिकीय पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 2003–04 से प्रारम्भ किया गया है। यह प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इसमें चार अध्यायों के अर्न्तगत प्रथम अध्याय में विकास खण्ड एक दृष्टि में, द्वितीय अध्याय में महत्वपूर्ण विकास खण्ड संकेतक, तृतीय अध्याय में विकास खण्ड का आर्थिक कार्य कलाप तथा चतुर्थ अध्याय में राजस्व ग्राम एक दृष्टि में से सम्बन्धित आँकड़ें प्रकाशित किये जाते हैं।

4.2.10 विकास खण्ड की समाजार्थिक समीक्षा

विकास खण्ड की समाजार्थिक समीक्षा का भी प्रकाशन वर्ष 2003–04 से कराया जा रहा है। यह प्रकाशन भी प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन में 16 अध्याय है। इस प्रकाशन में विकास खण्ड स्तर के सामाजिक एवं आर्थिक कार्यकलापों पर प्रकाश डाला जाता है। अर्थव्यवस्था की विस्तृत विवेचना करने एवं साथ ही प्रमुख विषयों जनसंख्या, आर्थिक स्थिति, कृषि, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, विद्युत एवं खनिज, वित्तीय संस्थायें, सड़क परिवहन एवं संचार, शिक्षा, सामाजिक सेवायें, स्वस्थ, पेयजल, पर्यटन एवं नियोजन के बारे में अधुनान्त सूचनायें दी जाती हैं। इस प्रकाशन में विकास खण्ड स्तर की प्रगति के बारे में पूर्ण जानकारी रहती है।

4.2.11 ग्रामवार आधारभूत आँकड़ों का संग्रहण

ग्राम स्तर पर विकास योजना संरचना हेतु उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं सम्बन्धी आँकड़े नितान्त आवश्यक है। इसी दृष्टि से वर्ष 1973 से प्रदेश के समस्त आबाद ग्रामों में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं तथा उस ग्राम के महत्वपूर्ण आँकड़ों के संग्रहण एवं संकलन का कार्य विकास खण्डों में अर्थ एवं संख्या प्रभाग के तैनात सहायक विकास अधिकारी (सां.) के पर्यवेक्षण में ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा प्रारम्भ किया गया। इनके संग्रहण हेतु रूप पत्र निर्धारित है, जिसके खण्ड–1, में परिचयात्मक विवरण तथा खण्ड–2 से 15 तक में जनगणना सम्बन्धी सूचनायें, पशुगणना, कृषि गणना, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पेयजल सुविधा, यातायात एवं संचार, विविध अवस्थापना सुविधा, विपणन भण्डार गृह, ऋण सुविधायें, पारिवारिक उद्योग, व्यवसाय, कृषि साँख्यिकी तथा मुख्य फसलों के अर्न्तगत क्षेत्रफल सम्मिलित है। ग्राम स्तरीय आँकड़े प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार संग्रह किये जाते हैं। इन आँकडों के आधार पर जिला सांख्यिकीय पत्रिका की तालिका–64, सुविधा से दूरी के अनुसार ग्रामों की संख्या तैयार की जाती हैं।

4.3.वर्ष 2022–23 में सम्पादित कार्य

4.3.1 प्रभाग स्तर पर तैयार प्रकाशन

1– उत्तर प्रदेश एक झलक (आँकड़ों में), 2022 (हिन्दी तथा अंग्रेजी)
2– सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश, 2022 (हिन्दी तथा अंग्रेजी)
3– जिलेवार विकास संकेतक, उत्तर प्रदेश, 2022
4– सांख्यिकीय सारांश, उत्तर प्रदेश, 2022
5– अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़ें 2021

4.3.2 मण्डल/जनपद/विकास खण्ड स्तर पर प्रकाशित प्रकाशन ।

1–मण्डलीय सांख्यिकीय पत्रिका, 2022
2–मण्डलीय समाजार्थिक समीक्षा, 2022
3–जनपदीय सांख्यिकीय पत्रिका, 2022
4–जनपदीय समाजार्थिक समीक्षा, 2022
5–विकास खण्ड की सांख्यिकीय पत्रिका, 2022
6–विकास खण्ड की समाजार्थिक समीक्षा, 2022

4.4 ग्राम्य विकास आँकड़ा

4.4.1 पृष्ठभूमि

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण अचंल के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम यथा–अवस्थापना सम्बन्धी, रोजगार परक एवं कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इनकी मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक समीक्षा करना अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य के दृष्टिगत प्रभाग स्तर पर **''सामुदायिक विकास अनुभाग''** गठित किया गया जिसे बाद में ग्राम्य विकास आँकड़ा अनुभाग कर दिया गया। जिसका कालान्तर में डेटा बैंक अनुभाग में संविलियन कर दिया गया।

आयुक्त एवं सचिव, कृषि उत्पादन एवं ग्राम विकास के पत्र संख्या 7137/38–2–335/79 दिनांक 25.9.1981 एवं पत्र संख्या–80/प्र0बो0–23/92 दिनांक 13–3–2000 में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में संचालित विकास कार्यों की मासिक/त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन अनुभाग द्वारा तैयार की जाती थी। वर्तमान में ग्राम्य विकास कार्यों के मासिक प्रतिवेदन में नई योजनाओं का समावेश कर पुरानी बन्द हो चुकी योजनाओं को हटाते हुए उपरोक्तानुसार ही नये डेटा इन्ट्री सॉफ्टवेयर पर ग्राम्य विकास कार्यों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

4.4.2 प्रतिवेदन सम्प्रेषण समय सारिणी

कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव के पत्र संख्या 80/प्र0बो0–23/92 (अर्थ एवं संख्या) दिनांक 13.03.2000 द्वारा उक्त का सम्प्रेषण सुनिश्चित कराने हेतु निम्न समय सारणी बनायी गयी, जिसके अनुसार वर्तमान में कार्य हो रहा है।

1–	ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों (बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं) द्वारा खण्ड विकास अधिकारी को मासिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराना।	सम्बन्धित मास का अन्तिम कार्य दिवस
2–	खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध कराना।	अगले मास की 5 तारीख तक
3–	मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जनपद का मासिक प्रगति प्रतिवेदन जिला सूचना विज्ञान केन्द्र के माध्यम से मण्डलायुक्त तथा आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक को उपलब्ध कराना।	अगले मास की 10 तारीख तक

4.4.3 निरीक्षण/परिनिरीक्षण

प्रभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा विकास खण्डों का निरीक्षण एवं ग्रामों में जाकर कार्यक्रमों की प्रगति ज्ञात करने हेतु स्थलीय सत्यापन किया जाता है। आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 96/प्र0बो0–30/81 दिनांक 17.01.1985 द्वारा ग्राम्य विकास कार्यों के निरीक्षण हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रथम भाग में विकास खण्ड में संचालित विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा तथा द्वितीय भाग में सहायक विकास अधिकारी (सां.) द्वारा रखे जाने वाले सांख्यिकीय अभिलेखों के निरीक्षण तथा तृतीय भाग में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों के निरीक्षण तथा ग्राम में हुये विकास कार्यों के स्थलीय सत्यापन का विस्तृत विवरण अंकित किया जाये।

क्षेत्रीय अधिकारियों के निरीक्षणों के मानक निर्धारित करने हेतु आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक के अर्द्धशा0 पत्र 182/प्र0बो0–31/92 दिनांक 09.08.2000 के अनुसार 6 से अधिक विकास खण्डों वाले जनपदों में तैनात प्रत्येक अधिकारी के लिए प्रत्येक माह कम से कम दो विकास खण्डों के निरीक्षण तथा 6 विकास खण्डों तक के जनपदों में तैनात प्रत्येक अधिकारी के लिए प्रति माह कम से कम एक विकास खण्ड के निरीक्षण (प्रत्येक विकास खण्ड के वर्ष में कम से कम दो निरीक्षण) निर्धारित है। इसी प्रकार मण्डलीय उप निदेशक हेतु प्रति माह 3 निरीक्षण

का नार्म निर्धारित किया गया है एवं निरीक्षणोपरान्त निरीक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण तिथि से 15 दिन के अन्दर प्रभाग मुख्यालय को प्रेषित किया जाना है।

उक्तानुसार प्रभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों यथा सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकीय), अर्थ एवं संख्याधिकारी, उपनिदेशक (अर्थ एवं संख्या) द्वारा ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विकास कार्यों की स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट प्रतिमाह उपलब्ध करायी जाती है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपूर्ण/फर्जी रिपोर्टिंग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं अपूर्ण/फर्जी कार्यों को पूर्ण कराने हेतु कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभागाध्यक्षों से पत्र व्यवहार तथा इसकी सूचना समीक्षा हेतु शासन को उपलब्ध करायी जाती है। इन समस्त निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा की जाती है एवं समीक्षोपरान्त इनके निरीक्षणों को श्रेणीबद्ध भी किया जाता है।

4.5 वर्ष 2022–23 में सम्पादित कार्य

4.5.1 क्षेत्रीय अधिकारियों के निरीक्षण– वर्ष 2022–23 के मध्य विभिन्न मण्डलों से उपनिदेशकों एवं अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा प्रभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप सामुदायिक विकास कार्यों के निरीक्षण पूर्ण किये गये। जिन क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष कम निरीक्षण किये गये उनको भविष्य में लक्ष्यों के सापेक्ष शत प्रतिशत निरीक्षण करने हेतु पत्र निर्गत किये गये।

4.5.2 ग्राम्य विकास कार्यों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन–वर्ष 2022–23 के मध्य प्रतिवर्ष निर्धारित 12 प्रगति प्रतिवेदन के सापेक्ष जनपदों के अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा निर्धारित रूपपत्र पर नियमित रूप से मण्डलीय उपनिदेशकों को प्रेषित की गयीं तथा उनके द्वारा मण्डल की संकलित रिपोर्ट प्रभाग मुख्यालय को प्रेषित की गयी।

4.5.3 ग्राम्य विकास कार्य

जनपदीय अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा 6 से अधिक विकास खण्ड वाले जनपदों में प्रति माह 2 निरीक्षण, 6 विकास खण्ड तक के जनपदों शामली, रामपुर, अमरोहा, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्व नगर, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, श्रावस्ती तथा सन्तरविदास (भदोही) नगर में प्रति माह 1 निरीक्षण और प्रति निरीक्षण कम से कम 25 इकाइयों का स्थलीय सत्यापन किया जाता है। इसी प्रकार उपनिदेशक द्वारा मण्डल के विभिन्न जनपदों में प्रतिमाह 3 निरीक्षण एवं प्रति निरीक्षण कम से कम 25 इकाइयों का स्थलीय सत्यापन किया जाता है।

मण्डलीय उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या/क्षेत्रीय अर्थ एवं संख्याधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (सां0) द्वारा किये गये स्थलीय सत्यापनों की संख्या–2022–23

क0सं0	वर्ष 2022–23 में निरीक्षणों की कुल संख्या	ग्राम्य स्तरीय कार्यकर्ता की रिर्पोट के अनुसार इकाई संख्या	पूर्ण	अपूर्ण	फर्जी
1	2	3	4	5	6
1	4775	149054	149050	2	2

वर्ष 2022–23 में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा ग्राम्य विकास कार्यों के किये गये कुल निरीक्षणों की संख्या निम्नलिखित है –

क0सं0	अधिकारी का पदनाम	वर्ष 2022–23 में किये गये निरीक्षणों की संख्या	
		लक्ष्य	पूर्ति
1–	उपनिदेशक	501	284
2–	अर्थ एवं संख्याधिकारी	2473	12017
3–	सहायक विकास अधिकारी (सां0)	9330	3194

1– अलीगढ़ मण्डल में उपनिदेशक का पद स्वीकृत नहीं है।
2– उक्त रिपोर्ट वर्तमान में जनपद/मण्डलीय अधिकारियों के भरे पदों के सापेक्ष तैयार की गयी है।
3– प्रभाग मुख्यालय पर सहा0 वि0 अधि0 (सां0) के निरीक्षणों का संकलन नहीं किया जाता है तथा लक्ष्य का निर्धारण मुख्यालय स्तर से नहीं होता है।

4.6 जिला सुशासन सूचकांक

उत्तर प्रदेश राज्य हेतु तैयार किये जा रहे जिला सुशासन सूचकांक–2022 के सन्दर्भ में सम्पादित कार्य का विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य हेतु तैयार किये जा रहे जिला सुशासन सूचकांक हेतु अन्तिम रूप से चयनित 10 सेक्टरों के 68 संकेतकों का विवरण निम्नवत है–

Sector-wise indicators		
Sr.No.	**Name of Sectors**	**No. of Indicators**
1	**2**	**3**
1	**Agriculture & Allied Sectors**	9
2	**Commerce and Industry**	4
2	**Human Resource development**	9
4	**Public Health**	9
5	**Public Infrastructure & Utilities**	7
6	**Economic Governance**	4
7	**Social Welfare & Development**	10
8	**Judiciary & Public Security**	7
9	**Environment**	2
10	**Citizen Centric Governance**	7
	Total	**68**

उक्त संकेतकों के 141 डेटा प्वाइंट पर वांछित जनपदवार आँकड़े सम्बन्धित 39 विभागों से प्राप्त किये गये। उक्त आँकड़ों को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली को प्रेषित करते हुए समय–समय पर तैयार प्रस्तावित ड्राफ्ट रिपोर्ट/पोर्टल में प्रयुक्त आंकड़ों एवं मूल रूप से प्रेषित आँकड़ों का मिलान किया गया जिसमें पायी गयी विसंगतियों से समय–समय पर भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली को अवगत कराते हुए डेटा बैलीडेशन सम्बन्धी कार्य सम्पादित किया गया।

4.7 डायरी के प्रारूप में परिवर्तन के सम्बन्ध में –सांख्यिकीय डायरी पर गठित सांख्यिकीय समन्वय उपसमिति की दिनांक 30.11.2022 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार सांख्यिकीय डायरी, उ0प्र0 प्रकाशन के वर्ष 2023 अंक से निम्न तालिकाओं में परिवर्तन/परिवर्द्धन किये गयेः–

1. ता0सं0 6.03 उ0प्र0 में पशु चिकित्सा सेवाओं के अन्तर्गत भेड़, ऊन विकास केन्द्र , कुक्कुट प्रजनन केन्द्र, सुअर प्रजनन केन्द्रों की संख्या प्रकाशन के वर्ष 2023 अंक में सम्मिलित की जा रही है।
2. ता0सं0 9.01 उ0प्र0 तथा भारत में अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों के कार्यशील कार्यालयों में प्रकाशन वर्ष 2023 के अंक से उ0प्र0 तथा भारत में बैंकों के प्रकार के अनुसार यथा राष्ट्रीयकृत बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्माल फाइनेंस बैंक तथा पेमेंट बैंकों से सम्बन्धित आँकड़े प्रकाशित किये जायेंगे।
3. ता0सं0 10.03 उ0प्र0 में प्रारम्भिक सहकारी दुग्ध समितियों की प्रगति के अन्तर्गत पराग दुग्ध संघ से सम्बन्धित चिलिंग प्लान्ट तथा मिल्क प्रोसेसिंग प्लान्ट की सं0 तथा क्षमता वर्ष 2023 से सम्मिलित की जा रही है।
4. ता0सं0 13.09 उ0प्र0 में चीनी उद्योग से सम्बन्धित सूचना के अन्तर्गत वर्ष 2023 से गन्ना आपूर्ति सहकारी समितियां, कार्यरत चीनी मिलों की संख्या (निगम क्षेत्र सहकारी क्षेत्र व निजी क्षेत्र) वर्गीकृत करते हुए शामिल की जा रही है।
5. ता0सं0 14.02 उ0प्र0 में विभिन्न प्रकार से उत्पादित विद्युत का प्रारूप परिवर्तित करते हुए अक्षय ऊर्जा (सोलर, नानसोलर) आदि सम्बन्धी आंकड़ें वर्ष 2023 से सम्मिलित किये जा रहे हैं।
6. ता0सं0 16.01 उ0प्र0 में ऐलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की सं0 के अन्तर्गत एफ0आर0यू0, आक्सीजन प्लांट, पैथलाजी लैब डायग्नोस्टिक क्लीनिक एवं एक्सरें, पंजीकृत ब्लड बैंक की सूचना वर्ष 2023 अंक से सम्मिलित की जा रही हैं।
7. ता0सं0 19.01 उ0प्र0 में राष्ट्रीय बचत के अन्तर्गत वर्ष 2023 से योजनावार यथा डाकघर बचत, आवर्ती बचत, सावधि बचत आदि की सूचना शामिल की जा रही है।
8. उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से सम्बन्धित नई ता0 12.09 वर्ष 2023 अंक से शामिल की जा रही है।

9. ता0सं0 24.01 उ0प्र0 में निबन्धन हेतु प्रस्तुत लेख्य पत्रों की संख्या तथा अन्तरित सम्पत्तियों का अनुमानित मूल्य के अन्तर्गत वर्ष 2023 अंक से निबन्धन से प्राप्त आय को भी सम्मिलित किया जा रहा है।
10. ता0सं0 10.02 उ0प्र0 में सहकारी बैंको की शाखाओं की संख्या, केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार, क्रय विक्रय समितियां प्रारम्भिक उपभोक्ता भण्डार एवं जिला सहकारी संघ की सं0 शामिल की जा रही है।
11. ता0सं0 17.02 उ0प्र0 में सड़क पर चल रही (आन रोड़) मोटर गाडियों के अन्तर्गत वर्ष 2023 से ई0 चालित/बैटरी संचालित मोटर गाड़ियां शामिल की जा रही है।

4.8. कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन (EPFO)

- कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन (EPFO) विश्व में सबसे बडा सामाजिक सुरक्षा संगठन है।
- इसकी स्थापना दिनांक 15.11.1951 को कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश के जारी होने के साथ हुई थी। इस अध्यादेश को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 द्वारा बदला गया। कर्मचारी भविष्य निधि को संसद में वर्ष 1952 के बिल संख्या 15 के रूप में लाया गया ताकि कारखानों तथा अन्य कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य निधि की स्थापना की प्राविधान हो सके। इसे अब कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 के रूप में जाना जाता है। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। इस अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनी योजनाओं का प्रशासन एक त्रिपक्षीय बोर्ड केन्द्रीय न्यासी बोर्ड जिसमें सरकार (केन्द्र तथा राज्य दोनों), नियोक्ता तथा कर्मचारियों के प्रतिनिध शामिल है द्वारा किया जाता है।
- केन्द्रीय न्यासी बोर्ड संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अंशदायी भविष्य निधि योजना, पेंशन योजना तथा बीमा योजना का प्रशासन करता है। यह ग्राहकों की संख्या तथा वित्तीय लेन देन के आधार पर संसार की सबसे बडी संस्था हैं।
- इसका उद्देश्य व्यापक सामाजिक सुरक्षा की विकसित हो रही जरूरतों को पारदर्शी और पेपरलेस तरीके से उपलब्ध कराना है।
- शासन के निर्देशानुसार अथक प्रयास कर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) नई दिल्ली से उ0प्र0 के समस्त 75 जनपदों के जिला घरेलू उत्पाद अनुमान के संगणन के प्रयोगार्थ वर्ष 2018–19 से 2021–22 तक 4 वर्षो की पंजीकृत प्रतिष्ठानों एवं कर्मकरों की जनपदवार सूचना प्राप्त की गयी। उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार उ0प्र0 में वर्ष 2018–19 में कुल 42509 प्रतिष्ठानों में 3023159 कर्मकर पंजीकृत थे। इसी प्रकार वर्ष 2019–20 में 44656 प्रतिष्ठानों में 3201441 कर्मकर, वर्ष 2020–21 में 45136 प्रतिष्ठानों में 3128115 कर्मकर एवं वर्ष 2021–22 में 46654 प्रतिष्ठानों में 3454632 कर्मकर पंजीकृत थे।

******

अध्याय–5
भाव सांख्यिकी

5.0 पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के भावों से सम्बन्धित आँकड़ों के संग्रहण, परिनिरीक्षण, संकलन तथा भाव सांख्यिकी प्रेषण के साथ–साथ नियमित सूचकांकों को तैयार करने और उनके रखरखाव का कार्य प्रभाग द्वारा किया जाता है।

5.1 कार्य एवं दायित्व

भाव सांख्यिकी सम्बन्धी कार्यों को सामान्यतया दो भागों में बाँटा जा सकता है।

1. भाव व मजदूरी दरों के संग्रहण एवं संकलन का कार्य

2. भाव व मजदूरी दरों के सूचकांक बनाने का कार्य

यह दोनों ही कार्य प्रभाग के स्थापना काल से ही चले आ रहे हैं। इसमें से भावों एवं मजदूरी की दरों के संग्रह का कार्य क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सम्पन्न किया जाता है जबकि सभी जनपदों के भाव व मजदूरी दरों के संकलन एवं सूचकांक बनाने का कार्य मुख्यालय स्तर पर किया जाता है।

भाव संकलन का उद्देश्य भावों में हो रहे उतार–चढ़ाव का अध्ययन करना तथा शासन को वस्तु स्थिति से अवगत कराना होता है। सूचकांक का उद्देश्य वर्ष विशेष की तुलना में हुए भावों/दरों के परिवर्तन की माप करना है। सूचकांकों के निर्माण के लिए भारण आरेख, आधार वर्ष के भाव के साथ–साथ वर्तमान भाव/दर का होना आवश्यक है ताकि भावों/दरों में हुए उतार–चढ़ाव की प्रतिशत वृद्धि एवं ह्रास की जानकारी सम्भव हो सके।

भाव व मजदूरी दरों के संग्रह व सूचकांक के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है

5.2. भावों/मजदूरी दरों का एकत्रीकरण

5.2.1 थोक भाव (कृषि व अकृषीय)

- कृषि विपणन निदेशालय के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 63 मण्डियों से 70 वस्तुओं के साप्ताहिक थोक भाव (प्रत्येक शुक्रवार) के आँकडे संग्रह प्रपत्र परिशिष्ट 1 व 3 पर प्राप्त किये जाते है।
- कृषि विपणन निदेशालय के माध्यम से प्रदेश के 48 प्रमुख मण्डियों से 19 कृषीय वस्तुओं के थोक भाव प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रह कराये गये तथा इनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन किया जाता है।
- 57 केन्द्रों से 286 मदों के कृषीय व अकृषीय मदों के थोक भाव (प्रत्येक शुक्रवार) संग्रह कराये जाते हैं।
- कृषि मदों के थोक भाव प्रत्येक शुक्रवार को राज्य कृषि विपणन संगठन से एकत्र किये जाते हैं तथा अकृषीय मदों के थोक भाव फर्मो एवं वाणिज्यिक संस्थानों से संग्रह किये जाते हैं। इनका उपयोग थोक भाव सूचकांक तैयार करने, राज्य व जिला आय अनुमान तैयार करने के साथ–साथ भारत सरकार को भी उनकी माँग के अनुरूप भेजा जाता है।

5.2.2 ग्रामीण फुटकर भाव

यह भाव 99 चयनित मदों के लिये प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड से प्रत्येक माह प्रथम बाजार दिवस को एकत्र कराये जाते हैं। इनका उपयोग ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक तैयार करने में किया जाता है।

5.2.3 नगरीय फुटकर भाव

यह भाव 101 चयनित मदों के लिये प्रदेश के समस्त जिला केन्द्रों से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रह कराये जाते हैं। इनका उपयोग नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक तैयार करने में किया जाता है।

5.2.4 नगरीय अमानी मजदूरी दरें

इसके अन्तर्गत राज, बढ़ई व अकुशल श्रमिक के मजदूरी की दरें संग्रहित की जाती हैं। श्रमिक की मजदूरी की दरें जनपद के प्रत्येक नगरपालिका परिषद एवं नगर निगम में चयनित दो अड्डों से जिनमें प्रथम अड्डे से माह के प्रथम शनिवार को एवं द्वितीय अड्डे से आगामी सोमवार को संग्रह करायी जाती हैं। इनका उपयोग नगरीय मजदूरी दर सूचकांक तैयार करने में किया जाता है।

5.2.5 ग्रामीण मजदूरी की दरें

इसके अन्तर्गत राज, बढ़ई व कृषि श्रमिक (पुरूष/महिला), दर्जी, नाई, तेल की पेराई, ईंट की पथाई व चरवाहा की मजदूरी की दरें संग्रहीत की जाती हैं। यह दरें प्रत्येक विकास खण्ड के एक चयनित ग्राम से माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रह करायी जाती है। इनका उपयोग ग्रामीण मजदूरी दर सूचकांक तैयार करने में किया जाता है। यह दरें प्रत्येक माह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित की जाती हैं। साथ ही साथ कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भी उनकी माँग के अनुरूप भेजी जाती हैं।

5.2.6 67 आवश्यक वस्तुओं के साप्ताहिक फुटकर भाव

यह भाव प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों से माह के प्रत्येक शुक्रवार को संग्रह कराकर ई–मेल द्वारा प्रभाग मुख्यालय पर मँगाये जाते हैं। इन भावों में से 48 वस्तुओं के भावों के आधार पर प्रत्येक सप्ताह की समीक्षा जिसमें गत सप्ताह, गत माह, गत त्रैमास एवं गत वर्ष के संगत सप्ताह के भावों से तुलनात्मक विवरण तैयार करके इससे सम्बन्धित समीक्षा शासन के प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, प्रमुख सचिव नियोजन विभाग, ज्वाइन्ट कमिश्नर (जी0एस0टी0), वाणिज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराये जाते हैं।

5.2.7 भारत सरकार व अन्य विभागों के प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार के भाव संग्रह का कार्य

- श्रम ब्यूरो शिमला के लिए पाँच केन्द्रों (कानपुर, वाराणसी, गौतमबुद्धनगर को गाजियाबाद केन्द्र के साथ सम्मिलित करते हुए, आगरा एवं लखनऊ) से भाव संग्रह कराकर सीधे श्रम ब्यूरो शिमला भेजे जाते हैं।
- अर्थ एवं सांख्यिकीय सलाहकार, भारत सरकार को 06 केन्द्रों (कानपुर, आगरा, गोरखपुर, सहारनपुर, प्रयागराज एवं लखनऊ) से 57 खाद्य आवश्यक वस्तुओं के साप्ताहिक फुटकर भाव प्रत्येक शुक्रवार को संग्रह कराकर सीधे प्रेषित किये जाते हैं।
- हापुड़ मण्डी के 11 प्रमुख वस्तुओं के थोक भावों को संग्रह कराकर अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जाते हैं।
- कानपुर नगर से बड़ी इलायची के थोक भाव संग्रह कराकर सहायक निदेशक (मार्केटिंग), इलायची बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, जिला गंगटोक, सिक्किम को प्रेषित किये जाते हैं।
- कच्चे ऊन के 05 केन्द्रों (प्रयागराज, जौनपुर, भदोही, झाँसी एवं रायबरेली) के थोक भावों को संग्रह कराकर निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित किये जाते हैं।
- जनपद बरेली एवं खीरी से शीशम एवं साल के थोक भाव प्रत्येक शुक्रवार को संग्रह कराकर इनका मासिक औसत तैयार कर आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किये जाते हैं।
- उ0प्र0 का थोक भाव सूचकॉक (286 मदों पर आधारित) आधार वर्ष 2011–12=100 का अनुमोदनोपरान्त 63 चयनित कृषीय मदों के थोक भाव प्रत्येक माह ई–मेल के माध्यम से उप महानिदेशक, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग को प्रेषित किये जाते है।

5.3 भाव/मजदूरी दरों के सूचकांक बनाने का कार्य

5.3.1 थोक भाव सूचकांक

यह सूचकांक कृषि व अकृषीय वस्तुओं पर आधारित थोक भाव सूचकांक है। सर्वप्रथम कृषि थोक भाव सूचकांक का आधार वर्ष 1957–58 एवं औद्योगिक थोक भाव सूचकांक का आधार वर्ष 1948 है। तत्पश्चात् दोनों सूचकांकों को सम्मिलित करते हुए इस सूचकांक का आधार वर्ष 1970–71 कर दिया गया है। पुनः इसे आधार वर्ष 2004–05 पर परिवर्तित कर दिया गया। आधार वर्ष 2004–05 पर 286 मदों के लिए राज्य स्तरीय थोक भाव सूचकांक तैयार कराये जाने का कार्य अप्रैल, 2010 से मार्च, 2016 तक किया गया। वर्तमान में आधार वर्ष परिवर्तित करके 2011–12 कर दिया गया है जिस पर अप्रैल 2016 से लगातार सूचकांक प्रत्येक माह एवं त्रैमास हेतु तैयार कराया जा रहा है।

5.3.2 उत्तर प्रदेश का नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक

यह सूचकांक नगरीय मध्यम वर्गीय उपभोक्ता भाव सूचकांक है। यह सर्वप्रथम 1948 को आधार वर्ष मानकर 1956 से तैयार कराया जा रहा था, जो उपभोग के स्वरूप में हुए परिवर्तन के कारण आधार वर्ष 1970–71 में परिवर्तित कर जुलाई 1981 से जून 2010 तक तैयार कराया गया। तदोपरान्त् आधार वर्ष परिवर्तित करके 2004–05

कर दिया गया। इस आधार वर्ष पर जुलाई 2008 से मार्च 2017 तक प्रत्येक माह 101 मदों पर आधारित राज्य स्तरीय एवं आर्थिक क्षेत्र स्तरीय नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक तैयार किया गया एवं प्रत्येक त्रैमास के अंत में प्रकाशित किया गया। वर्तमान में आधार वर्ष परिवर्तित करके 2011–12 कर दिया गया है, जिस पर जुलाई 2016 से लगातार सूचकांक प्रत्येक माह एवं त्रैमास हेतु तैयार कर प्रकाशित किया जा रहा है।

5.3.3 ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक

यह सूचकांक भी मध्यम वर्गीय ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक है। सर्वप्रथम यह सूचकांक आधार कृषि वर्ष 1954–55 के आधार पर जनवरी 1956 से तैयार कराया गया। पुनः आधार वर्ष को बदलकर 1957–58 व तत्पश्चात् 1970–71 किया गया। उपभोग के स्वरूप में आये महत्पूर्ण परिवर्तन के फलस्वरूप आधार वर्ष परिवर्तित करके 2004–05 कर दिया गया। इस आधार वर्ष पर जुलाई 2008 से मार्च 2017 तक 99 मदों पर आधारित राज्य स्तरीय एवं आर्थिक क्षेत्र स्तरीय ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक प्रत्येक त्रैमास हेतु तैयार कराया गया। वर्तमान में आधार वर्ष परिवर्तित करके 2011–12 कर दिया गया है, जिस पर जुलाई 2016 से सूचकांक लगातार प्रत्येक माह एवं त्रैंमास हेतु तैयार कराया जा रहा है।

5.3.4 ग्रामीण एवं नगरीय मजदूरी दर सूचकांक

ग्रामीण व नगरीय मजदूरों के लिए तैयार कराये जाने वाला यह सूचकांक आधार वर्ष 1970–71 पर त्रैमासान्त मार्च 1980 से तैयार कराया जाना प्रारम्भ किया गया था जिसे त्रैमासान्त जून 2010 तक बनाया गया। बाद में आधार वर्ष 2004–05 पर परिवर्तित करके इसे जुलाई 2008 से जून 2016 तक लगातार राज्य स्तरीय व आर्थिक क्षेत्र स्तरीय त्रैमासिक ग्रामीण एवं नगरीय मजदूरी दर सूचकांक तैयार कराया गया। वर्तमान में आधार वर्ष परिवर्तित करके 2011–12 कर दिया गया है जिस पर जुलाई 2016 से लगातार सूचकांक प्रत्येक माह एवं त्रैमास हेतु तैयार कराया जा रहा है। इस सूचकांक में ग्रामीण क्षेत्र के लिए राज, बढ़ई व कृषि श्रमिक जबकि नगरीय क्षेत्र के लिए राज, बढ़ई व अकुशल श्रमिक को शामिल किया गया है।

5.3.5 कृषि क्रय–विक्रय समता सूचकांक

यह सूचकांक कृषकों द्वारा प्राप्त मूल्य सूचकांक व कृषकों द्वारा भुगतान किये गये मूल्य सूचकांक का अनुपात है। यह सर्वप्रथम 1957–58 आधार वर्ष पर लगातार 1981–82 तक तैयार कराया गया उसके बाद आधार वर्ष परिवर्तित करके 1970–71 कर दिया गया। इस आधार वर्ष पर 2009–10 तक तैयार कराया गया तत्पश्चात् वर्ष 2004–05 को आधार वर्ष मानते हुए वार्षिक आधार पर राज्य स्तरीय सूचकांक वर्ष 2010–11 से 2015–16 तक नियमित रूप से तैयार कराया गया उसके बाद आधार वर्ष परिवर्तित करके वर्ष 2011–12 कर दिया गया। इस आधार वर्ष पर 2016–17 से नियमित रूप से तैयार कराया जा रहा है।

5.4 वर्ष 2022–23 में सम्पादित कार्य

5.4.1 विभागीय प्रयोगार्थ भाव संग्रह का कार्य

आलोच्य वर्ष में अब तक विभिन्न भाव श्रृंखलाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित थोक/फुटकर भाव संग्रह का कार्य किया गया।

- प्रदेश की 63 मण्डियों से कुल 70 वस्तुओं के प्रत्येक शुक्रवार के साप्ताहिक थोक भाव राज्य कृषि विपणन निदेशालय के माध्यम से एकत्र कराये गये तथा इनका राज्य आय व जिला आय निर्माण में उपयोग किया गया।
- राज्य आय तथा जिला घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करने के सन्दर्भ में राज्य कृषि विपणन निदेशालय के माध्यम से प्रदेश के 48 प्रमुख मण्डियों से 19 कृषीय वस्तुओं के प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के थोक भाव संग्रह कराये गये तथा इनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन किया गया।
- प्रदेश के 57 जिला केन्द्रों से 286 मदों के कृषीय व अकृषीय मदों के साप्ताहिक थोक भाव (प्रत्येक शुक्रवार) प्रभाग के जनपद कार्यालयों के माध्यम से संग्रह कराये गये तथा इनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन किया गया।
- प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालयों में चयनित नगरीय बाजार से उपभोक्ता वस्तुओं के अन्तर्गत वर्तमान चयनित 101 वस्तुओं के नगरीय फुटकर भाव प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को प्रभाग के जनपद कार्यालयों के माध्यम से संग्रह कराये गये तथा इनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन किया गया।
- प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड के चयनित ग्राम बाजार से प्रत्येक माह के प्रथम बाजार दिवस को उपभोक्ता वस्तुओं के अन्तर्गत वर्तमान चयनित 99 वस्तुओं के ग्रामीण फुटकर भाव संग्रह कराये गये तथा इनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन किया गया।

- राज्य स्तर पर भाव के उतार चढ़ाव के अनुश्रवण हेतु प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों से दैनिक उपभोग की 67 आवश्यक वस्तुओं के प्रत्येक शुक्रवार के फुटकर भाव संग्रह कराकर उनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन कर इनमें से 47 वस्तुओं के भावों की प्रवृत्ति पर साप्ताहिक विश्लेषण समीक्षाएं तैयार कर प्रदेश के प्रमुख सचिव (खाद्य एवं रसद), सचिव नियोजन, ज्वाइन्ट कमिश्नर (जी0एस0टी0), वाणिज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को प्रेषित की गयी।

5.4.2 भारत सरकार एवं अन्य विभागों के प्रयोगार्थ भाव संग्रह

- अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता भाव सूचकांक योजनान्तर्गत प्रदेश के पाँच केन्द्रों (कानपुर, वाराणसी, गौतमबुद्धनगर को गाजियाबाद केन्द्र के साथ सम्मिलित करते हुए, आगरा एवं लखनऊ) से 101 वस्तुओं के साप्ताहिक तथा 104 वस्तुओं के मासिक फुटकर भाव सम्बन्धित केन्द्र के अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा एकत्र कराकर सीधे श्रम ब्यूरो शिमला को भेजे गये।
- अर्थ एवं सांख्यिकी सलाहकार, भारत सरकार के उपयोगार्थ प्रदेश के चयनित 06 केन्द्रों (कानपुर, आगरा, गोरखपुर, सहारनपुर, प्रयागराज एवं लखनऊ) से 57 खाद्य आवश्यक वस्तुओं के प्रत्येक शुक्रवार के साप्ताहिक फुटकर भाव सम्बन्धित केन्द्रों के अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा संग्रह कराकर आर्थिक एवं सांख्यिकीय सलाहकार, अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001 को प्रेषित किये गये।
- हापुड़ मंडी से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के 11 प्रमुख वस्तुओं के थोक भावों को संग्रह एवं संकलित कराकर गत माह के भावों के आधार पर भावान्तर विवरण के साथ अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन को अवलोकनार्थ भेजे गये।
- कानपुर नगर केन्द्र से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के बड़ी इलायची के थोक भाव संग्रह कराकर ई–मेल के द्वारा भारत सरकार के इलायची बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय, गंगटोक, सिक्किम को भेजे गये ।
- प्रदेश के पाँच केन्द्रों यथा झाँसी, प्रयागराज, जौनपुर, भदोही एवं रायबरेली से कच्चे ऊन के मासिक उत्पादन थोक भाव संग्रह कराकर उनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन कर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराये गये।
- जनपद बरेली एवं खीरी से शीशम एवं साल के थोक भाव प्रत्येक शुक्रवार को संग्रह कराकर इनका मासिक औसत तैयार कर आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किये गये।
- उ0प्र0 का थोक भाव सूचकॉक (286 मदों पर आधारित) आधार वर्ष 2011–12=100 का अनुमोदनोपरान्त 63 चयनित कृषीय मदों के थोक भाव प्रत्येक माह ई–मेल के माध्यम से उप महानिदेशक, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग को प्रेषित किये गये।

5.4.3 मजदूरी दरें

- प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड के एक चयनित ग्राम से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को ग्रामीण मजदूरी की दरों के आँकड़े नियमित रूप से अर्थ एवं संख्याधिकारी के माध्यम से संग्रह कराये गये तथा इन आँकड़ों के परिनिरीक्षण एवं संकलन का कार्य प्रभाग मुख्यालय पर किया गया जिसमें से समस्त 75 जनपदों के विकास खण्डवार मजूदरी की दरों के परिनिरीक्षित आँकड़े आर्थिक एवं सांख्यिकी सलाहकार भारत सरकार नई दिल्ली को प्रत्येक माह ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की गयी। साथ ही साथ कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भी उनकी माँग के अनुरूप सूचना भेजी गयीं।
- प्रदेश के समस्त जिला केन्द्रों/नगरपालिकाओं, नगर निगमों के चयनित दो–दो प्रमुख अड्डो/मुहल्लो से जिनमे प्रथम अड्डे/मुहल्ले से प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार की तथा द्वितीय अड्डे/मुहल्ले से आगामी सोमवार को अकुशल श्रमिक, राज एवं बढ़ई की नगरीय अमानी मजदूरी की दरों का संग्रह कराकर प्रभाग मुख्यालय पर उनके परिनिरीक्षण एवं संकलन का कार्य किया गया।

• 5.4.4 भारत सरकार एवं अन्य विभागों के प्रयोगार्थ भाव एवं मजदूरी दरों के सूचकांकों का प्रेषण

- **थोक भाव सूचकांक–** माह जून, 2022 एवं त्रैमास अप्रैल–जून, 2022 के अनुमोदित थोक भाव सूचकांक की विस्तृत समीक्षात्मक टिप्पणी ग्राफ सहित उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को नियमित रूप से प्रेषित की जा रही है एवं साथ ही प्रत्येक माह व त्रैमास की अनुमोदित थोक भाव सूचकांक की विस्तृत समीक्षात्मक टिप्पणी ग्राफ

सहित समस्त उप निदेशकों (अर्थ एवं संख्या) उत्तर प्रदेश, समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारियों, उत्तर प्रदेश एवं संबंधित विभागों को प्रेषित की गयी है।

- **नगरीय उपभोक्ता सूचकांक–** भाव अनुभाग द्वारा प्रत्येक माह तैयार किये जा रहे नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक की विस्तृत समीक्षात्मक टिप्पणी ग्राफ सहित विभाग द्वारा तैयार किये गये INTEGRATED PORTAL पर अपलोड किये जाने हेतु नियमित रूप से कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित की गयी है।
- **ग्रामीण उपभोक्ता सूचकांक–** भाव अनुभाग द्वारा प्रत्येक माह तैयार किये जा रहे ग्रामीण उपभोक्ता सूचकांक की विस्तृत समीक्षात्मक टिप्पणी ग्राफ सहित विभाग द्वारा तैयार किये गये INTEGRATED PORTAL पर अपलोड किये जाने हेतु नियमित रूप से कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित की गयी है।
- भाव अनुभाग द्वारा प्रत्येक सप्ताह तैयार 47 आवश्यक वस्तुओं के साप्ताहिक फुटकर भावों की विस्तृत समीक्षात्मक टिप्पणी ग्राफ सहित विभाग द्वारा तैयार किये गये INTEGRATED PORTAL पर अपलोड किये जाने हेतु नियमित रूप से कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित की गयी है।

5.4.5 भाव एवं मजदूरी दरों के सूचकांकों का प्रकाशन

1– वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान उत्तर प्रदेश का थोक भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12), उत्तर प्रदेश का नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12) एवं उत्तर प्रदेश का ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12) त्रैमासान्त मार्च 2022 से त्रैमासान्त दिसम्बर 2022 के लिये प्रकाशित किये गये।

उत्तर प्रदेश का थोक भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)				
वर्ग	**त्रैमासान्त मार्च 2022 का औसत सूचकांक**	**त्रैमासान्त जून 2022 का औसत सूचकांक**	**त्रैमासान्त सितम्बर 2022 का औसत सूचकांक**	**त्रैमासान्त दिसम्बर 2022 का औसत सूचकांक**
समस्त	165.09	168.80	171.85	173.74
प्राथमिक	199.29	204.33	210.25	211.89
ईंधन व प्रकाश	213.10	216.98	219.18	220.34
विर्निमित	153.00	156.34	158.69	160.68
उत्तर प्रदेश का नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)				
वर्ग	**त्रैमासान्त मार्च 2022 का औसत सूचकांक**	**त्रैमासान्त जून 2022 का औसत सूचकांक**	**त्रैमासान्त सितम्बर 2022 का औसत सूचकांक**	**त्रैमासान्त दिसम्बर 2022 का औसत सूचकांक**
राज्य स्तरीय				
1.खाद्य, पेय द्रव्य और तम्बाकू	178.91	184.60	191.57	196.06
2.ईंधन व प्रकाश	235.00	241.24	247.63	249.75
3.आवास	211.23	212.69	213.02	214.98
4.वस्त्र, बिस्तर एवं जूते	181.10	186.36	190.42	191.77
5.विविध	171.73	175.67	177.61	179.29
क्षेत्रवार समस्त वर्ग				
पश्चिमी क्षेत्र	182.55	187.12	191.53	194.68
मध्य क्षेत्र	186.82	193.15	197.91	199.93
बुन्देलखण्ड क्षेत्र	182.37	189.54	193.76	197.66
पूर्वी क्षेत्र	184.09	187.54	193.80	196.88
उत्तर प्रदेश	183.89	188.87	193.68	196.65

उत्तर प्रदेश का ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)				
वर्ग	त्रैमासान्त मार्च 2022 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त जून 2022 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त सितम्बर 2022 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त दिसम्बर 2022 का औसत सूचकांक
राज्य स्तरीय				
1.खाद्य पेय द्रव्य और तम्बाकू	188.02	192.46	200.28	207.10
2.ईंधन व प्रकाश	223.55	227.00	231.40	234.38
3.आवास	229.17	230.64	234.23	240.32
4.वस्त्र, बिस्तर एवं जूते	189.92	194.60	197.74	199.08
5.विविध	175.78	180.21	182.11	184.68
क्षेत्रवार समस्त वर्ग				
पश्चिमी क्षेत्र	187.68	192.47	197.81	202.79
मध्य क्षेत्र	190.27	195.37	202.67	205.89
बुन्देलखण्ड क्षेत्र	186.04	190.46	192.83	197.56
पूर्वी क्षेत्र	190.90	194.43	200.18	205.94
उत्तर प्रदेश	189.34	193.64	199.26	204.22

2– उत्तर प्रदेश का ग्रामीण एवं नगरीय मजदूरी दर सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12 पर) त्रैमासान्त मार्च 2022 से त्रैमासान्त दिसम्बर 2022 का सूचकांक प्रकाशित किया गया ।

उत्तर प्रदेश का ग्रामीण मजदूरी दर सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)					
क्रमांक		त्रैमासान्त मार्च 2022 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त जून 2022 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त सितम्बर 2022 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त दिसम्बर 2022 का औसत सूचकांक
1	**पश्चिमी क्षेत्र**				
	(i) बढ़ई	194.48	197.14	199.25	200.90
	(ii) राज	187.97	192.99	194.65	195.93
	(iii) कृषि श्रमिक	209.32	213.74	218.51	219.54
2.	**मध्य क्षेत्र**				
	(i) बढ़ई	220.18	220.99	224.31	226.42
	(ii) राज	217.86	218.56	222.41	223.76
	(iii) कृषि श्रमिक	255.52	262.20	266.34	266.44
3.	**बुन्देलखण्ड क्षेत्र**				
	(i) बढ़ई	260.36	262.85	267.12	266.97
	(ii) राज	226.61	227.24	226.88	230.82
	(iii) कृषि श्रमिक	209.21	215.65	216.88	217.50
4.	**पूर्वी क्षेत्र**				
	(i) बढ़ई	229.00	233.92	237.14	240.61
	(ii) राज	228.67	232.40	234.52	236.84
	(iii) कृषि श्रमिक	249.72	257.23	260.51	265.26
5.	**उत्तर प्रदेश**				
	(i) बढ़ई	214.38	217.76	220.55	222.92
	(ii) राज	207.43	211.30	213.27	215.05
	(iii) कृषि श्रमिक	230.07	236.00	239.97	242.13

उत्तर प्रदेश का नगरीय मजदूरी दर सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)					
कमांक	क्षेत्र	त्रैमासान्त मार्च 2022 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त जून 2022 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त सितम्बर 2022 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त दिसम्बर 2022 का औसत सूचकांक
1.	**पश्चिमी क्षेत्र**				
	(i) बढ़ई	186.40	189.14	190.64	193.33
	(ii) राज	187.59	189.49	191.11	194.22
	(iii) अकुशल श्रमिक	208.62	212.74	215.55	217.05
2.	**मध्य क्षेत्र**				
	(i) बढ़ई	211.84	216.65	225.89	230.25
	(ii) राज	221.72	221.81	227.09	228.28
	(iii) अकुशल श्रमिक	227.27	227.13	227.94	229.58
3.	**बुन्देलखण्ड क्षेत्र**				
	(i) बढ़ई	221.37	224.61	230.20	230.62
	(ii) राज	208.11	210.48	211.67	213.82
	(iii) अकुशल श्रमिक	211.13	215.73	218.04	220.76
4.	**पूर्वी क्षेत्र**				
	(i) बढ़ई	228.67	230.18	231.87	232.57
	(ii) राज	212.67	215.99	218.05	220.88
	(iii) अकुशल श्रमिक	228.20	232.74	236.85	239.93
5.	**उत्तर प्रदेश**				
	(i) बढ़ई	197.55	200.51	203.53	206.18
	(ii) राज	198.82	200.58	202.95	205.59
	(iii) अकुशल श्रमिक	216.53	219.82	222.41	224.31

5.4.6. कृषि क्रय–विक्रय समता सूचकांक का प्रकाशन

आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश का कृषि क्रय–विक्रय समता सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12) को कृषि वर्ष 2021–22 के लिए प्रकाशनार्थ अन्तिम रूप दिया गया।

उत्तर प्रदेश का कृषीय क्रय–विक्रय समता सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)				
क्रम संख्या	कृषि वर्ष	कृषकों द्वारा प्राप्त मूल्य सूचकांक	कृषकों द्वारा भुगतान किये गये मूल्य सूचकांक	कृषि क्रय–विक्रय समता सूचकांक
1	2	3	4	5
1.	2019–20	182.13	169.30	107.58
2.	2020–21*	193.49	180.17	107.39
3.	2021–22*	200.31	190.27	105.28

* अनन्तिम (Provisional)

******

अध्याय–6
औद्योगिक सांख्यिकी

6.0 पृष्ठभूमि

- राज्य की औद्योगिक स्थिति का सही चित्रण प्रस्तुत करने हेतु राज्य स्तरीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार किया जाता है।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की समुचित औद्योगिक गतिविधियों को सांख्यिकीय विधि के अनुसार मापन करके एक संख्या प्रस्तुत की जाती है जिसके परिमाण से उस समयावधि में किसी सन्दर्भ अवधि (आधार वर्ष) की तुलना में हुए औद्योगिक उत्पादन के स्तर का बोध होता है। इस प्रकार से औद्योगिक उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों की गतिशीलता/प्रवृत्ति की जानकारी हेतु औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार किया जाता है।
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण सर्वप्रथम 1959 में केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। वर्तमान में उप महानिदेशक क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय को सांख्यिकीय प्राधिकारी (स्टेटिस्टिकल अथॉरिटी) घोषित करके वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का कार्य किया जाने लगा। अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा भारत सरकार के निर्धारित रूपपत्र एवं दिशा निर्देशन में वर्ष 1960–61 से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

6.1 कार्य एवं दायित्व

अर्थ एवं संख्या प्रभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जाते हैं

1. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production) (IIP)
2. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries) (ASI.)

6.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

सामान्य परिचय

- राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक बनाने का कार्य वर्ष 1976 से आधार वर्ष 1970–71 पर प्रारम्भ किया गया तथा वर्तमान में आधार वर्ष 2011–12 पर सूचकांक का निर्माण किया जा रहा है।
- उपयोग आधारित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक राज्य की विभिन्न उपयोगी वस्तुओं की प्रवृत्ति का संकेतक है। इसके द्वारा राज्य में उपयोग आधारित संवर्गीय मदों में होने वाले परिवर्तन का आंकलन किया जाता है।

राज्य स्तरीय सूचकांक–कैलेंडर

राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मासिक एवं वार्षिक तैयार किया जाता है। मासिक सूचकांक माह की समाप्ति के 2 माह के अंदर एवं वार्षिक सूचकांक आगामी वर्ष के नवम्बर माह के अन्त तक तैयार किया जाता है।

आधार वर्ष

औद्योगिक क्षेत्र में हो रहे नवीन परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करने हेतु सूचकांक तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली मद तालिका में से पुराने व अप्रसांगिक मदों को छोड़कर नये व प्रचलित मदों को सम्मिलित करते हुए समय–समय पर आधार वर्ष को केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के मार्ग निर्देशन में नवीन वर्ष पर परिवर्तित किया जाता है।

- राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 1976 से आधार वर्ष 1970–71 पर तैयार किया गया। वर्ष 1998 से आधार वर्ष 1993–94 पर तैयार किया गया। वर्ष 2007 से आधार वर्ष 1999–2000 पर तैयार किया गया है। वर्ष 2011 से आधार वर्ष 2004–05 पर तैयार किया गया। वर्ष 2015–16 से आधार वर्ष 2011–12 पर सूचकांक तैयार किया जा रहा है।
- पूर्व में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्षेत्रवार ही तैयार किया जाता था किन्तु आधार वर्ष 2004–05 पर वर्ष 2011–12 से उपयोग आधारित सूचकांक उपलब्ध है। वर्तमान में आधार वर्ष 2004–05 को परिवर्तित कर आधार वर्ष 2011–12 पर सूचकांक प्रकाशित किया जा रहा है।

6.2.1 उद्योग आधारित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Industry based Index Of Industrial production)

- भारत सरकार की ही भाँति प्रदेश स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उद्योग आधारित) औद्योगिक उत्पादन के तीन मुख्य खण्डों/सेक्टर यथा विनिर्माण, ऊर्जा व खनन में हो रही गतिविधियों के संयोजन पर आधारित है। इसके मुख्य सेक्टर विनिर्माण का सृजन राज्य में विभिन्न औद्योगिक समूहों के उत्पादन संकलन से तैयार किया जाता है जो उन पृथक–पृथक औद्योगिक समूह में हो रहे परिवर्तन को परिलक्षित करता है।
- राज्य स्तर पर तैयार किया जा रहा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 2004–05, NIC 2004 पर आधारित था। वर्तमान आधार वर्ष 2011–12 NIC 2008 पर आधारित है।
- सूचकांक से सम्बन्धित भारण आरेख (weighting diagram) एवं मद तालिका का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

खण्ड	भार		कुल मद /मद समूह की संख्या	
	आधार वर्ष 2004–05	आधार वर्ष 2011–12	आधार वर्ष 2004–05	आधार वर्ष 2011–12
विनिर्माण	740.10	809.35	149	174 (144 मद समूह)
खनन	110.16	118.89	4	02 (02 मद समूह)
ऊर्जा	149.74	71.76	1	01 (01 मद समूह)
योग	**1000.00**	**1000.00**	**154**	**177 (147 मद समूह)**

6.2.2 उपयोग आधारित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Use Based Index of Industrial Production)

- विभिन्न उपयोग आधारित सूचकांक औद्योगिक मदों के समूहों के संकलन से तैयार किया जाता है, जो पृथक–पृथक उपयोग समूह में हो रहे परिवर्तन को परिलक्षित करता है।
- राज्य स्तर पर तैयार किया जा रहा उपयोग आधारित सूचकांक आधार वर्ष 2004–05, NIC 2004 पर आधारित था। वर्तमान आधार वर्ष 2011–12 NIC 2008 पर आधारित है।
- सूचकांक से सम्बन्धित भारण आरेख (weighting diagram) एवं मद तालिका का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

क्रसं.	आधार वर्ष 2004–05			आधार वर्ष 2011–12			
	वर्गीकरण	भार	कुल मदों की संख्या	वर्गीकरण	भार	कुल	
						मद	मद समूह
i	आधारभूत वस्तुएं	483.80	24	i- प्राथमिक वस्तुएं	293.78	10	09
ii	पूँजीगत वस्तुएं	46.65	17	ii- पूँजीगत वस्तुएं	73.19	14	12
iii	मध्यवर्ती वस्तुएं	126.77	42	iii-.आधारभूत संरचना/निर्माण वस्तुएं	48.37	12	09
iv	कुल उपभोग की वस्तुएं	342.78	71	iv- मध्यवर्ती वस्तुएं	173.83	46	37
iv-a	टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं	70.60	27	v-कुल उपभोग वस्तुएं	410.83	95	80
iv-b	गैर टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं	272.18	44	v-a टिकाऊ उपभोग वस्तुएं	167.08	50	39
		–	–	v-b गैर टिकाऊ उपभोग वस्तुएं	243.75	45	41
	योग	**1000**	**154**		**1000**	**177**	**147**

प्रयुक्त आँकड़ें एवं उनके स्रोत

- सूचकांक तैयार करने में प्रयुक्त आँकड़ों एवं उनके स्रोत का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है

मद	आँकड़ों का स्रोत
वनस्पति	निदेशक वनस्पति, भारत सरकार
चीनी, खाण्डसारी	चीनी आयुक्त, उ0प्र0
आबकारी	आबकारी आयुक्त, उ0प्र0
विनिर्माण खण्ड	वर्तमान आधार वर्ष 2011–12 के लिए प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित चयनित 722 कारखानों से आँकडे एकत्रित किये जाते हैं। प्रत्येक मास के उपरान्त 15 दिन के अंदर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कार्यालय द्वारा उक्त कारखानों से उत्पादन विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर उपलब्ध कराये जाते हैं।
खनिज खण्ड	आई.बी.एम. नागपुर, भारत सरकार
विद्युत खण्ड	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करने हेतु केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्रियाविधि का प्रयोग किया जाता है।

6.2.3 वार्षिक कृषि उत्पादन सूचकांक–परिमाण एवं मूल्य

- कृषि उत्पादन सूचकांक द्वारा राज्य के कृषि क्षेत्र में हो रहे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन की प्रगति का आंकलन किया जाता है। कृषि उत्पादन की प्रगति का अनुमान परिमाण (Quantity) एवं मूल्य पर आधारित है।
- राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन सूचकांक वार्षिक अवधि में नियमित रूप से तैयार किया जा रहा है। सर्वप्रथम यह सूचकांक वर्ष 1978–79 से आधार वर्ष 1970–71 पर तैयार किया गया। वर्ष 1997–98 से आधार वर्ष 1993–94 पर तैयार किया गया। वर्ष 2004–05 से आधार वर्ष 1999–2000 पर तैयार किया गया। वर्ष 2008–09 से आधार वर्ष 2004–05 पर तैयार किया गया है। वर्ष 2018–19 में आधार वर्ष 2004–05 को आधार वर्ष 2011–12 से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

6.2.4 वर्ष 2022–23 में सम्पादित कार्य

- 2021–22 का वार्षिक औद्योगिक उत्पादन (उद्योग एवं उपयोग आधारित) सूचकांक आधार वर्ष 2011–12 पर तैयार किया गया।
- वर्षान्तर्गत माह फरवरी 2022 (त्वरित) एवं माह जनवरी 2022 (अनन्तिम) से माह जनवरी 2023 (त्वरित) एवं दिसम्बर 2022 (अनन्तिम) आधार वर्ष 2011–12 पर कुल 12 महीनों के त्वरित/अनन्तिम औद्योगिक उत्पादन (उद्योग एवं उपयोग आधारित) सूचकांक तैयार किये गये।
- कृषि उत्पादन सूचकांक (परिमाण एवं मूल्य) वर्ष (2021–22) को आधार वर्ष 2011–12 पर तैयार किया गया है।

6.2.5 अन्य कार्य

- माह जनवरी 2022 (त्वरित) से नवम्बर 2022 (त्वरित) सूचकांक की प्रेस विज्ञप्ति तैयार की गयी।
- माह फरवरी 2022 (त्वरित) से नवम्बर 2022 (त्वरित) तक की सूचना जी.आई.एस. पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु तैयार कर प्रेषित की गयी।
- माह जनवरी 2022 (अनन्तिम), फरवरी 2022 (त्वरित) से अक्टूबर 2022 (अनन्तिम) एवं नवम्बर 2022 (त्वरित) की सूचना प्रभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित की गयी।
- न्यूजलेटर सम्बन्धी सूचना माह मार्च 2022 त्रैमासान्त से दिसम्बर 2022 त्रैमासान्त हेतु तैयार कर प्रकाशन हेतु प्रेषित की गयी।
- रैंकिंग सम्बन्धी सूचना माह अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक तैयार कर प्रेषित की गयी।
- प्रमुख सचिव के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से सम्बन्धित विश्लेषण (पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन) तैयार किया गया।
- विभिन्न प्रकार के पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन तैयार किये गये।

मुख्य परिणाम –

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उद्योग/खण्डवार)
मासिक सूचकांक वर्ष (2021–22) आधार वर्ष 2011–12

सेक्टर/ खण्ड	अप्रैल 21	मई 21	जून 21	जुलाई 21	अगस्त 21	सितम्बर 21	अक्टूबर 21	नवम्बर 21	दिसम्बर 21	जनवरी 22	फरवरी 22	मार्च 22
खनिज	80.69	85.19	96.25	121.79	112.44	101.06	124.16	118.44	139.18	140.46	126.55	136.28
ऊर्जा	147.34	130.64	140.34	151.40	155.44	150.21	140.70	115.60	133.01	141.47	134.42	152.45
विनिर्माण	130.17	107.73	117.82	114.47	116.54	121.72	126.99	117.75	137.14	129.21	135.33	151.05
सामान्य सूचकांक	125.52	106.69	116.87	117.99	118.84	121.31	127.63	117.68	137.09	131.43	134.22	149.39

वार्षिक सूचकांक
(आधार वर्ष 2011–12)
वर्ष 2020–21 के सापेक्ष वर्ष 2021–22 में खण्डवार प्रतिशत वृद्धि/कमी

खण्डवार सूचकांक	वर्ष 2020–21	वर्ष 2021–22	गत वर्ष के सापेक्ष %वृद्धि/कमी
खनिज	107.91	115.21	6.76
ऊर्जा	130.87	141.09	7.81
विनिर्माण	117.90	125.73	6.64
सामान्य सूचकांक	117.64	125.58	6.75

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उपयोग आधारित)
मासिक सूचकांक (वर्ष 2021–22)
आधार वर्ष 2011–12

उपयोग आधारित वर्गीकरण	अप्रैल 21	मई 21	जून 21	जुलाई 21	अगस्त 21	सितम्बर 21	अक्टूबर 21	नवम्बर 21	दिसम्बर 21	जनवरी 22	फरवरी 22	मार्च 22
1.प्राथमिक वस्तुएं	103.46	102.99	110.70	126.43	123.11	118.43	129.82	120.12	131.04	130.99	119.79	134.16
2. पूँजीगत वस्तुएं	305.21	192.73	220.49	166.88	228.63	260.35	278.12	232.04	216.94	197.58	271.77	298.22
3.आधारभूत संरचना/निर्माण वस्तुएं	117.14	99.72	123.25	118.77	109.12	109.71	115.43	108.25	121.38	112.25	116.78	138.23
4.मध्यवर्ती वस्तुएं	138.07	131.10	143.78	146.18	136.38	142.50	141.73	131.33	157.61	156.33	149.94	167.44
5.कुल उपभोग वस्तुएं	104.97	84.51	90.68	91.23	89.96	90.99	94.73	90.89	120.35	111.69	115.43	127.45
5.1टिकाऊ उपभोग वस्तुएं	61.92	46.08	62.58	63.93	62.56	64.74	69.82	61.21	76.87	67.91	69.69	67.53
5.2गैर टिकाऊ उपभोग वस्तुएं	134.48	110.85	109.94	109.94	108.74	108.98	111.81	111.23	150.15	141.69	146.78	168.52
सामान्य सूचकांक	125.52	106.69	116.87	117.99	118.84	121.31	127.63	117.68	137.09	131.43	134.22	149.39

वार्षिक सूचकांक
आधार वर्ष 2011–12
वर्ष 2020–21 के सापेक्ष वर्ष 2021–22 में प्रतिशत वृद्धि/कमी

क्रमांक	उपयोग आधारित वर्गीकरण	वर्ष 2020–21	वर्ष 2021–22	गत वर्ष के सापेक्ष %वृद्धि/कमी
1.	प्राथमिक वस्तुएं	115.62	120.92	4.58
2.	पूँजीगत वस्तुएं	252.97	239.06	-5.50
3.	आधारभूत संरचना/निर्माण वस्तुएं	104.53	115.84	10.82
4.	मध्यवर्ती वस्तुएं	125.67	145.05	15.42
5.	कुल उपभोग वस्तुएं	93.13	101.61	9.11
5.1	टिकाऊ उपभोग वस्तुएं	68.63	64.60	-5.87
5.2	गैर टिकाऊ उपभोग वस्तुएं	109.92	126.97	15.51
	सामान्य सूचकांक	117.64	125.58	6.75

कृषि उत्पादन से सम्बन्धित सूचकांक (वर्ष 2021–22) आधार वर्ष 2011–12
कृषि उत्पादन सूचकांक–परिमाण(volume)

प्रमुख मद	वर्ष 2019–20(अंतिम)	वर्ष 2020–21(अनन्तिम)	वर्ष 2021–22 (त्वरित)	वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2020–21	वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2021–212
अनाज	111.92	115.49	118.08	3.19	2.24
दाल	99.20	101.20	106.34	2.02	5.08
फल एवं सब्जी	146.53	152.10	200.54	3.80	31.85
गन्ना	164.18	166.42	212.04	1.36	27.41
तिलहन	82.51	92.26	89.23	11.82	–3.28
सामान्य सूचकांक	130.55	133.73	151.6	2.44	13.36

कृषि उत्पादन सूचकांक–मूल्य (value)

प्रमुख मद	वर्ष 2019–20(अंतिम)	वर्ष 2020–21(अनन्तिम)	वर्ष 2021–22(त्वरित)	वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2020–21	वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2021–22
अनाज	182.17	191.15	205.38	4.93	7.44
दाल	149.93	174.96	181.54	16.69	3.76
फल एवं सब्जी	274.59	306.17	384.49	11.50	25.58
गन्ना	222.53	225.78	310.03	1.46	37.32
तिलहन	109.48	162.32	169.13	48.26	4.20
सामान्य सूचकांक	200.58	213.51	249.00	6.45	16.62

6.3.वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण सर्वप्रथम 1959 में केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। वर्तमान में उप महानिदेशक क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय को सांख्यिकीय प्राधिकारी (Statistical Authority) घोषित करके वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का कार्य किया जाने लगा। अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा भारत सरकार के निर्धारित रूप पत्र एवं दिशा निर्देशन में वर्ष 1960–61 से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

6.3.1 मुख्य उद्देश्य आच्छादन एवं फ्रेम

इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक नीति निर्धारकों एवं नियोजकों को औद्योगिक आँकड़े उपलब्ध कराना तथा राज्य/जिला आय के निर्धारण में विनिर्माण समूह के उद्योगों का अनुमान आंकलित करना है।

आच्छादन –**(क)** वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के अन्तर्गत वे सभी औद्योगिक इकाइयाँ सम्मिलित हैं जो कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2m(i) एवं 2m(ii) के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। धारा 2m(i) के अन्तर्गत वे कारखाने सम्मिलित हैं जिनमें शक्ति की सहायता से कर्मकरों की संख्या 20 या उससे अधिक होती है तथा धारा 2m(ii) के अन्तर्गत वे कारखाने सम्मिलित हैं जिनमें बिना शक्ति की सहायता से कर्मकरों की संख्या 40 या उससे अधिक होती है।

(ख) औद्योगिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति (Standing Committee on Industrial Statistics) द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के कवरेज को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2m(i), 2m(ii) और बीड़ी और सिगार कामगार (शर्तों) के दायरे से बाहर बढ़ाया जा सकता है। प्रारम्भ में, 100 या अधिक कर्मचारियों वाली इकाइयाँ, जो कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2m (i) एवं 2m (ii) के तहत पंजीकृत नहीं हैं, लेकिन सात अधिनियमों/बोर्ड/प्राधिकरणों में से किसी के तहत पंजीकृत हैं अर्थात, कंपनी अधिनियम, 1956, कारखाना अधिनियम, 1948, दुकान और वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, सहकारी समिति अधिनियम, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, उद्योग निदेशालय (जिला उद्योग केन्द्र), प्रतिष्ठान के व्यापार रजिस्टर (Business Register of Establishments) में जैसा कि राष्ट्रीय लेखा प्रभाग के पास उपलब्ध है और क्षेत्र संचालन प्रभाग (Field Operations Division) द्वारा सत्यापित है, को भी चयन हेतु विचार किया जाता है।

(ग) बीडी व सिगार की इकाइयाँ जो बीडी व सिगार श्रमिक (रोजगार शर्तो) अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं।

(घ) विद्युत जनरेशन, ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन से सम्बन्धित कार्य में लगे हुए समस्त विद्युत उपक्रम जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के अर्न्तगत पंजीकृत नहीं है, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में सम्मिलित है।

रक्षा मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन संस्थाएं, तेल संग्रहण एवं वितरण करने वाली इकाइयाँ, भोजनालय एवं जलपान गृह एवं तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान आदि जो ऐसी किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते जिनका विक्रय अथवा विनिमय किया जा सके, को वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण क्षेत्र के बाहर रखा गया है। वर्ष 1999–2000 से कैप्टिव (Captive) इकाइयों को छोड़कर सभी बिजली से सम्बन्धित उपक्रमों एवं सभी विभागीय उपक्रम जैसे रेलवे वर्कशाप आदि को वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण की परिसीमा से बाहर रखा गया है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 से एवं उत्तर प्रदेश में वर्ष 2013–14 से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का कार्य भारत सरकार के सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम 2008 के अन्तर्गत कराया जा रहा है। सम्प्रति वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के फ्रेम को प्रतिवर्ष अधुनांत किया जाता है। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, वर्ष 2021–22 के फ्रेम में कुल 17106 कारखानें सम्मिलित है।

6.3.2 अवधि

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के संग्रहीत आँकड़ों का सम्बन्ध सम्बन्धित प्रतिष्ठानों के 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के बीच किसी भी दिन समाप्त हुए लेखा वर्ष से है।

6.3.3 चयन प्रक्रिया

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण की चयन प्रकिया भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2020–21 का फ्रेम दो भागों में वर्गीकृत है, केन्द्रीय प्रतिदर्श एवं राज्य प्रतिदर्श तथा केन्द्रीय प्रतिदर्श को भी दो भागो में बाँटा गया है गणना व गैर गणना सेक्टर। गणना सेक्टर में वे कारखाने वर्गीकृत होते जिनमें 100 या 100 से अधिक कर्मी कार्यरत हैं तथा जो संयुक्त रिर्टन भरते हैं, (अर्थात जिनका संचालन एक ही प्रबंधन के अन्तर्गत आता हो और उसकी कई शाखाएं हों) उक्त के अतिरिक्त स्ट्रेटा के अर्न्तगत किसी जनपद की NIC में चार या चार से कम इकाइयाँ हों उन सभी को गणना इकाई समझा जायेगा। गणना सक्टेर के समस्त कारखानों का सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा किया गया है एवं प्रतिदर्श सक्टेर में केन्द्रीय प्रतिदर्श के कारखानों का सर्वेक्षण भी भारत सरकार द्वारा किया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य के प्रतिदर्श कारखानों का सर्वेक्षण अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश द्वारा कराया जाता है।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2020–21 के प्रतिदर्श अभिकल्प के ढॉचे का निर्माण जिला स्तर पर 3 अंकीय राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण–2008 (NIC-2008) पर किया गया है।

6.3.4 सर्वेक्षण हेतु अनुसूची

सर्वेक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य के लिये निर्धारित अनुसूची भाग–1 (विवरणी) का प्रयोग राज्य द्वारा किया जाता है जिसमें परिसम्पत्तियों एवं देयताओं, रोजगार एवं श्रम लागत, प्राप्ति, व्यय, लागत मदें–देशी एवं आयातित, उत्पाद एवं उपोत्पाद, विभाजक व्यय आदि के सम्बन्ध में आँकड़े संग्रह किये जाते हैं।

6.3.5 उद्योगों का वर्गीकरण

कारखानों के आर्थिक क्रिया कलापों में उद्योगों का वर्गीकरण प्रचलित राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (NIC) का अनुसरण किया जाता है। वर्तमान में (NIC-2008) का प्रयोग किया जा रहा है।

6.3.6 सर्वेक्षण एवं रिपोर्ट आलेखन

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, कोलकाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी राज्य प्रतिदर्श कारखानों की सूची को जनपदवार/मण्डलवार वितरित करके जनपदीय कार्यालय द्वारा प्रतिदर्श कारखानों को नोटिस अनुदेश, अनुसूची आदि प्रपत्र भेजकर आँकड़ों के संग्रहण का कार्य कराया जाता है। कारखानों के आँकड़ों की डेटा इन्ट्री/वैलिडेशन करने हेतु प्रत्येक वर्ष सॉफ्टवेयर को तैयार/विकसित करके क्षेत्रों के सहायकों को प्रशिक्षित किया जाता है। संग्रहित आँकड़ों का मण्डल स्तर पर परिनिरीक्षण व डेटाइन्ट्री/वैलिडेशन करने के उपरान्त प्रभाग को उपलब्ध कराया जाता है। प्रभाग स्तर पर सन्दर्भित वर्ष के राज्य व केन्द्र के आँकड़ों को जनपद के अर्न्तगत उद्योग वर्गानुसार मिलाने के उपरान्त निर्धारित गुणक से उद्योग वर्गानुसार अनुमान प्राप्त कर गणना कारखानों के आँकड़ों को जिलेवार एवं उद्योगवार अनुमानित आँकड़ों के साथ जोड़कर जनपदवार/मण्डलवार/राज्य स्तरीय अनुमान प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार भारत सरकार तथा प्रभाग द्वारा सर्वेक्षित आँकड़ों को आमेलित कर गुणक का उपयोग करते हुए विनियोजित पूँजी, उपभुक्त सामग्री, कुल आगत, कुल निर्गत, उत्पादन का मूल्य, सकल आवर्धित मूल्य, मूल्य ह्रास, शुद्ध आवर्धित मूल्य आदि महत्वपूर्ण मदों पर आधारित रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है।

6.3.7 वर्ष 2022–23 में सम्पादित कार्य

1– वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2018–19

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2018–19 की अनुमोदित रिपोर्ट अगस्त 2022 में प्रकाशित करायी गयी तथा जी0आई0एस0 (सम्बन्धित सूचना) व वेबसाइट पर रिपोर्ट अपलोड करायी गयी।

2–वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2019–20

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2019–20 के रिपोर्ट लेखन के अन्तर्गत मुख्य सारणियों की परस्पर संगतता जाँच कर विभिन्न तालिकाओं को तैयार किया गया। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2019–20 के प्रतिचयन ढाँचे में 16297 कारखानें थे। उक्त में से प्रतिचयन पद्धति के माध्यम से गणना क्षेत्र के 3909, केन्द्रीय प्रतिदर्श के 1567 एवं राज्य प्रतिदर्श के 3486 कारखानें, कुल 8962 कारखानों का चयन किया गया, जिसके सर्वेक्षित आँकड़ों पर आधारित तैयार अनुमानों के समेकित विश्लेषण के आधार पर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

3–वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2020–21

सन्दर्भित वर्ष के 3336 प्रतिदर्श कारखानों के सापेक्ष माह मार्च 2023 तक सभी कारखानों का सर्वेक्षण, अनुसूचियों का परिनिरीक्षण, डाटाइन्ट्री/वैलिडेशन तथा प्रभाग स्तर पर सभी कारखानों के डाटा की जाँच का कार्य पूर्ण कराया गया।

4–अन्य कार्य

- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2021–22 के फ्रेम को अधुनान्त कराये जाने के उद्देश्य से श्रम विभाग द्वारा कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत संदर्भित वर्ष में पंजीकृत कारखानों की सूची का मिलान वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2021–22 के फ्रेम से किया गया ताकि फ्रेम में छूटी हुई इकाइयों (कारखानों) को सर्वेक्षण हेतु शामिल किया जा सके।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, कोलकाता, भारत सरकार द्वारा वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2021–22 का फ्रेम प्रभाग को उपलब्ध कराया गया जिसमें 17601 कारखानों की संख्या है। श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर से प्राप्त कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत 31 मार्च, 2022 तक कुल पंजीकृत कारखानों की सूची उपलब्ध करायी गयी जिसमें कुल 19977 कारखानों की संख्या है। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2021–22 के फ्रेम की संख्या में कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कारखानों की संख्या कम होने के कारण प्रमुख सचिव, नियोजन महोदय के निर्देश के क्रम में जनपद लखनऊ की, फैक्ट्री एक्ट की सूची व वा0उ0स0 फ्रेम की मैपिंग का कार्य टीम गठित कर प्रभाग स्तर पर कराया गया जिसमें कतिपय कारखानें फैक्ट्री एक्ट की सूची में हैं, परन्तु वा0उ0स0 फ्रेम 2021–22 में

नहीं हैं। इसी आधार पर पर प्रदेश के समस्त जनपदों की सूची का प्रभाग स्तर, जनपदीय/मण्डलीय कार्यालय से सूची के मिलान का कार्य कराया गया।

- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण कार्य में आँकड़ों की शुद्वता/शुचिता सुनिश्चित करने तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा सर्वेक्षण कार्य में सहयोग प्रदान करने हेतु नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव स्तर से शासनादेश सं0 218A/35–2–2023 दिनांक 03 फरवरी, 2023 जारी किया गया।
- रैंकिंग सम्बन्धी सूचना माह अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक तैयार कर प्रेषित की गयी।
- मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव के समक्ष वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के विश्लेषण (पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन)तैयार कर प्रस्तुत किया गया।
- विभिन्न प्रकार के पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन में ASI Frame updation, PPT Of ASI Workshop, PPT Of ASI training आदि तैयार किये गये।

******

अध्याय–7
आवास सांख्यिकी

7.0 पृष्ठभूमि

आवास एवं भवन निर्माण सांख्यिकी के संग्रहण और प्रसारण हेतु राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (एन.बी.ओ.), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर नोडल अभिकरण के रुप में नामित किया गया है। आवास सांख्यिकी संग्रहण की योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1969) में लागू हुई। योजनान्तर्गत आवास सांख्यिकी राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रभाग द्वारा एकत्र करायी जाती थी। राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा वर्ष 2007–08 से एक नई केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना "Urban Statistics for HR and Assessments (U.S.H.A)" प्रारम्भ की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य आवास निर्माण, नगरीय गरीबी, झोपड़पट्टी तथा शहरीकरण से सम्बन्धित सूचना के लिए राष्ट्रीय स्तर का डेटाबेस, सूचना तन्त्र का प्रबन्धन एवं अन्य जानकारियाँ तैयार करना है।

7.1 कार्य एवं दायित्व

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन भारत सरकार द्वारा ऊषा योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण नगरीय गरीबी, झोपडपट्टी तथा शहरीकरण से सम्बन्धित सूचना तैयार किये जाने हेतु प्रभाग द्वारा वांछित आँकड़े एकत्रित कराकर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन को उपलब्ध कराये जाते है।

- **नये आवासीय भवन इकाइयों के परमिट शिड़यूल पार्ट–1**

वर्ष 2013–14 से अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 के स्थान पर वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले चयनित नगरों के नये आवासीय भवन इकाईयों के परमिट शिड्यूल पार्ट–1 के आँकड़ों का त्रैमासिक संग्रहण किया जाता है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के 34 जनपदों के 35 नगर चयनित किये गये हैं, जिनके आँकड़े जनपद कार्यालयों द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स सॉफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं, तत्पश्चात् मुख्यालय स्तर से परिनिरीक्षणोपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार हेतु ऑनलाइन अनुमोदित किये जाते हैं।

- **जारी किये गये भवनो के अनुमति प्रमाण एवं पूर्णतः प्रमाण पत्र**

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 56 जनपदों के 63 नगर चयनित है। नये आवासीय भवन इकाइयों के अनुमति एवं पूर्णतः प्रमाण पत्र के आँकड़े जनपद कार्यालयों द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स सॉफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं, तत्पश्चात् मुख्यालय स्तर से परिनिरीक्षणोपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार हेतु ऑनलाइन अनुमोदित किये जाते हैं।

- **Housing Start-up index (HSUI)**

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा ऊषा स्कीम के अन्तर्गत HSUI योजना दिसम्बर, 2014 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजना में प्रदेश के 34 जनपदों के 35 टाउन चयनित हैं। योजना के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र के नये आवासीय सम्पत्तियों की सर्किल दरें, बाजार दरें एवं किराया दरों के आँकड़े जनपदीय कार्यालयों के द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स सॉफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं, तत्पश्चात् मुख्यालय स्तर से परिनिरीक्षण कर त्रुटियों का निराकरण किया जाता है।

- **भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के त्रैमासिक फुटकर भाव**

प्रभाग के सभी जिलों से 30 सितम्बर 1970 से प्रत्येक त्रैमासान्त के भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर बाजार भाव राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर एकत्रित करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्रियों की 14 मदों की 76 उप मदों के फुटकर भाव प्रत्येक त्रैमासान्त में एकत्र किये जाते हैं। 14 मदों में ईट, रेत, पत्थर की रोड़ी, चूना, इमारती लकड़ी, सीमेन्ट, इस्पात, फर्श के लिए पत्थर की स्लैप, ऐस्बेस्टस सीमेंट की चादरें, टाइलें, रोगन व वार्निश, चादर काँच, सफाई पात्र एवं इलेक्ट्रिक फिटिंग सम्मिलित है। भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के त्रैमासिक फुटकर भाव के आँकड़े जनपदीय कार्यालयों के द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स सॉफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन इन्ट्री किये जाते हैं,

तत्पश्चात् मुख्यालय स्तर से परिनिरीक्षणोपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है।

- **भवन निर्माण कार्यो में कार्यरत मजदूरों को देय मजदूरी की दरें**

यह कार्य सितम्बर 1970 से प्रत्येक त्रैमास के अन्त में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा लोक निर्माण विभाग से कुशल मजदूरों यथा राज (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी), बढ़ई (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) तथा अकुशल मजदूर (पुरूष एवं स्त्री) को देय मजदूरी की दरों के आँकड़े जनपदीय कार्यालयों के द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स सॉफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते थे। माह जून, 2013 से भवन निर्माण कार्यो में कार्यरत मजदूरों को देय मजदूरी की दरें लोक निर्माण विभाग से संग्रहीत न कराकर सीधे जिले (नगर) के खुले बाजार से आँकड़ों का एकत्रीकरण कर ऑनलाइन इन्ट्री की जाती है। तत्पश्चात् मुख्यालय स्तर से परिनिरीक्षणोपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है।

- **भवन निर्माण लागत सूचकांक**

भवन निर्माण लागत सूचकांक वर्ष 1983 से (1980–81 के आधार वर्ष पर) प्रदेश के 7 जनपदों (कानपुर, बरेली, झाँसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ तथा वाराणसी) के लिये चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों हेतु तैयार किया जाता था। वर्ष 2007–08 से राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार आधार वर्ष 1999–2000 पर निम्न आय वर्ग कर्मचारियों हेतु निर्मित आवास टाइप–1 (एल.आई.जी.) के लिए सभी जनपदों में लागत सूचकांक तैयार किया जा रहा है। वर्ष 2013–14 से निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों हेतु निर्मित आवास टाइप–1 (एल0आई0जी0) के भवन निर्माण लागत सूचकांक आधार वर्ष 1999–2000 के स्थान पर वर्ष 2004–05 किया गया है। वर्ष 2018–19 से अल्प आय समूह हेतु भवन निर्माण लागत सूचकांक का आधार वर्ष 2011–12 किया गया है। त्रैमासान्त जून, 2013 से पूर्व की भाँति लागत (कास्ट) आवास विकास परिषद/पी0डब्ल्यू0डी0/अन्य कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर भवन निर्माण लागत सूचकांक को त्रैमासिक के स्थान पर वार्षिक ब्रिक्स सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन इन्ट्री किया जाता है, तत्पश्चात् मुख्यालय स्तर से परिनिरीक्षणोपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है।

- **जीर्ण–शीर्ण/खतरनाक एवं अनाधिकृत भवन सम्बन्धी सूचना**

जीर्ण–शीर्ण/खतरनाक एवं अनाधिकृत भवन सम्बन्धी सूचना का एकत्रीकरण वर्ष 2013–14 से प्रारम्भ किया गया है। इसमें प्रदेश के चयनित 35 नगरों के आँकड़े Municipal Commissioners /District Collectors/ City Development Authorities से प्राप्त करने के उपरान्त Urban Local Bodies के Deputy Commissioner के स्तर से सत्यापित कराकर आँकड़े जनपदीय कार्यालयों के द्वारा संग्रह करा कर ब्रिक्स सॉफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं, तत्पश्चात् मुख्यालय स्तर से परिनिरीक्षणोपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है।

7.2 वर्ष 2022–23 में सम्पादित कार्य

- 75 जनपदों के भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव त्रैमासान्त मार्च 2022, जून 2022, सितम्बर 2022 एवं दिसम्बर 2022 को ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- 75 जनपदों के भवन निर्माण कार्यो में कार्यरत मजदूरों को देय मजदूरी की दरें त्रैमासान्त मार्च 2022, जून 2022, सितम्बर 2022 एवं दिसम्बर 2022 को ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- 75 जनपदों के निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों हेतु निर्मित आवास टाइप–1 के भवन निर्माण लागत सूचकांक वर्ष 2021–22 का ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- नये आवासीय भवन इकाइयों के परमिट शिड़यूल पार्ट–1 के चयनित 34 जनपदों के 35 नगरों के आँकड़े त्रैमासान्त मार्च 2022, जून 2022, सितम्बर 2022 एवं दिसम्बर 2022 को ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।

- जारी किये गये भवनों के अनुमति प्रमाण पत्र एवं कम्प्लीशन सर्टिफिकेट चयनित 56 जनपदों के 63 नगरों के आँकड़े त्रैमासान्त मार्च 2022, जून 2022, सितम्बर 2022 एवं दिसम्बर 2022 को ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- एच0एस0यू0आई0 योजना के अन्तर्गत चयनित 34 जनपदों के 35 नगरों के नये आवासीय सम्पत्तियों के सर्किल दर, बाजार दर एवं किराया दरो के आँकड़े त्रैमासान्त मार्च 2022, जून 2022, सितम्बर 2022 एवं दिसम्बर 2022 को ऑनलाइन अनुमोदन करा कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- जीर्ण–शीर्ण/खतरनाक एवं अनाधिकृत भवनों के चयनित 34 जनपदों के 35 नगरों के वार्षिक आँकड़े वर्ष 2021–22 का ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव, मजदूरी की दरें एवं लागत सूचकांक 2021–22 से सम्बन्धित जनपदवार, मण्डलवार एवं राज्यवार तुलनात्मक पी0पी0टी0 तैयार कर निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ हार्ड कापी एवं साफ्ट कापी में प्रस्तुत किया गया।
- आवास सांख्यिकी अनुभाग से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के आँकड़ों के गुणवत्ता बनाये रखने हेतु पी0पी0टी0 तैयार कर निदेशक महोदय के समक्ष हार्ड एवं साफ्ट कापी में प्रस्तुत किया गया।
- अनुभाग द्वारा प्रमुख सचिव नियोजन के आदेश के क्रम में सीमेन्ट, स्टील एवं इलेक्ट्रानिक प्रोडक्शन 2016–17 से 2020–21 के आँकड़ें जनपदवार संकलन कर राज्य आय अनुभाग को ई मेल के माध्यम से प्रेषित किया गया।

7.2.1 भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव, तथा मजदूरी की दरें वर्ष 2021–22 की प्रकाशित रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष–

(i) आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव

- ईट श्रेणी (क) का औसत भाव रू0 6634 तथा रेत निम्न रू0 2419, रेत अव्वल रू0 1454, पत्थर की रोड़ी (15 मि.मी. गेज और कम) रू0 2221, इमारती लकड़ी (क) सी.पी.सागौन रू0 95419, (ख) साल की लकड़ी रू0 72348 प्रति घन मीटर रहा एवं चूना अनबुझा का औसत भाव रू0 1084 प्रति कुन्तल पाया गया।
- सीमेन्ट साधारण सफेद (क) उच्च शक्तिवाली का औसत भाव रू0 8187 (ख) कम शक्तिवाली रू0 7196, इस्पात (साधारण इस्पात की गोल छड़ें) (क) 10 मि.मी. व्यास रू0 57577 (ख) 12 मि.मी. व्यास रू0 57314, इस्पात (साधारण इस्पात की चपटी छड़ें) 30×12 मि.मी रू0 57372, इस्पात (एंगल आइरन) (क) 25×25×5 मि. मी. रू0 56605,(ख) 45×45×6 मि.मी.रू0 56785 साधारण इस्पात के चैनल (150×75 मि.मी.) रू0 58850 प्रति मी0 टन रहा।
- लकड़ी तथा इस्पात कार्य के लिए विशेष पेंट का औसत भाव रू0 275 प्रति लीटर पाया गया।
- चादर काँच के औसत भाव रू0 591 प्रति वर्ग मी. पाया गया।
- सफाई पात्र एस. डब्ल्यू पाइप (100 मि.मी. व्यास) का औसत भाव रू0 109 प्रति अदद पाया गया।

(ii) विभिन्न प्रकार की दैनिक मजदूरी की दरें

प्रदेश स्तर की राज प्रथम श्रेणी की औसत मजूदरी रू0 587, राज द्वितीय श्रेणी रू0 528, बढ़ई प्रथम श्रेणी रू0 554, बढ़ई द्वितीय श्रेणी रू0 494, अकुशल मजदूर (पुरूष) रू0 361.5, अकुशल मजदूर (स्त्री) रू0 337 प्रति दिन पाया गया।

******

अध्याय–8
डेटा प्रोसेसिंग एवं सॉफ्टवेयर विकास

8.0 पृष्ठभूमि–

अर्थ एवं संख्या प्रभाग में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण एवं विभिन्न समाजार्थिक सर्वेक्षण कार्यों के माध्यम से एकत्र कराये जा रहे आँकडों की डेटा इन्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर विकास एवं उनके क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण, आँकडों की डेटा प्रोसेसिंग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आँकडों की पूलिंग सम्बन्धी कार्य, प्रभागीय वेबसाइट का प्रबन्धन, स्थानीय निकाय के आय–व्यय के लेखा सम्बन्धी डेटा इन्ट्री एवं रिपोर्टिंग सम्बन्धी सॉफ्टवेयर के विकास का कार्य, सपोर्ट फॉर स्टैटिस्टिकल स्ट्रैन्थेनिंग (एस0एस0एस0) योजना के अन्तर्गत ''डेवलेपमेण्ट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर ऑफलाइन एण्ड ऑनलाइन डेटा इन्ट्री'' विषयक परियोजना आई0आई0पी0, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण एवं भाव सांख्यिकीय मॉड्यूल के अनुरक्षण का कार्य, समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आई0जी0आर0एस0) के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों को सम्बन्धित अनुभाग से निस्तारित कराकर अपलोड करने सम्बन्धी कार्य संगणक अनुभाग द्वारा किये जा रहे हैं। उक्त कार्यों के अतिरिक्त प्रभाग के क्षेत्रीय एवं मुख्यालय स्तर पर तैनात कार्मिकों की कम्प्यूटर दक्षता व कुशलता में अभिवृद्धि हेतु अनुभाग द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। साथ ही प्रभाग मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में वस्तुओं/सेवाओं का क्रय GEM Portal के माध्यम से किए जाने हेतु मण्डलीय कार्यालयों की User Id एवं Password बनाये जाने का कार्य भी अनुभाग द्वारा किया जा रहा है।

8.1 वर्ष 2022–23 में किये गये कार्य

- ग्राम्य विकास कार्यों के सामुदायिक कार्यों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धी सॉफ्टवेयर में आँकडों को वैलीडेट करने के लिये वैलीडेशन प्रोग्राम को सम्मिलित करते हुए संशोधित सॉफ्टवेयर का विकास कार्य किया गया।
- स्थानीय निकाय के आय–व्यय के लेखा सम्बन्धी वर्ष 2021–22 हेतु डेटा इन्ट्री एवं रिपोर्टिंग सम्बन्धी सॉफ्टवेयर के विकास का कार्य किया गया।
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2019–20 के सारणीयन सम्बन्धी कार्य पूर्ण करते हुए तालिकाओं का निर्माण कार्य किया गया।
- 'डेवलपमेण्ट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर ऑफलाइन एण्ड ऑनलाइन डेटा इन्ट्री' एप्लीकेशन में आई0आई0पी0, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण मॉड्यूल तथा भाव सांख्यिकीय मॉड्यूल के सुचारू रूप से संचालन हेतु विभिन्न स्तर से प्राप्त समस्याओं का निराकरण कराया गया।
- समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आई0जी0आर0एस0) के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों को सम्बन्धित अनुभाग से निस्तारित कराकर, तत्सम्बन्धी सूचनाओं को अपलोड करने का कार्य किया जा रहा हैं।
- प्रभाग की वेबसाइट का नवीनीकरण किया गया।
- प्रभाग की वेबसाइट पर विभिन्न अनुभागों से समय–समय पर प्राप्त सूचना को अपलोड करने का कार्य किया जा रहा है।
- मानव सम्पदा पोर्टल पर प्रभाग मुख्यालय स्तर पर समन्वय का कार्य किया गया।
- RSAC UP द्वारा विकसित GIS based Statistical Portal पर अर्थ एवं संख्या प्रभाग से सम्बन्धित 20 Key Statistics की सूचनाओं को अपलोड/अपडेट करने हेतु RSAC को प्रेषित करने सम्बन्धी कार्य किया गया।
- राज्य आय, DDP,SPIDER, ASI, IIP, WPI, CPI, आदि से जुड़े विभिन्न प्रकार के data को merge करते हुए एक common database के आधार पर sector wise जनपद स्तर एवं राज्य स्तर पर ग्राफ/ चार्ट द्वारा तुलनात्मक समीक्षा हेतु Integrated portal का विकास कार्य कराया जा रहा है।

******

अध्याय–9
ग्राफ एवं मानचित्रण

9.0 पृष्ठभूमि

प्रभाग में स्थापित ग्राफ अनुभाग द्वारा मुख्यालय से प्रकाशित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रकाशनों एवं प्रतिवेदन में प्रयुक्त होने वाले आवरण पृष्ठ, मानचित्र, ग्राफ व रेखाचित्र (चार्ट) को मुख्यालय स्तर पर कार्यरत कलाकार एवं वरिष्ठ कलाकार द्वारा तैयार किया जाता है। प्रभाग में विभिन्न प्रकार के आँकड़ों एवं प्रतिवेदन को एक दृष्टि में अवलोकन हेतु ग्राफ, रेखाचित्र (चार्ट) एवं मानचित्र तैयार किये जाते हैं।

9.1 क्षेत्रीय कार्यालयों में सम्पादित कार्य

वर्तमान में विकास सम्बन्धी आँकड़ों को मण्डल के मानचित्रों के अन्तर्गत जनपदों एवं जनपद के मानचित्रों में विकासखण्डों की परस्पर तुलनात्मक स्थिति को प्रतिबिम्बित करने के उद्देश्य से नियोजन एटलस का प्रकाशन किया जाता है।

जनपद व मण्डल स्तर पर प्रत्येक वर्ष नियोजन एटलस आर्क जी.आई.एस. सॉफ्टवेयर द्वारा तैयार किया जाता है। नियोजन एटलस की संरचना में प्रयुक्त संकेतकों की सूचना में सांख्यिकीय पत्रिका के आँकड़ो का उपयोग किया जाता है। सांख्यिकीय पत्रिका के प्रकाशनोपरान्त एक माह के पश्चात् जनपदीय नियोजन एटलस का प्रकाशन किया जाता है तथा जनपदीय नियोजन एटलस के प्रकाशन के एक माह बाद मण्डलीय नियोजन एटलस का प्रकाशन किया जाता है।

मण्डलीय नियोजन एटलस में 72 मुख्य विकास संकेतकों के आधार पर मानचित्र व तालिकाओं को तैयार किया जाता है तथा जनपदीय नियोजन एटलस को 2 भागों में तैयार किया जाता है। प्रथम भाग में मण्डल के समस्त जनपदों के 30 विकास संकेतको के आधार पर 30 तालिकायें व मानचित्र तथा द्वितीय भाग में विकास खण्डों के 69 मुख्य विकास संकेतकों के आधार पर 69 तालिकायें व मानचित्र को प्रदर्शित किया जाता है।

जनपद व मण्डल स्तर पर होने वाले प्रकाशन जैसे– सांख्यिकीय पत्रिका, समाजार्थिक समीक्षा, विकास खण्ड की सांख्यिकीय पत्रिका व समाजार्थिक समीक्षा में आँकड़ों के प्रस्तुतीकरण को आकर्षक एवं सुस्पष्ट बनाने हेतु लगाये जाने वाले रंगीन ग्राफ, आरेख एवं मानचित्र तैयार किये जाते है।

ग्राफ अनुभाग द्वारा प्रत्येक जनपद व मण्डल की नियोजन एटलस के प्रकाशन हेतु तकनीकी मार्गदर्शन व दिशा निर्देश तथा उनकी संवीक्षा का कार्य सम्पादित किया जाता है।

9.2 वर्ष 2022–23 में सम्पादित किये गये कार्य

- रा0 प्र0 स0–77वीं आवृत्ति की अनुसूची 33.1 पर आधारित रिपोर्ट ''परिवारों की भूमि, पशुधन धारिता एवं कृषक परिवारों की अवस्थिति का मूल्याँकन'' का रंगीन आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।
- उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आँकड़े, वर्ष 2020–21 का रंगीन आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।
- सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश, वर्ष–2022 (हिन्दी/अंग्रेजी संस्करण) का आवरण पृष्ठ, उत्तर प्रदेश का मानचित्र, ग्राफ/चार्ट एवं कैलेण्डर वर्ष–2023 तैयार किये गये।
- सांख्यिकीय सारांश, उत्तर प्रदेश वर्ष–2022 के प्रकाशन हेतु रंगीन आवरण पृष्ठ, मानचित्र (उत्तर प्रदेश व भारत) एवं ग्राफ/चार्ट तैयार किये गये।
- वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021–22 का रंगीन आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।
- उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा, वर्ष 2022–23 रंगीन आवरण पृष्ठ व ग्राफ/चार्ट तैयार किये गये।
- जिलेवार विकास संकेतक उत्तर प्रदेश वर्ष–2022 का रंगीन आवरण पृष्ठ व ग्राफ/चार्ट तैयार किया गया।
- राज्य आय अनुमान, उत्तर प्रदेश वर्ष 2011–12 से 2021–22 नामक पत्रिका का रंगीन आवरण पृष्ठ व ग्राफ/चार्ट तैयार किया गया।
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2019–20 का रंगीन आवरण पृष्ठ व मानचित्र तैयार किये गये।

- भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव, मजदूरी की दरें तथा लागत सूचकांक, वर्ष 2021–22 का रंगीन आवरण पृष्ठ, मानचित्र व ग्राफ/चार्ट तैयार किये गये।
- उत्तर प्रदेश एक झलक, वर्ष–2022 (हिन्दी/अंग्रेजी) का आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।
- उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण, वर्ष 2022–23 का रंगीन आवरण एवं ग्राफ/चार्ट तैयार किये गये।
- 18 मण्डलों एवं 75 जनपदों की नियोजन एटलस वर्ष–2021 की संवीक्षा कर सम्बन्धित मण्डलों एवं जनपदों से पत्राचार द्वारा त्रुटियों/कमियों को ठीक कराया गया।
- प्रभाग मुख्यालय, मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों के परिचय पत्र बनाने का कार्य किया गया।
- जिला घरेलू उत्पाद अनुमान वर्ष 2021–22 का रंगीन आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।
- जिलेवार विकास संकेतक वर्ष 2022–23 का रंगीन आवरण पृष्ठ, मानचित्र एवं ग्राफ/चार्ट तैयार किये गये।
- सांख्यिकीय दिवस से सम्बन्धित रंगीन बैनर तैयार किया गया।
- न्यूज लेटर त्रैमासान्त (अक्टूबर 2021 से दिसम्बर 2021 तक), त्रैमासान्त (जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक), त्रैमासान्त (अप्रैल 2022 से जून 2022 तक) एवं त्रैमासान्त (जुलाई 2022 से सितम्बर 2022 तक) को तैयार करने का कार्य किया गया।
- समस्त प्रकाषनों हेतु एक स्टैण्डर्ड कवर पेज को एस.डी.जी., गुड गर्वनैंस इन्डेक्स, रियल डाटा कैप्चरिंग आइकॉन/ग्राफ, वन ट्रिलियन डॉलर इकोनामी लक्ष्य तथा मा0 मुख्यमंत्री जी की फोटो को समावेषित करते हुए तैयार कर समस्त आवरण पृष्ठों को अधुनान्त किया गया।
- रीजनल ट्रेनिंग वर्कशाप ऑन स्टेट इन्कम एण्ड रिलेटेड एग्रीगेट्स (29.08.2022 से 02.09.2022) के लिये बैनर एवं स्टैण्डी को तैयार किया गया। फोटोग्राफी व विडियोग्राफी का कार्य भी किया गया और प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आई कार्ड बनाया गया। इसके अतिरिक्त स्टेट वाइस टेबिल नेम प्लेट भी बनायी गयी।

******

अध्याय–10
वाह्य सहायतित कार्यक्रम एवं सर्वेक्षण

10.0 पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राज्यों की सांख्यिकीय प्रणाली की क्षमता को विकसित करते हुए भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली की क्षमता एवं संचालन में वृद्धि करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना "इंडिया स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट" संचालित की गयी, जो उ0प्र0 में वर्ष 2015–16 में कार्यान्वित हुई और यह योजना 31.03.2017 तक प्रभावी थी, परन्तु सम्बन्धित योजना भारत सरकार द्वारा "केन्द्रीय सेक्टर" में वर्गीकृत किये जाने पर योजना अवधि मार्च 2020 तक विस्तारित कर दी गयी एवं समय–समय पर भारत सरकार द्वारा योजना क्रियान्वयन अवधि को बढ़ाते हुए अब योजना क्रियान्वयन की अन्तिम तिथि मार्च 2024 निर्धारित की गयी है। वर्तमान में योजना का नाम Support for Statistical Strengthening (SSS) है।

आर्थिक गणना देश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित समस्त उद्यमीय इकाइयों की सम्पूर्ण गणना है। आर्थिक विकास को स्थायी गति व दिशा देने, योजनाओं की वैज्ञानिक आधार पर संरचना करने, राज्य आय के आगणन, सरकारी तथा निजी क्षेत्र के नव उद्यमियों, वास्तविक नियोजन हेतु विश्वसनीय सांख्यिकीय सूचना उपलब्ध कराने, वर्तमान व भावी पीढ़ी एवं विकास कार्यक्रमों के नीति निर्धारण में आर्थिक गणना का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान है।

10.1 कार्य एवं दायित्व

प्रभाग द्वारा भारत सरकार के नियंत्रणाधीन निम्न दो गतिविधियाँ सम्पादित करायी जा रही है–

10.1.1 सपोर्ट फार स्टैटिस्टिकल स्ट्रेन्थेनिंग स्कीम का क्रियान्वयन

10.1.2 आर्थिक गणना कार्य का सम्पादन

10.1.1.1 SSS योजना

(क) प्रस्तावित कार्य

दिनांक **03–11–2015** को स्वीकृत कार्य योजना **रू0 45.37 करोड़** के कार्यान्वयन सम्बन्धी MoU **दिनांक 03–11–2015** को हस्ताक्षरित हुआ जिसमें **केन्द्रांश रु0 43.86 करोड़** तथा **उ0प्र0 सरकार का अंशदान 1.6193 करोड़ रूपये** था जिसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के लिये 6.00 करोड रुपए की धनराशि तथा राज्य सरकार द्वारा 0.45 करोड़ रुपए अवमुक्त की गई है। योजना अवधि मार्च 2020 तक विस्तारित हो जाने व योजना के स्वरुप में परिवर्तन हो जाने के कारण संशोधित कार्य योजना का अनुमोदन राज्य व केन्द्र सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त पुनः दिनांक **30.06.2018** को भारत सरकार व राज्य सरकार के मध्य MoU हस्ताक्षरित किया गया।

तदोपरान्त जून 2020 में MoSPI से प्राप्त SDG से सम्बन्धित activities को SSS योजनान्तर्गत राज्य कार्यक्रम में सम्मिलित करने हेतु निर्देश व SSS योजना की संशोधित गाइडलाइन में विभिन्न कम्पोनेंट में reappropriation की सुविधा उपलब्ध होने के क्रम में Strengthening monitoring framework for SDG सम्बन्धी रु0 0.98 करोड़ का प्रस्ताव दीर्घकालीन योजना प्रभाग से प्राप्त कर संशोधित राज्य कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया।

उक्त ''संशोधित राज्य कार्यक्रम'' का मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता गठित (State High level Steering Committee) SHLSC से दिनांक 30.03.2021 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदन प्राप्त किया गया है। तदोपरान्त MoSPI, भारत सरकार के स्तर पर गठित PMC(Project Monitoring Committee) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

संशोधित MoU में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित मदों के अन्तर्गत कार्य प्रस्तावित किये गये–

क्र०स०	मद	आबंटन (धनराशि रू0 करोड़ में)
1	सांख्यिकीय अनुप्रयोग	4.082
2	डेटा गैप्स की पूर्ति हेतु विभिन्न चिन्हित विषयों पर अध्ययनोपरान्त तकनीकी समूह/संस्थाओं की संस्तुतियों का क्रियान्वयन।	7.8927
3	मानव संसाधन विकास सम्बन्धी गतिविधियां	7.50
4	सांख्यिकीय प्रक्रिया एवं परिचालन की दक्षता में सुधार हेतु नवोन्मेष तकनीकी एवं रीति विधान का प्रयोग।	0.7947
5	हितधारकों से विचार विमर्श तथा आँकड़े के प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को चिन्हित कर तदनुरुप सर्वेक्षण कार्य करना।	1.4953
6	राज्य सांख्यिकीय प्रणाली के निष्पादन पर आधारित वार्षिक प्रतिवेदनों को सर्वसाधारण को सुलभ कराने सहित लागत में सुधार सम्बन्धी गतिविधियां।	0.75
7	आँकड़ों की गुणवत्ता एवं तत्सम्बन्धी सुधार हेतु उपाय।	17.0627
8	सांख्यिकीय उत्पादों एवं सेवाओं के प्रयोग में सुधार हेतु सूचना शिक्षा व संचार के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार।	2.49
	योग	**42.0674**

इस प्रकार राज्य कार्यक्रम में सम्मिलित कुल 59 गतिविधियों के सापेक्ष 31.03.2023 तक 20 गतिविधियां पूर्ण, 5 प्रगतिरत व शेष 34 अनारम्भ है।

(ख) योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 में सम्पादित कार्य

Support for Statistical Strengthening (SSS) योजनान्तर्गत पूर्व अनुमोदित राज्य कार्यक्रम में सम्मिलित गतिविधियों की प्रासंगिकता प्रदेश को one trillion dollar economy बनाये जाने की प्रतिबद्धता व प्रदेश को आत्म निर्भरता की ओर अग्रसर किये जाने के दृष्टिगत अनारम्भ गतिविधियों को revisit करते हुये राज्य कार्यक्रम में सम्मिलित गतिविधियों का वर्तमान में उपयोगिता/प्रासंगिकता के परिप्रेक्ष्य में समस्त सम्बन्धित विभागों , विभागीय क्षेत्रीय कार्यालयों व जनपद स्तर जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों से भी विभागीय कार्यों के क्षेत्रीय अनुश्रवण के लिये उक्त गतिविधियों से सम्भावित ऑकडों/ पैरामीटर्स के सम्भावित उपयोग के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव कराये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त के आधार पर समस्त सम्बन्धित विभागों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तैयार किये गये संशोधित राज्य कार्यक्रम पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित SHLSC से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही गतिमान रही तथा इसी कड़ी में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 25.03.2023 को सम्पन्न बैठक में प्राप्त निर्देशें के क्रम में समस्त सम्बन्धित विभागों से संशोधित राज्य कार्यक्रम में सम्मिलित किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

10.1.1.2 आर्थिक गणना

आर्थिक गणना के अन्तर्गत देश/प्रदेश में संचालित प्रत्येक वह उद्यम अर्थात उपक्रम जो किसी वस्तु के उत्पादन या वितरण या किसी प्रकार की ऐसी सेवा में लगा हो, जो केवल अपने परिवार के उपभोग के लिए न हो, की गणना की जाती है। किसी उद्यम में काम करने वाले, परिवार के सदस्य अथवा भाड़े के श्रमिक अथवा दोनों हो सकते है। उद्यम का कार्य–कलाप एक या एक से अधिक स्थानों पर चलाया जा सकता है। गणना के समय उपलब्ध समस्त आकस्मिक, बारहमासी व मौसमी रूप में संचालित उद्यमों को सूचीबद्ध किया जाता है। उद्यमों की गणना करते समय बारहमासी उद्यमों के लिए पिछला कैलेण्डर वर्ष एवं मौसमी उद्यमों के लिए पिछले कार्यकारी मौसम को सन्दर्भ अवधि माना जाता है। वे उद्यम जिन्हें हाल ही में प्रारम्भ किया गया हो, की जानकारी गणना के दिनांक की स्थिति के अनुसार की जाती है।

आर्थिक गणना, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के मार्ग निर्देशन में अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रथम बार वर्ष 1977 में करायी गयी थी। इसके उपरान्त्

वर्ष 1980 व 1990 में जनगणना के प्रथम चरण के साथ ही क्रमशः द्वितीय व तृतीय आर्थिक गणना के आँकड़े एकत्रित कराये गये। चतुर्थ आर्थिक गणना वर्ष 1998 व पंचम आर्थिक गणना वर्ष 2005 में करायी गयी। भारत सरकार द्वारा सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम–2008 पारित किये जाने के फलस्वरूप छठी एवं 7वीं आर्थिक गणना का आँकड़ा संग्रहण का कार्य उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सम्पादित कराया गया।

7वीं आर्थिक गणना–2019

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार ने 7वीं आर्थिक गणना का सर्वेक्षण/गणना कार्य कॉमन सर्विस सेन्टर, ई–गवर्नेन्स सर्विसेज इण्डिया लि० के माध्यम से सम्पादित कराये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसमें आँकड़ा संग्रहण एवं प्रथम स्तर का पर्यवेक्षणीय कार्य कॉमन सर्विस सेन्टर, ई–गवर्नेन्स सर्विसेज इण्डिया लि० के द्वारा नियुक्त एवं प्रशिक्षित प्रगणकों/पर्यवेक्षकों के द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से कराया गया। 7वीं आर्थिक गणना कार्य 26.12.2019 से प्रारम्भ होने के उपरान्त् साढ़े तीन माह में पूर्ण किया जाना निर्धारित था, परन्तु वैश्विक महामारी कोविड–19 के कारण उक्त आँकड़ा संग्रहण एवं प्रथम स्तर का पर्यवेक्षणीय कार्य दिनांक 31.12.2020 तक तथा द्वितीय स्तर का पर्यवेक्षणीय कार्य दिनांक 31.01.2021 तक सम्पन्न करने हेतु सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बढ़ाया गया।

वर्तमान में प्रदेश की अद्यावधिक भौगोलिक सीमा एवं प्रशासनिक इकाईयों के आधार पर 7वीं आर्थिक गणना–2019 प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सम्पन्न करायी गयी। जनपदों के नवसृजन एवं पुनर्गठन होने के कारण भौगोलिक सीमा के अनुसार क्षेत्र को समायोजित करके सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया। 7वीं आ०ग०–2019 में ग्राम पंचायत को एक इकाई मानकर सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न किया गया है।

MoSPI, भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए बनाये गये Reporting Dash Board पर अनन्तिम आँकड़ों/परिणामों से सम्बन्धित 17 तालिकाएं उपलब्ध करायी गयी। उक्त तालिकाओं के आँकड़ों को मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित SLCC की बैठक में अनुमोदन कराने के सम्बन्ध में उप महानिदेशक, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 25.02.2022 को सम्पन्न वेब मीटिंग में उन्हें अवगत कराया गया कि प्राप्त तालिकाओं के विश्लेषण में कतिपय आँकड़ों में विसंगतियां परिलक्षित हुयी हैं, जिसके क्रम में प्राप्त निर्देशानुसार आँकड़ों की विसंगतियों से भारत सरकार को अवगत कराया गया।

विसंगतियों का संज्ञान लेते हुए MoSPI, भारत सरकार ने ई–मेल एवं पत्र दिनांक 19.04.2022 द्वारा सन्दर्भित विसंगतियों का निराकरण करके राज्य स्तरीय अनन्तिम आँकड़ों को प्रदेश के लिए बनाये गये रिपोर्टिंग डैशबोर्ड पर दिनांक 23.04.2022 को अपलोड़ किया गया। उक्त राज्य स्तरीय अनन्तिम ऑकड़ों का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु छठी आर्थिक गणना के आँकड़ों के सापेक्ष तुलनात्मक विश्लेषण करते हुये मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक दिनांक 06.06.2022 में प्रस्तुत किया गया, जिसका कार्यवृत्त नियोजन अनुभाग–4, उ०प्र० शासन के पत्रांकः 650/35–4–2022 दिनांक 27.06.2022 द्वारा निर्गत किया गया है।

उक्त कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सी.एस.सी. एवं MoSPI, भारत सरकार ने यह पाया कि कतिपय जनपदों के कुछ क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों (Establishments) को सर्वेक्षण के दौरान आच्छादित नहीं किया जा सका है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने कोविड़–19 महामारी से निपटने के लिए लगाए गए प्रतिबन्धों के कारण सर्वेक्षण के समय प्रतिष्ठान बंद पाए गए थे। उक्त कोविड प्रभावित क्षेत्रों में ससमय सर्वेक्षण कार्य न होने के दृष्टिगत MoSPI, भारत सरकार के निर्देशन में कॉमन सर्विस सेंटर ने निम्न कार्य योजना के अनुसार दिनांक 14.10.2022 से पुनर्सर्वेक्षण कराया जाना प्रस्तावित किया गया–

- प्रदेश के 29 जनपदों में आन्तरिक क्षेत्र रिपोर्ट के आधार पर डूप्लिकेसी की पहचान की गयी है, जिन्हें अगले 10 दिनों में ठीक कर लिया जायेगा।
- प्रदेश के 07 जनपदों यथा–मेरठ, मैनपुरी, इटावा, कानपुर नगर, संत कबीर नगर, आज़मगढ़ एवं गाजीपुर में सुधारात्मक गतिविधियों एवं चिन्हित क्षेत्रों में माह अक्टूबर, 2022 में (एक पखवाड़े में) ही पुनर्सर्वेक्षण का कार्य कराया जायेगा।

उपर्युक्त कार्य योजना के अनुपालन के दौरान MoSPI, भारत सरकार ने प्रदेश सरकार से सी.एस.सी. को पुनर्सर्वेक्षण में वांछित सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

तत्क्रम में निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश के पत्रांक 396/आ०ग०–24/2019 दिनांक 15.10.2022 द्वारा सम्बन्धित जनपदों के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देश

प्रसारित किया गया, जिसे डॉ० पंकज श्रीवास्तव, उप महानिदेशक, NSO, MoSPI, GoI, नई दिल्ली, सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों, श्री नेपाल चन्द्र सेन, परियोजना प्रमुख (7वीं आ०ग०), सी.एस.सी., ई–गवर्नेन्स सर्विसेज इण्डिया लि०, नई दिल्ली, श्री अतुलित राय, राज्य प्रमुख, उत्तर प्रदेश, सी.एस.सी., ई–गवर्नेन्स सर्विसेज इण्डिया लि० उत्तर प्रदेश, सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या), उ०प्र० एवं सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को भी पृष्ठांकित किया गया।

उक्त के अतिरिक्त सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं संयुक्त सचिव, नियोजन अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन से भी निर्गत पत्रों के माध्यम से कॉमन सर्विस सेन्टर को निम्न निर्देश प्रसारित किये गये–

- पुनर्सर्वेक्षण के समय क्षेत्र में विद्यमान कोई भी इकाई सर्वेक्षण से न छूटे।
- संग्रहीत आँकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाये।
- वाणिज्यिक उद्यमों के आँकड़ों की इस दृष्टिकोण से पुष्टि कर ली जाये कि उनके पंजीकरण से सम्बन्धित सूचना वास्तविकता के आधार पर संकलित की गयी है।
- उद्यमों के वित्तीय स्रोतों और विशेषकर संस्थागत संस्थाओं से लोनिंग की वास्तविक स्थिति की जानकारी कर सूचना संग्रहीत की जाये।
- व्यापार क्षेत्र एवं प्राइवेट कार्पोरेट सेक्टर की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी के सम्बन्ध में भी सर्वेक्षण के समय आँकड़ों की शुद्धता अवश्य सुनिश्चित कर ली जाये।

कॉमन सर्विस सेन्टर द्वारा कराये जाने वाले पुनर्सर्वेक्षण कार्य की गुणवत्ता एवं शुद्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु यह भी निर्देशित किया गया कि सर्वेक्षण के मध्य ही प्राप्त आँकड़ों को ससमय अर्थ एवं संख्या प्रभाग के साथ कॉमन सर्विस सेन्टर द्वारा साझा कर लिया जाये, जिससे संग्रहीत आँकड़ों का परीक्षण कर मुख्य सचिव महोदय द्वारा इंगित कमियों का ससमय निराकरण सुनिश्चित कराया जा सके।

उपर्युक्त प्रसारित निर्देशों के बावजूद कॉमन सर्विस सेन्टर द्वारा पुनर्सर्वेक्षण कार्य एवं सुधारात्मक गतिविधियों के क्रियान्वयन के समय न तो प्रदेश सरकार के क्षेत्रीय अधिकारियों से कोई समन्वय स्थापित किया गया और न ही किसी प्रकार के आँकड़े साझा किये गये तथा उक्त 07 जनपदों में पुनर्सर्वेक्षण के साथ–साथ 29 जनपदों में पूर्व संग्रहीत आँकड़ों में डूप्लिकेसी की समस्या का निराकरण अपने स्तर से कराकर आँकड़ों को डैशबोर्ड पर अपलोड करने के उपरान्त कॉमन सर्विस सेन्टर द्वारा अपने पत्र दिनांक 23.12.2022 द्वारा 7वीं आर्थिक गणना के आँकड़ों पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति का अनुमोदन प्राप्त किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार ने भी अपने पत्र संख्या P-11012/5/2019-ESD (Uttar Pradesh) दिनांक 05.01.2023 द्वारा इसी प्रकार का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत दिनांक 23.12.2022 को उपलब्ध कराये गये आँकड़ों का परीक्षण पूर्व में उपलब्ध कराये गये आँकड़ों एवं छठी आर्थिक गणना के आँकड़ों के साथ करते हुए आँकड़ों के विश्लेषण में प्रकाश में आये तथ्यों के आलोक में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित SLCC की बैठक दिनांक 06.06.2022 में दिये गये निर्देशों के क्रम में की गयी सुधारात्मक प्रक्रिया के बावजूद पुनः उपलब्ध कराये गये आँकड़ों में निम्न विसंगतियां परिलक्षित हुई हैं–

1. प्रति उद्यम कर्मकरों की संख्या में अभी भी अपेक्षाकृत कमी।
2. वर्तमान परिदृश्य में व्यापार क्षेत्र की भागीदारी निरन्तर बढ़ रही है, जबकि छठी आर्थिक गणना में 38.35 प्रतिशत की भागीदारी के सापेक्ष पुनर्सर्वेक्षण के उपरान्त भी मात्र 26.52 प्रतिशत ही प्रदर्शित हुई है।
3. छठी आर्थिक गणना के दौरान प्राइवेट कार्पोरेट सेक्टर की 0.20 प्रतिशत की हिस्सेदारी के सापेक्ष पूर्व उपलब्ध आँकड़ों में ही अत्यधिक यह प्रतिशत 8.88 परिलक्षित हो रहा था, जो पुनर्सर्वेक्षण के उपरान्त् अप्रत्याशित रूप से और अधिक बढ़कर 18.05 प्रतिशत हो गया है।
4. संस्थागत ऋण की स्थिति में पुनर्सर्वेक्षण के उपरान्त् भी 3.75 के सापेक्ष मात्र 4.44 ही परिलक्षित हो रहा है।
5. ग्रामीण क्षेत्र के ट्रेडिंग सेक्टर से सम्बन्धित उद्यमों में छठी आर्थिक गणना के सापेक्ष पूर्व 17.72 की कमी की तुलना में यह कमी और अधिक बढ़कर 27.29 प्रतिशत होना औचित्यपूर्ण नहीं है।

6. ग्रामीण क्षेत्र में बारहमासी उद्यमों में भी छठी आर्थिक गणना की 89.05 प्रतिशत हिस्सेदारी के सापेक्ष पूर्व की स्थिति 64.72 से भी और कम होकर 63.31 प्रतिशत रह गयी है।
7. ग्रामीण क्षेत्र के प्रोप्राइटरी ओनरशिप एवं क्लब/ट्रस्ट/एसोशिएसन बॉडी ऑफ इन्डिवीजुएल इत्यादि में छठी आर्थिक गणना की तुलना में क्रमश 5.71 एवं 12.89 प्रतिशत की असंगत कमी अप्रत्याशित की गयी है।
8. ग्रामीण क्षेत्र के Proprietary से सम्बन्धित उद्यमों के Ownership में महिलाओं की भागीदारी के आँकड़ों में छठी आर्थिक गणना के सापेक्ष 52.38 प्रतिशत की कमी असंगत प्रतीत होती है।

उपर्युक्त विसंगतियों के दृष्टिगत अपर निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में कॉमन सर्विस सेन्टर के राज्य प्रमुख, उत्तर प्रदेश एवं उप महानिदेशक, SCRO, NSO (FOD), लखनऊ के साथ दिनांक 03.02.2023 को बैठक सम्पन्न हुई। जिसका कार्यवृत्त दिनांक 07.02.2023 को निर्गत करते हुये उक्त पुनः परिलक्षित हो रही विसंगतियों का निराकरण करने हेतु कॉमन सर्विस सेन्टर एवं MoSPI, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

7वीं आर्थिक गणना के आँकड़ों में परिलक्षित विसंगतियों एवं इस हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशा. पत्र संख्याः 825/35–4–2023 दिनांक 17.03.2023 के माध्यम से डॉ० जी०पी० सामन्ता, सचिव एवं मुख्य सांख्यिकीविद्, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि उपलब्ध कराये गये आँकड़ों को प्रथम दृष्ट्या प्रदेश सरकार द्वारा ग्रहण किया जाना सम्भव नहीं होगा। अस्तु उपरोक्त के आलोक में उचित होगा कि दिनांक 06.06.2022 राज्य स्तरीय समन्वय समिति के बैठक के कार्यवृत्त संख्या 650/35–4–2022 दिनांक 27.06.2022 में किये गये अनुरोध के क्रम में प्रदेश के लिए आर्थिक गणना की कार्यवाही किसी अन्य संस्था के माध्यम से कराये जाने का कष्ट करें, जिससे प्रदेश की वास्तविक स्थिति का प्रतिबिम्ब आँकड़ों में भी परिलक्षित हो सके।

******

अध्याय–11
प्रकाशन एवं प्रचार

11.0 पृष्ठभूमि

इस अनुभाग द्वारा प्रभाग के प्रकाशन एवं प्रचार सम्बन्धी कार्य किये जाते है।

11.1 प्रभाग के महत्वपूर्ण नियमित प्रकाशन

प्रभाग मुख्यालय के विभिन्न अनुभागों द्वारा नियमित रूप से निम्नांकित प्रकाशनों की पाण्डुलिपियां प्रकाशन एवं प्रचार अनुभाग को मुद्रण की कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जाती है।

क्र0 सं0	प्रकाशन का नाम	प्रकाशन से सम्बन्धित अनुभाग	प्रकाशन का संस्करण	कार्य प्रारम्भ होने का वर्ष
1	सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश (हिन्दी संस्करण)	डेटा बैंक अनुभाग	वार्षिक	1968
2	उत्तर प्रदेश एक झलक (आँकड़ों में)	डेटा बैंक अनुभाग	वार्षिक	1991
3.	उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	1994–95
4.	राज्य आय अनुमान, उत्तर प्रदेश	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	1950–51
5.	उत्तर प्रदेश के आय–व्यय का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	1965–66
6.	राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश का कार्य विवरण	जनशक्ति नियोजन प्रभाग के समन्वय से राज्य नियोजन संस्थान के सभी प्रभाग	वार्षिक	
7.	सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश	डेटा बैंक अनुभाग	वार्षिक	1961
8.	जिलेवार विकास संकेतक	डेटा बैंक अनुभाग	वार्षिक	1978
9.	अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़े	डेटा बैंक अनुभाग	वार्षिक	1976
10	अन्तर्जनपदीय आँकड़े	डेटा बैंक अनुभाग	वार्षिक	1976
11.	सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश (अंग्रेजी संस्करण)	डेटा बैंक अनुभाग	वार्षिक	1968
12.	उत्तर प्रदेश एक झलक (आँकड़ों में) (अंग्रेजी संस्करण)	डेटा बैंक अनुभाग	वार्षिक	2009
13.	जिला घरेलू उत्पाद अनुमान उत्तर प्रदेश	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	2019–20
14.	वार्षिक प्रतिवेदन	समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग	वार्षिक	2011

11.2 तदर्थ प्रकाशन

क्र0सं0	प्रकाशन का नाम	प्रकाशन का वर्ष
1.	आर्थिक गणना (प्रत्येक 5 वर्ष में)	1977

11.3 चक्रमुद्रित प्रकाशन

क0सं0	प्रकाशन का नाम	प्रकाशन से सम्बन्धित अनुभाग	प्रकाशन का संस्करण	कार्य प्रारम्भ होने का वर्ष
1.	वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण	औद्योगिक सांख्यिकीय अनुभाग	वार्षिक	1964–65
2.	स्थानीय निकायों के आय–व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आँकड़े	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	1967–68
3.	भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव, मजदूरी की दरें तथा लागत सूचकांक	आवास सांख्यिकी अनुभाग	वार्षिक	1981–82

उक्त प्रकाशित प्रकाशनों में से 7 प्रकाशन यथा सांख्यिकीय डायरी (हिन्दी) उ0प्र0, उत्तर प्रदेश एक झलक (आँकड़ों में), राज्य आय अनुमान, उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा, उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक के आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण, जिला घरेलू उत्पाद अनुमान एवं राज्य नियोजन संस्थान उ0प्र0 का कार्य विवरण को उ0 प्र0 विधान मण्डल के बजट सत्र में अनुदान मांगों पर साधारण चर्चा के लिए मा0 विधान सभा/ विधान परिषद सदस्यों के उपयोगार्थ विधान सभा/ विधान परिषद पटल कार्यालय के माध्यम से नियोजन विभाग के बजट साहित्य के रूप उपलब्ध कराया जाता है। सांख्यिकीय डायरी (हिन्दी) उ0प्र0 एवं उत्तर प्रदेश एक झलक (आँकड़ों में) प्रकाशन को रेजीडेन्ट आयुक्त ,उ0प्र0 नई दिल्ली तथा उ0प्र0 के माननीय सांसदों, मुख्य सचिव /कृषि उत्पादन आयुक्त, रेजीडेन्ट आयुक्त कोलकाता/प्रमुख विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष उ0प्र0, उ0प्र0 के समस्त मण्डलायुक्त /जिलाधिकारी/12 हिन्दी भाषी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों यथा बिहार, छत्तीसगढ, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखण्ड, चण्डीगढ, देलही, पंजाब, व झारखण्ड के नियोजन विभाग के निदेशालय को उपयोगार्थ उपलब्ध कराया जाता है । सांख्यिकीय डायरी (अंग्रेजी) उ0प्र0 एवं उत्तर प्रदेश एक झलक (आँकड़ों में)(अंग्रेजी) मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उ0प्र0 एवं 22 अंग्रेजी भाषी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों यथा आन्ध्र प्रदेश, अरूणांचल प्रदेश, असम, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पं0 बंगाल, अण्डमान निकोवार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, लक्ष्य द्वीप, तेलंगाना व पुदुचेरी के नियोजन विभाग के निदेशालय के उपयोगार्थ उपलब्ध कराया जाता है। उक्त प्रकाशित समस्त प्रकाशनों को समस्त जनपदीय अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0 प्र0 एवं समस्त मण्डलीय उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) उ0 प्र0, प्रभाग मुख्यालय के समस्त अधिकारी, प्रभाग मुख्यालय के समस्त अनुभाग, समस्त प्रभागीय निदेशक, नियोजन विभाग, पुस्तकालय योजना भवन इत्यादि के उपयोगार्थ उपलब्ध कराया जाता है ।

11.4 वर्ष 2022–23 में मुद्रित प्रकाशन

1	अन्तर्जनपदीय आँकड़े 2020	वार्षिक
2	उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2021–22	वार्षिक
3	राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश का कार्य विवरण 2021–22	वार्षिक
4	उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण 2021–22	वार्षिक
5	राज्य आय अनुमान, उत्तर प्रदेश 2011–12 से 2020–21	वार्षिक
6	वार्षिक प्रतिवेदन 2020–21	वार्षिक

7	सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश (हिन्दी) 2021	वार्षिक
8	उत्तर प्रदेश एक झलक (आँकड़ों में) 2021	वार्षिक
9	सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश (अंग्रेजी) 2021	वार्षिक
10	UP AT A GLANCE (in figure) 2021	वार्षिक
11	जिला घरेलू उत्पाद अनुमान उत्तर प्रदेश 2020–21(अनन्तिम)	वार्षिक
12	सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश 2021	वार्षिक
13	जिलेवार विकास संकेतक उत्तर प्रदेश 2021	वार्षिक
14	भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक बस्तुओं के फुटकर भाव, मजदूरी की दरें तथा लागत सूचकांक 2020–21	वार्षिक
15	त्रैमासिक न्यूज लेटर, अप्रैल–जून 2021	त्रैमासिक
16	त्रैमासिक न्यूज लेटर, जुलाई–सितम्बर 2021	त्रैमासिक
17	त्रैमासिक न्यूज लेटर, अक्टूबर–दिसम्बर 2021	त्रैमासिक
18	त्रैमासिक न्यूज लेटर, जनवरी–मार्च 2022	त्रैमासिक
19	उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2022–23	वार्षिक
20	राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश का कार्य विवरण 2022–23	वार्षिक
21	उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण 2022–23	वार्षिक
22	राज्य आय अनुमान, उत्तर प्रदेश 2011–12 से 2021–22	वार्षिक
23	सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश (हिन्दी) 2022	वार्षिक
24	उत्तर प्रदेश एक झलक (आँकड़ों में) 2022	वार्षिक

******

अध्याय–12
समन्वय प्रशिक्षण एवं शोध

12.0 पृष्ठभूमि

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, राज्य सरकार तथा राज्य योजना आयोग के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एक विशेष अनुभाग की स्थापना अनुसंधान अनुभाग नाम से की गयी थी। इस अनुभाग में सम्पादित किये जा रहे कार्यों को देखते हुये इसे अनुसंधान अनुभाग से परिवर्तित कर समन्वय एवं अनुश्रवण अनुभाग किया गया। 13 अगस्त, 2007 को समन्वय एवं अनुश्रवण अनुभाग से ही सम्बद्ध एक रिसर्च सेल की स्थापना की गयी, जिसके द्वारा समय–समय पर विभिन्न विषयों पर पेपर/प्रस्तुतीकरण तैयार किये गये। दिनांकः 06.10.2008 को इस अनुभाग का नाम पुनः संशोधित करते हुये समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग रख दिया गया। सम्यक विचारोपरान्त रिसर्च सेल को दिनांक 12.08.2009 को समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग में विलीन कर दिया गया।

12.1 कार्य एवं दायित्व

इस अनुभाग का मुख्य दायित्व अर्थ एवं संख्या प्रभाग, केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, राज्य सरकार तथा राज्य योजना आयोग के मध्य समन्वय स्थापित करने के साथ प्रभाग के विभिन्न अनुभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, प्रस्तुतीकरण तथा शोध सम्बन्धी कार्य करना एवं भारत सरकार/राज्य सरकार/विभिन्न संस्थाओं/प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा आयोजित विभिन्न विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाना है। उक्त दायित्वों के अन्तर्गत अनुभाग द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किये जाते हैं–

- समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग द्वारा भारत सरकार, उत्तर प्रदेश शासन, प्रदेश के अन्य विभागों, अर्थ एवं संख्या प्रभाग के मण्डलों एवं जनपदीय कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये भारत सरकार एवं शासन को सूचना का प्रेषण।
- मण्डलों एवं जनपदों के समग्र कार्यों की सूचना प्राप्त कर मण्डलीय उपनिदेशकों एवं जनपदीय अर्थ एवं संख्याधिकारियों की जनपद एवं मण्डल के कार्यों की समीक्षा कराना।
- मण्डलीय अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यालय निरीक्षण की समीक्षा कराना।
- शासन की माँग के अनुसार प्रभाग की कार्य योजना (टास्क सेटिंग) तथा माहवार प्रगति रिपोर्ट, प्रभाग द्वारा किये जा रहे प्रत्येक माह महत्वपूर्ण कार्य की रिपोर्ट तथा अधिष्ठान एवं लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित सूचना शासन द्वारा निर्धारित रूप पत्रों पर उपलब्ध कराना।
- समय–समय पर भारत सरकार, राज्य सरकार व अन्य द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/सेमिनार कार्यक्रम में प्रभाग, मण्डल एवं जनपद स्तर के कार्मिकों को नामित कराना।
- विभागीय तकनीकी एवं सलाहकार समिति की बैठकों का आयोजन व अन्य सम्बन्धित कार्य।
- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किये जा रहें केन्द्र एवं राज्यों के सांख्यिकीय संगठनों के सम्मेलन (COCSSO) में राज्यों की सांख्यिकीय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत की जा रही संस्तुतियों की कार्यान्वयन आख्या प्रदेश के अन्य विभागों व प्रभाग के अन्य अनुभागों से प्राप्त कर संकलित रूप में भारत सरकार को भिजवानें के कार्य को भी सम्पादित किया जाता है साथ ही आयोजित किये जाने वाले सम्मेलन हेतु प्रस्तुतीकरण तैयार किये जाते हैं।
- राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग द्वारा की गयी संस्तुतियों से सम्बन्धित कार्य।
- भारत सरकार के मा0 मंत्रीगण तथा सचिवगण के प्राप्त पत्रों पर की गयी कार्यवाही की सूचना विशेष सचिव, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन–1 उत्तर प्रदेश, शासन को प्रेषण से सम्बन्धित कार्य।

- प्रभाग का त्रैमासिक News Letter ESR, U.P. का प्रकाशन प्रभाग द्वारा दिसम्बर 2008 से किया जा रहा है। इस News Letter का उद्देश्य प्रभाग के समस्त कार्यकलापों, अधुनान्त सूचकांको व प्रकाशित रिपोर्ट के मुख्य अंश तथा अन्य सांख्यिकीय कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना है।
- भारत सरकार के निर्देश के क्रम में स्व० प्रो0 पी0 सी0 महालनोबिस के जन्मदिवस पर प्रत्येक वर्ष दिनांक 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस एवं प्रत्येक 5 वर्ष में 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस का आयोजन किया जाता है। सांख्यिकी दिवस हेतु विषय का निर्धारण MoSPI भारत सरकार द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस से सम्बन्धित आख्या (फोटो सहित) प्रकाशन हेतु CSO भारत सरकार को भेजी जाती है।

12.2 वर्ष 2022–23 में सम्पादित कार्य

- प्रभाग द्वारा प्रत्येक माह किये गये महत्वपूर्ण कार्यों की मासिक प्रगति रिर्पोट तैयार की गयी।
- स्व० प्रो0पी0सी0 महालानोबिस के जन्मदिवस पर 16वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस दिनांक 29–06–2022 का आयोजन अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा किया गया। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष का विषय "Data for Sustainable Development" निर्धारित किया गया।
- प्रशिक्षण प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ00प्र0 द्वारा आयोजित विभिन्न विषयक कुल 22 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलवाया गया।
- राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (NSSTA), MoSPI, भारत सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों यथा "Index Numbers – Price Statistics", "Implementation and Monitoring of Sustainable Development Goal" तथा "National Accounts Statistics" विषयक प्रशिक्षणों में 06 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलवाया गया।
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रचलित "Internship Programme" के अन्तर्गत सुश्री किशोरी कपूर, परास्नातक छात्रा, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा श्री दीपक शर्मा, परास्नातक छात्र, बी0एच0यू0, वाराणसी को अतःशिक्षुता करायी गयी तथा प्रभाग द्वारा सुश्री अंजली वैश्य, M.Sc. Semester- IV (Statistics)] लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को अतःशिक्षुता करायी गयी।
- शासन से प्राप्त विविध प्रकरणों से सम्बन्धित वांछित सूचना शासन को प्रेषित की गयी।
- प्रभाग के प्रावैधिक, लेखा एवं स्थापना के कार्यों की समीक्षा हेतु मण्डलीय उपनिदेशकोंके साथ मासिक समीक्षा बैठक आयोजित करायी गयी।
- प्रत्येक त्रैमास में मण्डलीय उपनिदेशकों के कार्यालय निरीक्षण की समीक्षा की गयी।
- प्रत्येक माह प्रभाग के शासन स्तर पर लम्बित प्रकरणों की सूचना एवं प्रभाग के निस्तारित प्रकरणों की सूचना तैयार कर शासन को प्रेषित की गयी।
- प्रत्येक माह टास्क सेटिंग की सूचना तैयार कर अनुमोदित करायी गयी।
- प्रत्येक माह पाक्षिक भारत सरकार के मा0 मंत्रीगण तथा सचिवगण के प्राप्त पत्रों पर की गयी कार्यवाही की सूचना विशेष सचिव, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन–1 उत्तर प्रदेश, शासन को प्रेषित की गयी।
- त्रैमासिक न्यूज लेटर जनवरी–मार्च 2022 तैयार कर प्रकाशित करायी गयी।
- लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा एवं विधान परिषद के तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों के उत्तर का प्रेषण।
- नीति आयोग से प्राप्त समस्त प्रकरणों का निस्तारण एवं वांछित सूचना का प्रेषण कराया गया।
- COS Act-2008 के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा Rationalization/Decriminalization से सम्बन्धित सूचना भारत सरकार को प्रेषित की गयी।

- Statistical correct Data सम्बन्धी साप्ताहिक मण्डलीय समीक्षा की गयी।
- ई–डायरी की मासिक सूचना समस्त जनपदों से एकत्रित कर समीक्षा करायी गयी।
- भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा प्रेषित DGQI toolkit का प्रभाग स्तर पर गहन अध्ययन किया गया, जिसके आधार पर toolkit में सम्मिलित बिन्दुओं के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण तैयार किया गया।

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय मंत्रिमण्डलों/विभागों के लिये तैयार toolkit के अन्तर्गत DGQI हेतु Methodology भी प्रस्तावित की गयी है, जिसके अन्तर्गत मुख्यतः 3 पिलर्स यथा Data Strategy, Data System तथा Data driven outcome को आधार मानते हुये उनके अन्तर्गत विभिन्न थीमों के लिये weighting diagram भी प्रस्तावित किया गया है। उक्त toolkit के अन्तर्गत आंकड़ों की ससमय उपलब्धता के लिये आवश्यक व्यवस्थायें सुदृण किया जाये जिससे राज्य आय अनुमान तैयार करने हेतु अधुनान्त आँकड़े ससमय उपलब्ध हो सकें।

******

अध्याय–13
स्थापना सम्बन्धी कार्य

13.0 पृष्ठभूमि

वर्ष 1931 में प्रभाग के अस्तित्व में आते ही स्थापना अनुभाग की स्थापना की गयी, तत्समय से ही निम्न प्रकार के कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है

- प्रशासनिक व्यवस्था–मण्डल/जनपद एवं मुख्यालय स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना।
- नियुक्ति–शासन द्वारा प्रभाग में सृजित पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- पदोन्नति–संवर्ग की प्रख्यापित सेवा नियमावली के अनुसार पदोन्नति के पदों पर कार्मिकों की पदोन्नति हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- स्थायीकरण–प्रभाग में नियुक्त कार्मिकों का नियमानुसार स्थायीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- ज्येष्ठता–प्रभाग में नियुक्त कार्मिकों की नियमानुसार ज्येष्ठता की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन–शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार कार्मिकों को लाभ दिये जाने सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- सेवा सम्बन्धी अन्य प्रकरण।
- शासन द्वारा सौपे गये अन्य कार्य।
- स्थापना सम्बन्धी सूचनाओं का प्रेषण।

13.1 वर्ष 2022–23 में सम्पादित कार्य

अधियाचन

- 68 कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर सीधी भर्ती का अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को प्रेषित किया गया।

नियुक्ति

- 29 नव नियुक्त अर्थ एवं संख्याधिकारियों के तैनाती के आदेश शासन द्वारा निर्गत किये गये।
- मृतक आश्रित के रूप में 03 चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति आदेश जारी किये गये।
- 21 नवनियुक्त कलाकारों को नियुक्ति प्रदान की गयी।

स्थायीकरण

- 107 सहायक सांख्यिकीय अधिकारियों के स्थायीकरण के आदेश निर्गत किये गये।

पदोन्नति

- डा0 दिव्या सरीन मेहरोत्रा एवं श्रीमती मालोविका घोषाल संयुक्त निदेशक की पदोन्नति अपर निदेशक के पद पर शासन के पत्र दिनांक 17.06.2022 द्वारा की गयी।
- 05 अपर सांख्यिकीय अधिकारी पद से अर्थ एवं संख्याधिकारी के पद पर पदोन्नति की गयी।
- 01 वाहन चालक को ड्राइवर ग्रेड–1 पद पर पदोन्नत किया गया।
- 02 चपरासियों की पदोन्नति ड्राइवर ग्रेड–4 के पद पर की गयी।

ए0सी0पी0

- 03 वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 को 16 वर्ष की सेवा पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ दिया गया।
- 03 वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1 को 26 वर्ष की सेवा पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ दिया गया।
- 37 अपर सांख्यिकीय अधिकारियों को 16 वर्ष की सेवा पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ दिया गया।
- 04 वरिष्ठ कलाकारों को 26 वर्ष की सेवा पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ दिया गया।

अनुशासनिक कार्यवाही–

- 01 उप निदेशक की अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गयी।
- 01 अर्थ एवं संख्याधिकारी की अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गयी।
- 03 अपर सांख्यिकीय अधिकारियों की अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गयी।

एल0टी0सी0

- 01 उपनिदेशक को अवकाश यात्रा सुविधा प्रदान की गयी।
- 03 अपर सांख्यिकीय अधिकारियों को अवकाश यात्रा सुविधा प्रदान की गयी।

सेवानिवृत्त

- वर्ष 2022–23 में 01 संयुक्त निदेशक, 04 अर्थ एवं संख्याधिकारी, 11 अपर सांख्यिकीय अधिकारी, 03 सहायक सांख्यिकीय अधिकारी, 01 वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1, 01 वरिष्ठ सहायक, 04 कनिष्ठ सहायक, 03 वाहन चालक एवं 02 चतुर्थ श्रेणी कार्मिक अधिवर्षता आयु पूर्ण होने के उपरान्त सेवानिवृत्त हुए।

नकदीकरण

- वर्ष 2022–23 में 01 संयुक्त निदेशक, 04 अर्थ एवं संख्याधिकारियों, 11 अपर सांख्यिकीय अधिकारियों, 03 सहायक सांख्यिकीय अधिकारियों, 01 वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1, 01 वरिष्ठ सहायक, 04 कनिष्ठ सहायको, 03 वाहन चालकों एवं 02 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों का अवकाश नगदीकरण स्वीकृत किया गया।

******

अध्याय–14
लेखा सम्बन्धी कार्य

14.0 पृष्ठभूमि

प्रभाग के लेखा अधिष्ठान से सम्बन्धित कार्यो के सम्पादन हेतु मुख्यालय पर दो अनुभाग हैं।

- लेखा अनुभाग–1
- लेखा अनुभाग–2

14.1 लेखा अनुभाग–1 में सम्पादित होने वाले कार्यों का विवरण

- प्रभाग मुख्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों, मण्डलीय उप निदेशकों एवं जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों के वार्षिक सेवा सत्यापन एवं अवकाश लेखे का रख–रखाव।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति देयकों का निस्तारण।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं मुख्यालय पर कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का कार्य।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं प्रभाग के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं प्रभाग के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का रख–रखाव।
- कर्मचारियों/अधिकारियों की पूर्व विभाग में की गयी सेवा को वर्तमान विभाग की सेवा में जोड़ने का कार्य।
- दिनांक 01.01.2016 से पूर्व से0नि0 अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रकल्पित वेतन निर्धारण कर पेंशन पुनरीक्षण का कार्य।
- मुख्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा क्षेत्र के कार्यालयाध्यक्षों की पारिवारिक पेंशन सम्बन्धी कार्य।
- मुख्यालय/मण्डलों/जनपदों के समस्त प्रकार के कालातीत देयकों को कालातीत से मुक्त कराने सम्बन्धी कार्यवाही।
- जनपदों/मण्डलों के सरकारी वाहनों को निष्प्रयोज्य कराने सम्बन्धी कार्यवाही करना।
- मानव सम्पदा पोर्टल पर प्रभाग मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्मिकों का डाटा फीडिंग का कार्य।
- निदेशक, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग से वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन प्राप्त करना।
- अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार जनपदीय अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालयों का आंतरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी कार्य।
- जनपदो से प्राप्त आंतरिक लेखा परीक्षण की अनुपालन आख्या मँगाकर परीक्षण करना तथा अनिस्तारित प्रस्तरों का निस्तारण कराना।
- आंतरिक लेखा परीक्षण कार्य की त्रैमासिक/वार्षिक रिर्पोट तैयार कर निदेशक, आंतरिक परीक्षा विभाग को भेजने सम्बन्धी कार्य।
- लेखा परीक्षा समिति/उप समिति की बैठक आडिट एवं लेखा कैडर के गठन की स्थिति एवं आडिट की गुणवत्ता आदि से सम्बन्धित समीक्षा बैठक की सूचना तैयार कर निदेशक आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग को भेजने का कार्य।
- प्रभाग मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को बजट आवंटन।
- विभिन्न प्रभागीय योजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था हेतु शासन को आय–व्ययक प्रेषित करना।

- एस0एन0डी0 के माध्यम से नयी योजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित करना।
- निष्प्रयोज्य वाहन के पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यवाही करना।
- अतिरिक्त अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था हेतु पुनर्विनियोग/अनुपूरक माँग के प्रस्ताव शासन को प्रेषित करना।
- प्रभाग में प्रचलित योजनाओं के अन्तर्गत हुए अन्तिम व्यय/बचत की सूचना ससमय शासन को प्रेषित करना।
- भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के ऑडिट प्रस्तरों का निस्तारण करना।
- विनियोग लेखा तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करना।
- प्रभाग मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त बी.एम.–4 संकलित कर कार्यालय महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, उ.प्र., प्रयागराज को प्रत्येक माह प्रेषित करना।
- वर्ष के अन्तर्गत प्रत्येक त्रैमास में महालेखाकर कार्यालय में पुस्तांकित आँकड़ों से प्रभागीय व्यय के आँकड़ों का मिलान करना।

14.2 लेखा अनुभाग–2 में सम्पादित होने वाले कार्यों का विवरण

- प्रभाग मुख्यालय के कार्मिकों के वेतन का आहरण/भुगतान।
- प्रभाग मुख्यालय के कार्मिकों एवं फर्मों से आयकर कटौती की वार्षिक/त्रैमासिक रिटर्न फाईलिंग।
- GST सम्बन्धी कटौतियां एवं मासिक रिटर्न फाईलिंग।
- PFMS पोर्टल के माध्यम से विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के भुगतान की कार्यवाही।
- E-PENSION पोर्टल के माध्यम से प्रभाग मुख्यालय पर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रपत्रों का प्रेषण।
- प्रभाग मुख्यालय के राजपत्रित/अराजपत्रित कार्मिकों की सामान्य भविष्य निधि पासबुकों को अद्युनान्त कर रख–रखाव करना।
- समय–समय पर प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय अवशेष राशि का आहरण/भुगतान।
- प्रभाग के सेवानिवृत्त कार्मिकों की सामान्य भविष्य निधि से 90 प्रतिशत स्वीकृति/भुगतान की समस्त औपचारिकाताएं पूर्ण किया जाना यथा महालेखाकार से मिलान/जाँचकर्ता लेखा प्राधिकारी की संस्तुतियां प्राप्त किया जाना।
- समय–समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों की किश्तों का आहरण/भुगतान।
- सेवानिवृत्त कार्मिकों के उपार्जित अवकाश के नकदीकरण का आहरण तथा सेवनिवृत्ति उपरान्त देय सामूहिक बीमे की राशि के आहरण हेतु समुचित कार्यवाही उपरान्त भुगतान करना।
- चिकित्सा दावों की स्वीकृति/भुगतान की कार्यवाही करना। रूपया 500000/– तक के प्राप्त चिकित्सा दावों की स्वीकृति प्रभाग से प्रदान किया जाना तथा रूपया 500000/–से अधिक के प्राप्त चिकित्सा दावों की स्वीकृति हेतु शासन को यथोचित प्रस्ताव भेजे जाने सम्बन्धी कार्य तथा उपचार समाप्ति के तीन माह के पश्चात् प्राप्त चिकित्सा दावे की स्वीकृति पूर्व प्रशासनिक विभाग से विलम्बमर्षण की अनुमति प्राप्त किया जाना।
- प्रभाग के कार्मिकों द्वारा आवेदित भवन निर्माण, भवन मरम्मत, वाहन अग्रिम हेतु शासन से अग्रिम स्वीकृति हेतु धनराशि की माँग करना, स्वीकृति, आहरण/भुगतान।
- जेम पोर्टल से सम्बन्धित कार्य।
- प्रभाग की सामान्य व्यवस्था का संचालन तथा संचालन हेतु आकस्मिक व्यय बिलों आदि के आहरण/भुगतान की कार्यवाही।
- प्रभाग मुख्यालय के अतिरिक्त मण्डलीय/जनपदीय कार्यालयों से सेवानिवृत्त होने वाले राजपत्रित/अराजपत्रित कार्मिकों के 90 प्रतिशत जी0पी0एफ0 की स्वीकृति, राजपत्रित अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि के अग्रिमों की स्वीकृति सम्बन्धी कार्यो का सम्पादन।

- पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत प्रभाग मुख्यालय के कार्य।
- वन ट्रिलियन डालर (OTD) से सम्बन्धित बिलों का शासन की स्वीकृति के उपरान्त आहरण एवं भुगतान।
- केन्द्रीयकृत विद्युत बिलों का भुगतान।

******

अध्याय–15
क्षेत्रीय स्तर पर सम्पादित किये जाने वाले कार्य

15.0 पृष्ठभूमि

प्रभाग के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण इस अध्याय में दिया जा रहा है।

15.1 भाव एवं मजदूरी दरों का एकत्रण

जनपद कार्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के भावों एवं दरों का एकत्रण निर्धारित दिवस पर किया जाता है जिनका विवरण निम्नवत् है, जो कि "√" से प्रदर्शित हैं –

भाव/मजदूरी दरों का प्रकार

क्र.सं.	जनपद	थोक भाव	ग्रामीण फुटकर भाव	नगरीय फुटकर भाव	ग्रामीण मजदूरी दरें	नगरीय मजदूरी दरें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सहारनपुर	√	√	√	√	√
2	मुजफ्फर नगर	√	√	√	√	√
3	शामली		√	√	√	√
4	बिजनौर	√	√	√	√	√
5	मुरादाबाद	√	√	√	√	√
6	रामपुर	√	√	√	√	√
7	ज्योतिबाफूले नगर		√	√	√	√
8	सम्भल		√	√	√	√
9	मेरठ	√	√	√	√	√
10	बागपत		√	√	√	√
11	गाजियाबाद	√	√	√	√	√
12	गौतमबुद्व नगर	√	√	√	√	√
13	बुलन्दशहर	√	√	√	√	√
14	हापुड़		√	√	√	√
15	अलीगढ़	√	√	√	√	√
16	हाथरस	√	√	√	√	√
17	एटा	√	√	√	√	√
18	कासगंज	√	√	√	√	√
19	मथुरा	√	√	√	√	√
20	आगरा	√	√	√	√	√
21	फिरोजाबाद	√	√	√	√	√
22	मैनपुरी		√	√	√	√

क्र.सं.	जनपद	थोक भाव	ग्रामीण फुटकर भाव	नगरीय फुटकर भाव	ग्रामीण मजदूरी दरें	नगरीय मजदूरी दरें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23	बदायूँ	√	√	√	√	√
24	बरेली	√	√	√	√	√
25	पीलीभीत		√	√	√	√
26	शाहजहाँपुर	√	√	√	√	√
27	खीरी	√	√	√	√	√
28	सीतापुर	√	√	√	√	√
29	हरदोई	√	√	√	√	√
30	उन्नाव	√	√	√	√	√
31	लखनऊ	√	√	√	√	√
32	रायबरेली	√	√	√	√	√
33	फर्रूखाबाद	√	√	√	√	√
34	कन्नौज	√	√	√	√	√
35	इटावा	√	√	√	√	√
36	औरैया		√	√	√	√
37	कानपुर देहात		√	√	√	√
38	कानपुर नगर	√	√	√	√	√
39	जालौन	√	√	√	√	√
40	झांसी	√	√	√	√	√
41	ललितपुर	√	√	√	√	√
42	हमीरपुर	√	√	√	√	√
43	महोबा	√	√	√	√	√
44	बाँदा	√	√	√	√	√
45	चित्रकूट	√	√	√	√	√
46	फतेहपुर	√	√	√	√	√
47	प्रतापगढ़		√	√	√	√
48	कौशाम्बी	√	√	√	√	√
49	प्रयागराज	√	√	√	√	√
50	बाराबंकी	√	√	√	√	√
51	अयोध्या		√	√	√	√
52	अम्बेदकर नगर	√	√	√	√	√
53	सुल्तानपुर	√	√	√	√	√
54	अमेठी		√	√	√	√
55	बहराइच	√	√	√	√	√
56	श्रावस्ती	√	√	√	√	√
57	बलरामपुर		√	√	√	√
58	गोण्डा	√	√	√	√	√

क्र.सं.	जनपद	थोक भाव	ग्रामीण फुटकर भाव	नगरीय फुटकर भाव	ग्रामीण मजदूरी दरें	नगरीय मजदूरी दरें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
59	सिद्वार्थनगर	√	√	√	√	√
60	बस्ती		√	√	√	√
61	संतकबीर नगर		√	√	√	√
62	महराजगंज		√	√	√	√
63	गोरखपुर	√	√	√	√	√
64	कुशीनगर		√	√	√	√
65	देवरिया	√	√	√	√	√
66	आजमगढ़	√	√	√	√	√
67	मऊ		√	√	√	√
68	बलिया	√	√	√	√	√
69	जौनपुर	√	√	√	√	√
70	गाजीपुर	√	√	√	√	√
71	चन्दौली	√	√	√	√	√
72	वाराणसी	√	√	√	√	√
73	संतरविदास नगर	√	√	√	√	√
74	मिर्जापुर	√	√	√	√	√
75	सोनभद्र	√	√	√	√	√

इसके अतिरिक्त कच्चे ऊन के थोक भाव 5 केन्द्रों झाँसी, प्रयागराज, भदोही, जौनपुर एवं रायबरेली से संग्रहित किये गये। 67 आवश्यक वस्तुओं के साप्ताहिक फुटकर भाव प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों से प्रत्येक शुक्रवार को संग्रहित किये गये। हापुड़ मण्डी के 11 आवश्यक वस्तुओं के थोक भाव माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रहित किये गये। कानपुर केन्द्र के बड़ी इलायची के थोक भाव माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रहित किये गये।

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा ग्रामीण फुटकर भाव/दरों का 6 से कम विकास खण्ड वाले जनपदों में प्रतिमाह एक निरीक्षण एवं 6 या उससे ऊपर की स्थिति में प्रतिमाह 2 निरीक्षण किये जाते हैं। उपनिदेशक द्वारा इन मदों का विभिन्न जनपदों में प्रतिमाह कम से कम 2 निरीक्षण किये जाते हैं।

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा नगरीय फुटकर भाव/मजदूरी दरों का प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार तथा उपनिदेशक द्वारा प्रतिमाह विभिन्न जनपदों में दो निरीक्षण किये जाते है।

15.2 मण्डलीय उपनिदेशक (अर्थ एवं संख्या)/क्षेत्रीय अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा भाव एवं मजदूरी दरों के किये गये निरीक्षणों की संख्या वर्ष 2022–23

क्र. सं	जनपद/मण्डल का नाम	भाव एवं मजदूरी दरों के निरीक्षणों की संख्या
1	2	3
1	सहारनपुर	99
2	मुजफ्फरनगर	25
3	शामली	67
(I)	सहारनपुर मण्डल	105
	योग सहारनपुर (मण्डल एवं जनपद)	**296**

4	बिजनौर	111
5	मुरादाबाद	61
6	रामपुर	39
7	अमरोहा	34
8	सम्भल	47
(II)	मुरादाबाद मण्डल	37
	योग मुरादाबाद (मण्डल एवं जनपद)	**329**
9	मेरठ	63
10	बागपत	24
11	गाजियाबाद	75
12	गौतमबुद्ध नगर	47
13	बुलन्दशहर	46
14	हापुड़	21
(III)	मेरठ मण्डल	8
	योग मेरठ (मण्डल एवं जनपद)	**284**
15	अलीगढ़	121
16	हाथरस	197
17	एटा	92
18	कासगंज	97
(IV)	अलीगढ़ मण्डल	-
	योग अलीगढ (मण्डल एवं जनपद)	**507**
19	मथुरा	123
20	आगरा	84
21	फिरोजाबाद	78
22	मैनपुरी	8
(V)	आगरा मण्डल	59
	योग आगरा (मण्डल एवं जनपद)	**352**
23	बदायूँ	10
24	बरेली	106
25	पीलीभीत	72
26	शाहजहांपुर	73
(VI)	बरेली मण्डल	73
	योग बरेली (मण्डल एवं जनपद)	**334**
27	खीरी	43
28	सीतापुर	59
29	हरदोई	-
30	उन्नाव	88
31	लखनऊ	18
32	रायबरेली	124
(VII)	लखनऊ मण्डल	-
	योग लखनऊ (मण्डल एवं जनपद)	**332**

33	फर्रूखाबाद	70
34	कन्नौज	36
35	इटावा	89
36	औरैया	33
37	कानपुर देहात	58
38	कानपुर नगर	24
(VIII)	कानपुर मण्डल	57
	योग कानपुर (मण्डल एवं जनपद)	**367**
39	जालौन	59
40	झाँसी	101
41	ललितपुर	29
(IX)	झाँसी मण्डल	13
	योग झांसी (मण्डल एवं जनपद)	**202**
42	हमीरपुर	22
43	महोबा	57
44	बाँदा	35
45	चित्रकूट	14
(X)	चित्रकूटधाम मण्डल	17
	योग चित्रकूटधाम (मण्डल एवं जनपद)	**145**
46	फतेहपुर	63
47	प्रतापगढ	40
48	कौशाम्बी	39
49	प्रयागराज	82
(XI)	प्रयागराज मण्डल	26
	योग प्रयागराज (मण्डल एवं जनपद)	**250**
50	बाराबंकी	57
51	अयोध्या	35
52	अम्बेदकर नगर	32
53	सुल्तानपुर	101
54	अमेठी	58
(XII)	अयोध्या मण्डल	9
	योग अयोध्या (मण्डल एवं जनपद)	**292**
55	बहराइच	36
56	श्रावस्ती	45
57	बलरामपुर	40
58	गोण्डा	24
(XIII)	देवीपाटन मण्डल	21
	योग देवीपाटन (मण्डल एवं जनपद)	**166**
59	सिद्धार्थ नगर	35

60	बस्ती	58
61	संत कबीरनगर	22
(XIV)	बस्ती मण्डल	76
	योग बस्ती (मण्डल एवं जनपद)	**191**
62	महराजगंज	66
63	गोरखपुर	88
64	कुशीनगर	40
65	देवरिया	87
(XV)	गोरखपुर मण्डल	55
	योग गोरखपुर (मण्डल एवं जनपद)	**336**
66	आजमगढ	62
67	मऊ	110
68	बलिया	97
(XVI)	आजमगढ मण्डल	-
	योग आजमगढ (मण्डल एवं जनपद)	**269**
69	जौनपुर	118
70	गाजीपुर	04
71	चन्दौली	98
72	वाराणसी	105
(XVII)	वाराणसी मण्डल	44
	योग वाराणसी (मण्डल एवं जनपद)	**369**
73	**संत रविदास नगर (भदोही)**	24
74	मिर्जापुर	60
75	सोनभद्र	25
(XVIII)	विन्ध्याचल मण्डल	67
	योग विन्ध्याचल (मण्डल एवं जनपद)	**176**

नोट– (–) का अभिप्राय जनपद/मण्डल में पद रिक्त है।

****

फोटो सेक्शन

16वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून 2022 पर श्री विवेक (IAS), निदेशक अर्थ एवं संख्या द्वारा माल्यार्पण

प्रभाग मुख्यालय पर 15 अगस्त 2022 को झण्डारोहण

Sri Alok Kumar, Principal Secretary (Planning) inaugurated the "Regional Workshop on State Income And Related Aggregates" held from 29th August to 2nd September 2022.

REGIONAL WORKSHOP STATE INCOME AND RELATED AGGREGATES

Conducted by

NATIONAL ACCOUNTS DIVISION, NATIONAL STATISTICS OFFICE, MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION, GOVERNMENT OF INDIA

In Collaboration with

DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS, PLANNING DEPARTMENT, GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

(29-8-2022 to 02-09-2022)

Sitting Row Left to Right :- Mr. Neeraj Srivastava ,Mes. Alka Bahuguna Dhaundiyal ,Ms. Nirupama Talukdar , Mr. Amrit Tripathi , Mr. Alok Kumar , Mrs Nivedita Gupta , Ms Subhra Sarkar , Mrs Punam Gupta , Dr. Divya Sareen Malhotra

First Standing row-Left to Right :- Mr. Syed Raza Imam , Mrs. Shalu Goel , Dr. Rajesh Kumar Chauhan ,Mr. Gopal Sharma , Ms. Priyanka Anjoy, Mrs. Aparna Trivedi ,Mrs.Rashmi Mrs. Mitali Barbara , Mrs.Nitumoni Jigdung, Ms. Geetanjali ,Mrs. Rubin Verma , Ms. Sonia Ms. Vashmati Mukharjee , Ms. Sonal Raj, Mrs.Biju Cyriac , Mr. Ritesh Sharma , Mr.Yogendra Singh Rauthan

Second Standing row-Left to Right :- Mr. Ankur Gupta, Mr. Ravi Karan Pal, Mr. Nikhil, Ms Shreya Dalmiya , Smt. Durgesh Nandani Singh , Dr.Priyanka Singh Bhadouria, Mr.Manoj Kumar Kafley, Mr. Ramen Kalita, Mr. Sanjay Sharma , Mr. Hamesh Kumar , Mr. Rajesh Kumar Mr. Rigzin Tamchos , Mr. Ravi Kumar, Mr. Zubair Hafiz, Mr. Sudhir Kumar ,Mr. Manish Bindal Mr. Sanjay Shrivastava , Mr. Bashir Ahmad , Mr .Anil Kumar Jatav ,

Third Standing row-Left to Right :- Dr. Sandeep Srivastava, Mr. Jitendra Yadav, Dr. V.S.Dhapani, Mr. Bhawan Kumar Chouhan, Mr. Shashi Bhushan, Mr.Niraj Kumar , Mr. Sanjeet Kumar Sinha , Mr. Dhirendra Pratap Singh , Mr. Rakesh Kumar , Mr. Mohd. Iqbal Mr. Inamul Haq , Mr. Prakesh B Rathod , Mr. Ankush Kumar, Mr. Sanjeev Kumar, Mr. Imran Hussain , Mr. Vivek Bajpai

Fourth Standing row-Left to Right :- Mr. Yogendra , Mr. Mohd. Amir , Mr. Harash Kumar , Mr. Nazir Ahmad Jhat, Mr. 4.Harash Kumar Suri , Mr. Jawed Akhatar , Mr. Kulvinder Singh, Mr. Navin Chaturvedi , Mr. Lallan Verma , Mr. Akhil Thakur , Mr. R.K. Mishra Mr. Ashif, Mr. Prakash B. Rathod , Mr. Arvind Singh Parmar

प्रभाग मुख्यालय पर 26 जनवरी 2023 को डा0 दिव्या सरीन मेहरोत्रा, अपर निदेशक द्वारा झण्डारोहण आयोजन

प्रभाग मुख्यालय से श्री गोपाल शर्मा संयुक्त निदेशक, श्री कृष्ण मोहन मिश्र, अपर सांख्यिकीय अधिकारी एवं श्री दिनेश पाल वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1 दिनांक 28.02.2023 को सेवानिवृत्त।